अंक ६

संख्या २६

सोमवार,

२१ दिसम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ६ में संख्या २६ से संख्या २९ तक हैं)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १७६९—१८२०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १८२०—१८७२]

पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट, नई दिल्ली।

(मूल्य ४ आने)

611 P.S.D.

लोक सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निष्क्रमणार्थियों के सेविंग बैंक लेखे

*११४७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के संचरण मंत्री के उस वक्तव्य की जानकारी है जोकि उन्होंने २८ सितम्बर १९५३ को पाकिस्तान संसद् में दिया था तथा जिस में बताया गया था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सेविंग बैंक लेखों तथा सेविंग सर्टिफिकेट दावों की जांच के प्रश्न पर बातचीत हुई है तथा ज्योंही दोनों ओर से सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये जायगे त्योंही हस्तांतरण का काम शुरू हो जायगा ; तथा

(ख) यदि है, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिये सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). बातचीत हुई है तथा सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या निकट भविष्य में इस उद्देश्य के लियें कोई सम्मेलन निश्चित किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : मेरा विचार है कि यह अधिकारी शीघ्र ही नियुक्त किये जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस समय तक ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि इन में भारतीयों का कितना धन ग्रस्त है तथा पाकिस्तानियों का कितना ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक भारतीय पक्ष का सम्बन्ध है, ७,२२,०५,२३२ रुपये की राशि के कुल १,४५,२६५ दावे दर्ज किय गए हैं। निपटाये गए दावों की संख्या ८८,१५३ तथा धनराशि ४,२१,३२,१३५ रुपये है। अनिर्णीत दावों की संख्या जिन्हें कि निपटाया जाना है ५६,६८२ है तथा इनमें ३,००,७३,०९६ रुपये की राशि ग्रस्त है। पाकिस्तान प्रजाजनों ने उस देश में कितने तथा कितने मूल्य के दावे दर्ज किये हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन लोगों को कोई अन्तरिम सहायता भी दी जायगी ?

श्री जगजीवन राम : ज्योंही दावों की पड़ताल होगी तथा इनका निपटारा होगा।

मछली

*११४८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री योजना आयोग की

रिपोट के अध्याय २३ के पैरा ९ की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बंद पानी में काई आदि पैदा होने के कारण अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्रों की उत्पादन-शक्ति पर कितना दुर्प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या काई हटाने की समस्या भारत के सभी ताजे पानी के महत्व क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती है ; तथा

(ग) अन्तदशीय मत्स्य-क्षेत्रों के उत्-पादन का कितना प्रतिशत भाग बंद पानी के मत्स्य क्षेत्रों से प्राप्त होता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा-समय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात के दृष्टिगोचर कि अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्रों में काई के उगने से होन वाली सम्भावित हानि की कोई जानकारी प्राप्त नहीं क्या सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिस में कि इस काम को पूर्व-वर्तिता दी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं निवदन करना चाहता हूं कि अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्र केन्द्रीय विषय न हो कर एक राज्य विषय है, जब कि सामुद्रिक मत्स्य-क्षेत्र सीधे हमारे नियंत्रण में है तथा हम इनके सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं । अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्र राज्यों के नियंत्रण में हैं तथा पंच वर्षीय योजना में आंकड़े एकत्रित करने के सम्बन्ध में एक उचित व्यवस्था स्थापित करने तथा पूरी स्थिति का स्थूल अनुमान लगाने का उपबन्ध रखा गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्रों में काई द्वारा मछलियों के नाश की समस्या केवल चार राज्यों अर्थात पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम तक ही सीमित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान यह सही है । यह काई केवल पश्चिमी बंगाल, आसाम, विहार तथा उड़ीसा तक ही सीमित है क्योंकि इन राज्यों में बंद पानी पाया जाता है । खाद्य तथा कृषि संस्था के विशेषज्ञ श्री बोटके के मतानुसार पश्चिमी बंगाल का दो तिहाई भाग इस से ग्रस्त है ।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं कि इस समस्या को जो कि केवल पश्चिमी बंगाल के लिए इतने महत्व की है, पंचवर्षीय योजना में पूर्ववर्तिता केवल इसलिए दी गई है कि पश्चिमी बंगाल के मत्स्य-क्षेत्र मंत्री का बंगाल के अन्तर्देशीय मत्स्य-क्षेत्रों में स्वार्थ है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि हजारों तालाब इस काई से ढके पड़े हैं तथा आसाम के कुछ नदी-मत्स्य-क्षेत्र भी इस से ढके पड़े हैं तथा इसलिए यह सारी मछली उपलब्ध नहीं ? क्या यह भी सत्य है...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । एक प्रश्न पूछिये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: विशेषज्ञ ने जैसे स्वयं कहा है, यह ठीक है, उसके कथनानुसार हम एक एकड़ क्षेत्र से ५०० पाऊंड मछली प्राप्त कर सकते थे । इस समय हम कुल उत्पादन का १० अथवा प्रतिशत भाग प्राप्त करते हैं । यह एक तथ्य है तथा यह भारत के तीन अथवा चार मुख्य राज्यों की ओर निर्देश करता है । हम इस बारे में कार्यवाही करेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

भूमि सुधार अध्ययन

*११४९. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) भूमि-सुधार अध्ययन के लिए जो विशेष भाग खोला गया है उसने इस समय तक क्या काम किया है; तथा

(ख) किस किस राज्य ने इस समय तक वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा निश्चित करने के लिये अपने कार्यक्रम भेज दिए हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या २४**]

(ख) आसाम, हैदराबाद, हिमाचल-प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के भूमि-सुधार विधेयकों में वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में प्रस्थापनाएँ रखी गई हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : कितने राज्यों ने उच्चतम सीमा की जोत निश्चित करने के सम्बन्ध में भू-परिमाप करने के हेतु आंकड़े इकत्रित किये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं सदन में पहले ही बता चुका हूं कि हम एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सभी राज्यों को एक पत्र भेजने वाले थे, मेरा विचार है कि अब तक यह पत्र उन्हें पहुंच चुका होगा तथा हमें आशा है कि छः महीने के अन्दर अन्दर हमें सभी राज्यों से उत्तर तथा इस परिमाप से सम्बंधित रिपोर्टें प्राप्त होंगी ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राज्य पहले ही भू-परिमाप कर चुके हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उच्चतम सीमा की जोत निश्चित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग का तथा हमारा विचार यह है कि देश में विभिन्न प्रकार की जोतों के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध होने चाहियें क्योंकि योजना आयोग ने सुझाव दिया है उच्चतम सीमा की जोत औसत जोत से चौगुनी बड़ी होनी चाहिये । औसत जोत प्रत्येक राज्य में अलग अलग है । तो इस पत्र के द्वारा हम प्रत्येग राज्य से सूचना एकत्रित करेंगे तथा सारी बात इसी पर निर्भर होगी ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, जिसकी कि हाल ही में बैठक हुई, भूमि-सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने इस मामले के बारे में कोई फैसला नहीं किया । किन्तु उन्होंने इस पर चर्चा की ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं पूछ सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

आलू विकास केन्द्र

*११५०. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आलुओं के विकास के निमित्त केन्द्र खोलने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

(ख) बिहार राज्य में कितने केन्द्र खोले गए हैं ?

(ग) बिहार राज्य में निकट भविष्य में क्या कोई और केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सामान्यतया यह केन्द्र अधिक महत्वपूर्ण आलू-उत्पादक-राज्यों के कृषि-स्टेशनों में खोले जाते हैं। केन्द्र खोलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(१) आलू की खेती की दृष्टि से स्थान का महत्व (२) आलुओं के बीच सम्भाल कर रखने के लिए शतां संग्रहागार की सुविधाओं की प्राप्यता, विशेषकर मैदान इलाकों में तथा (३) सिंचाई की सूविधाओं की प्राप्यता।

(ख) चार

(ग) जी नहीं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं इन स्टेशनों के नाम जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : स्टेशन यह है:—केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, पटना, बिहार ; आलू उत्पादन उप-स्टेशन, शिमला, पंजाब। मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। देश भर में १५ स्टेशन हैं। मैं इनकी सूची सदन-पटल पर रख देता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या २५]**

श्री राधेलाल व्यास : क्या हिमाचल प्रदेश में भी कोई केन्द्र है तथा यदि है तो इस केन्द्र ने हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ विकास कार्य किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हिमाचल प्रदेश में एक केन्द्र है : वास्तव में हिमाचल प्रदेश का स्थान इस दृष्टि से महत्वपुर्ण हैं। यह राज्य सारे भारत के लिये आलू के बीज़ उपलब्ध करता है। आयात किये गए आलुओं के स्थान पर यह उत्तम प्रकार का बीज है तथा हम इसके विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री राधेलाल व्यास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री नायर।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आपका आशय क्या केन्द्र के नाम से है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री वी० पी० नायर : यह केन्द्र किस प्रयोजन से चलाये जा रहे हैं। क्या यह आलुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हैं अथवा क्या यह नये प्रकार के आलू पैदा करने के लिए हैं अथवा क्या यह आलुओं का उत्पादन सस्ता बनाने के लिए हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह इन दोनों प्रयोजनों के लिए हैं। हम विभिन्न प्रकार के आलुओं का विकास करने के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसन्धान का कार्य करते हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : इन स्टेशनों में कौन सी नई किस्में पैदा की गई हैं तथा विभिन्न स्टेशनों में किये गए अनुसन्धान कार्यों के परिणामों के सहयोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

भारतीय कृषि शिक्षा परिषद्

***११५२. श्री वी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य सरकारों ने भारतीय कृषि-शिक्षा परिषद् के पास अपनी क्या क्या समस्याए भेज दी हैं तथा इनके सम्बन्ध में उन्हें क्या कुछ मशवरा दिया गया है; तथा

(ख) इस परिषद् ने स्कूलों आदि में काम में लाने के लिए क्या कोई 'माडल' पाठ्यक्रम तैयार किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री : (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : भारतीय कृषि-शिक्षा परिषद् के पास किस प्रकार की समस्याएं भेज दी गई हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कुछ मशविरा दिया गया है, यह दिखाने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) भारतीय कृषि-शिक्षा परिषद् ने वह ढांचा प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत कि कृषि-कालिजों में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में पाठ्यचर्या का संशोधन होना चाहिये । यह सिफारिशें राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दी गई हैं । इसके बाद ही एक 'माडल' पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है । पशु-चिकित्सा डिग्री पाठ्यचर्या के लिए भी पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया गया है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस परिषद् ने विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि-कालिजों के लिए कृषि-शिक्षा का कोई समान रूपी स्तर निश्चित करने की सिफारिश की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, इस ने लगभग सभी कालिजों में समानरूपी स्तर निश्चित करने की सिफारिश की है क्योंकि कुछ कालिजों में तीन वर्ष का कोर्स है तथा कुछ में चार वर्ष का कोर्स है । हम सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में एक प्रकार की समानरूपता चाहते हैं ।

श्री बी० के० दास : इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं क्या राज्य सरकारों ने उनके सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेज दिये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस सिफारिश के सम्बन्ध में सामान्यतया सभी सहमत हैं यद्यपि उन्होंने इसे स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ मामूली फेर बदल करने का भी सुझाव दिया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या इस भारतीय कृषि-शिक्षा परिषद् का भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्था के साथ कोई सम्पर्क है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी हां, श्रीमान् ।

कुर्ला-कर्जात रेलवे लाइन

***११५३. श्री गिडवानी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि महाराष्ट्र व्यापार मंडल, बम्बई, के सचिव ने रेलवे बोर्ड के पास अभ्यावेदन भेजा है किपनवेल से होकर जाने वाली कुर्ला-कर्जात रेलवे लाइन के निर्माण का काम हाथ में लिया जाये ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त लाइन का परिमाप हुआ था तथा सरकार को १९४८ में एक रिपोर्ट भेज दी गई थी ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । १९४६ में परिवहन के सम्बन्ध में पर्यालोकन किया गया था तथा १९४७ में भू-माप हुआ था । रिपोर्ट तथा प्राक्कलन १९५१ में सरकार को पेश किया गया ।

(ग) इस समय नहीं ।

श्री गिडवानी: क्या यह सत्य है कि यदि यह लाइन बनाई जाये तो बम्बई तथा पनवेल और बम्बई तथा पूना के बीच के फासले में १८ मील की कमी हो जायगी ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, ऐसा ही है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि इस से व्यापार के विकास में सहायता मिलेगी तथा देश के इस भाग में स्थित नमक उद्योग की यातायात सम्बन्धी आवश्यकतायें भी काफी हद तक पूरी हो जायेंगी ।

श्री शाहनवाज खां : बहुत सम्भव है कि ऐसा होगा ।

श्री गिडवानी : इस लाइन के कब बनाये जाने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसे कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इसे इस समय बनाये जाने का कोई विचार नहीं ।

उत्तरी भारत में नल कूप

*११५९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने बिहार सरकार को उत्तरी बिहार नल-कूप परियोजनाओं के लिये कुल कितने रुपए ऋण के रूप में दिए हैं; और

(ख) अब तक निर्मित नल-कूपों की संख्या ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) ८३·०१ लाख रुपए ।

(ख) २९५ ।

श्री विभूति मिश्र : ट्यूब वेलों को गाड़ने के लिए स्थान का चुनाव प्रान्तीय सरकार करती है या केन्द्रीय सरकार करती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : संविदे, राज्य सरकारों तथा कम्पनियों के मध्य होते हैं, और केन्द्रीय सरकार निदेश दे देती है ।

श्री विभूति मिश्र : किस जगह ट्यूब वेल लगाया जाए इसको तय करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार के हाथ में है या केन्द्रीय सरकार के ?

खाद्य तथा कृषि मत्री (श्री किदवई) : प्रान्तीय सरकार के ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक बनाए गए कुल कुँओं में प्रायोगिक कुँए कितने बनाए गए हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रश्न का सम्बन्ध प्रायोगिक कुँओं से नहीं था । हम नल-कूप योजना के अंतर्गत समस्त भारत में लगभग ३५० प्रायोगिक कुँए बनाना चाहते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को गंडक क्षेत्र की जनता से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि इस राशि को गंडक योजना के लिए दे दिया जाए ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि व्यय का एक भाग टेकनीकल सहायता समिति द्वारा वहन किया जाता है, और वह नल-कूपों के लिए है, गंडक योजना के लिए नहीं ।

बुख्तारपुर बिहार लाइट रेलवे का लिया जाना

*११६०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुख्तारपुर बिहार लाइट रेलवे को लिए जाने सम्बन्धी विवाद का निपटारा हो चुका है ?

(ख) क्या सरकार इस रेलवे के प्रबन्ध के प्रति जनता के असंतोष से अवगत है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) माननीय सदस्य का आशय कदाचित पटना ज़िला बोर्ड तथा बख्तारपुर बिहार लाइट रेलवे कम्पनी के मध्य के विवाद

से है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई विस्तृत सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार ने इस विषय पर समय-समय पर समाचार देखे हैं ।

(ग) बिहार सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि स्थिति का किस प्रकार मुकाबला किया जाए और उसे उपयुक्त सलाह दे दी गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को यह विदित है कि बी० बी० लाइट रेलवे को पटना जिला बोर्ड द्वारा ले लिये जाने के बाद उस के हिसाब का लेखा-परीक्षण हुआ है या नहीं ?

श्री अलगेशन : जी हां, यह लेलवे इस समय पटना जिला बोर्ड के स्वामित्व में है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह मैं जानती हूं । मैं यह जानना चाहती थी कि क्या सरकार को मालूम है कि जब हिसाब का लेखा-परीक्षण किया गया था तो हिसाब में गबन तथा अनियमितताएं पाई गई थीं । मैं जानना चाहती थी कि क्या सरकार को यह बात मालूम है ?

श्री अलगेशन : यह सब सूचना पटना जिला बोर्ड अथवा बिहार राज्य सरकार के पास होगी । हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

हावड़ा माल गोदाम में चोरी

*११६१. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि १३ अक्टूबर, १९५३ को हावड़ा रेलवे माल गोदाम में से १४ कपड़े की गांठें गायब हो गईं ?

(ख) इस माल गोदाम से कितनी बार माल गायब हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

(घ) क्या इन १४ कपड़े की गांठों की चोरी का पता लगाने के लिये हावड़ा रेलवे पुलिस उचित कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, १३ अक्टूबर, १९५३ को रेलवे कर्मचारियों ने देखा कि हावड़ा माल गोदाम से कपड़े की १४ गांठें चुरा ली गई हैं ।

(ख) नवम्बर, १९५३ के मध्य तक हावड़ा माल गोदाम से ४८ बार चोरियां हो चुकी हैं ।

(ग) जी हां, २० मामलों में सम्बन्धित अपराधी पकड़े गये और ३२ अपराधियों को मुकदमे के लिये भेजा गया । १४ अपराधियों को सज़ा मिल चुकी है और १८ पर मुकदमा चलना शेष है ।

(घ) जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत से हावड़ा शेड में काम करने वाले कर्मचारी भी इस में गुनहगार हैं ?

श्री शाहनवाज खां : आप जो कुछ कहते हैं उस की इत्तला हमें मिली है और कई एक जगहों पर यह भी साबित हो चुका है कि जो रेलवे में काम करने वाले हैं वह भी इन चोरियों में शामिल हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या ये १४ गांठें किसी के इंडेंट पर हावड़ा भेजी गई थीं ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास ठीक-ठीक सूचना नहीं है । किन्तु स्पष्ट ही हावड़ा के कुछ स्थानीय व्यापारियों के नाम वे आई थीं जिन्हें इन की डिलीवरी लेनी थी ।

बम्बई डाककामगर

*११६२. **श्री गिडवानी** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि २० अक्टूबर, १९५३ को बम्बई पत्तन प्रन्यास कार्यालय के सामने बम्बई के डाक कामगरों ने इस बात के विरोध में प्रदर्शन किया था कि उन्हें ओवरटाइम काम करने का बकाया देने से इनकार कर दिया गया था ;

(ख) क्या पत्तन प्रन्यास के सभापति कामगरों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे तथा उन के साथ इस मामले पर चर्चा की थी ;

(ग) क्या पत्तन प्रन्यास अधिकारियों ने उन की मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २० अक्टूबर, १९५३ को जब कि बम्बई पत्तन प्रन्यास बोर्ड की इस बात पर विचार करने को बैठक हुई कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लाभों को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् १५ मार्च, १९५१ से पंजीकृत डाक कामगरों पर लागू कर दिया जाए, तब कामगरों के एक वर्ग ने कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया था ।

(ख) और (ग). जी हां ।

(घ) पत्तन प्रन्यास ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लाभों को १५ मार्च, १९५१ से पंजीकृत तथा सामयिक दोनों प्रकार के कामगरों पर लागू कर दिया गया है ।

श्री गिडवानी : क्या आप से न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लाभों को सामयिक कामगरों दिया जाएगा ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं ने अभी बतलाया, यह सभी श्रेणियों के मजदूरों को दिया जाएगा ।

हावड़ा में पारसलों का उतारना चढ़ाना

*११६३. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे अधिकारियों के पास शिकायतें आई हैं कि हावड़ा स्टेशन पर प्रतिदिन मनुष्य घंटा कार्य करने के आधार पर पारसलों के उतारने-चढ़ाने के सम्बन्ध में कम राशि दी जाती है तथा भूतकाल में कितनी ही बार इस राशि में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भूतकाल में इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई थीं तथा रेलवे द्वारा दी जाने वाली राशि सन् १९५० में ५,००० रु० से बढ़ा कर ७,७०० रु० प्रति मास कर दी गई ।

सन् १९५१ में किए गए पुनरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त राशि में जो वृद्धि की गई वह अधिक ही थी, किन्तु उस में फिर कोई कमी नहीं की गई ।

अब इस का पुनरीक्षण किया गया है और इस के परिणाम की प्रतीक्षा है ।

श्री रामानन्द दास : पुनरीक्षण में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : कोई तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है, किन्तु आशा है कि लगभग एक मास में यह समाप्त हो जाएगा ।

दिल्ली मुख्य स्टेशन

*११६४. **श्री गिडवानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे

ने दिल्ली जंकशन पर वर्तमान तृतीय श्रेणी प्रतीक्षालय के स्थान पर एक दुमंजली इमारत बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का प्रबन्ध अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा ।

रेल तथा यातायात मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का विचार विक्टोरिया टरमीनस, मद्रास तथा कलकत्ता स्टेशनों को भी इस योजना में सम्मिलित करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी नहीं ।

श्री गिडवानी : दिल्ली में कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह चालू वर्ष में ही प्रारम्भ किया जाएगा ।

श्री गिडवानी : इस की लागत क्या होगी ?

श्री शाहनवाज खां : ९,८८,९५६ रु०

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि राजकुमारी अमृत कौर मार्केट की जो साइट है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिये ली जाने वाली है क्या वह रेलवे को मिल गई है ? और अगर मिल गई है, तो रेलवे स्टेशन बनाने का काम कब शुरू होगा ?

श्री अलगेशन : प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली जंकशन रेलवे स्टेशन से था ।

बेरोजगारी

*११६५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बेरोज़गारी की समस्या सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) (क) और (ख): जी नहीं ।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के एशियाई कार्यालय ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, उस से यह प्रार्थना करे कि भारतीय रोज़गार सेवा के अन्तर्गत एक रोज़गार सूचना कार्यक्रम की स्थापना के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करे । सरकार ने इस कार्य के लिए इस प्रकार के विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बेरोज़गारी की समस्या के हल के लिए सरकार ने कोई माध्यम आवश्यक नहीं समझा है ?

श्री वी० वी० गिरि : योजना आयोग इस में व्यस्त है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेरोज़गारी की समस्या कहां तक हल हो चुकी है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह इतना विस्तृत प्रश्न है कि इस का उत्तर सदन में प्रश्नावधि के समय नहीं दिया जा सकता ।

नान-टैरिफ बीमा कम्पनियां

*११६६. **श्री बहादुर सिंह :**
सरदार हुक्म सिंह :

(क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को नान-टैरिफ बीमा कम्पनियों के विरुद्ध कोई इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मोटरगाड़ियों

द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में, इन कम्पनियों द्वारा अपनाई गई अनेक युक्तियों के परिणाम स्वरूप लोगों को अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा का लाभ नहीं मिल सका ?

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि नॉन-टैरिफ कम्पनियों को कितनी बार छूट प्रदान की गई है ?

श्री अलगेशन : मैं बतला दूं कि ये शिकायतें टैरिफ व नॉन-टैरिफ दोनों प्रकार की कम्पनियों के विषय में प्राप्त हुई हैं । नॉन-टैरिफ कम्पनियों की संख्या बहुत थोड़ी है—४०० बीमा कम्पनियों में से लगभग १० या १२ । मैं यह बतलाने में असमर्थ हूं कि कितने अवसरों पर नॉन-टैरिफ कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को विदित है कि नॉन-टैरिफ कम्पनियां टैरिफ कम्पनियों की अपेक्षा बहुत कम दर लेती हैं, किन्तु किसी भी मामले में उन्होंने तृतीय दलों के दुर्घटना बीमा के दावों को पूरा नहीं किया है ।

श्री अलगेशन : यह सही है कि टैरिफ कम्पनियों की अपेक्षा नॉन-टैरिफ कम्पनियों की दरें कम हैं, किन्तु मेरे पास यह सूचना नहीं है कि उन्होंने किसी अवसर पर दावे का भुगतान किया है या नहीं । वास्तव में दावे की राशि तृतीय पक्ष को दी जाती है । उन्हे अपना दावा सिद्ध करना होता है और जब वे न्यायालय आदि में जाते हैं तो निश्चय ही उन्हें भुगतान किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसे विशेष कारण थे कि ये छूटें ऐसी कम्पनियों को दी गयीं जो तृतीय पक्ष के दावों का भुगतान नहीं करती हैं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, माननीय सदस्य इस धारणा पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन कम्पनियों ने तृतीय पक्ष का दायित्व अदा नहीं किया है । मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि उन्हें छूटें दी जाने का क्या कारण है—अन्य बातें जो भी हों ।

श्री अलगेशन : वास्तव में अन्य कम्पनियों ने इस पर आपत्ति की है कि इन कम्पनियों को कम दर लेने की अनुमति क्यों दी गई है । किन्तु सरकार इस छूट को हटाने में इसलिए असमर्थ है कि यह एक प्रकार से टैरिफ कम्पनियों के विरुद्ध एक रोक है जो अपनी दरों को बढ़ा देती है ।

सरदार हुक्म सिंह : यही आपत्ति तो टैरिफ कम्पनियों ने उठाई है क्योंकि उन की दरें, जो उन्होंने निर्धारित तथा सरकार ने स्वीकृत की हैं, बहुत अधिक हैं और लोग अपना रुपया बचाने के लिए इन नान-टैरिफ कम्पनियों के पास जाते हैं जो उन्हें धोका देती हैं और उन का भुगतान नहीं करतीं । क्या सरकार लोगों को इस धोके से बचाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं ने बतलाया, तृतीय पक्ष न्यायालय में जा कर अपना दावा सिद्ध कर सकता है । तब कम्पनियों को देना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री हेडा ।

श्री हेडा अनुपस्थित थे ।

श्री राघवाचारी : मैं पहले प्रश्न पर एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं ।

त्रावनकोर-कोचीन को खाद्यान्न का संभरण

*११६८. **कुमारी एनी मस्करीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि उपमंत्री द्वारा मद्रास में हाल में मद्रास और आंध्र के अतिरेक वाले क्षेत्रों से खाद्यान्न के त्रावणकोर-कोचीन राज्य में भेजे जाने के सम्बन्ध में दिये गये भाषण की दृष्टि में उक्त राज्य में अतिरेक वाले क्षेत्रों से खाद्यान्न भेजने का विचार है ;

(ख) यदि विचार है, तो उस की मात्रा क्या होगी ; तथा

(ग) किस दाम पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ग): हां, त्रावणकोर-कोचीन राज्य वापस देने के आधार पर १५००० टन चावल मद्रास से और ३२००० टन चावल आंध्र से प्राप्त कर रहा है । वह इस चावल का दाम दोनों राज्यों को विद्यमान थोक-भाव से चुका रहा है, पर १९५४ में यह चावल लौटाने पर उसे यह राशि वापस मिल जाएगी ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, इस तथ्य की दृष्टि में कि अब चावल कम दूरी से भेजा जा रहा है, क्या दाम कम किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : त्रावणकोर-कोचीन में चावल के दाम कम होने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हम वहां चावल का दाम निर्गम-मूल्य पर १७ रुपये मन बनाए हुए हैं । अतः चावल का मूल्य २४ रुपये मन हो या १६ रुपये मन, हम १७ रुपये का भाव बनाए रखते हैं और अंतर की पूर्ति सहायता दे कर करते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि बेरोज़गारी की भीषण समस्या के कारण निर्धन जनता अधिक दाम होने के कारण चावल खरीद नहीं पाती ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान् त्रावणकोर-कोचीन में चावल की निकासी कम नहीं हुई । वह बढ़ रही है, और लोग अधिक चावल की मांग कर रहे हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या केन्द्रीय सरकार को त्रावणकोर कोचीन राज्य की अगली वर्ष की मांग का कुछ अन्दाज है और क्या ६ औंस के वर्तमान राशन को बढ़ाकर ८ औंस करने का विचार है ?

श्री किदवई : प्रति वर्ष हम त्रावणकोर-कोचीन राज्य को ३ लाख टन चावल देते थे । इस वर्ष हम ने अधिक चावल दिया है । साथ ही पहले चावल का राशन ४॥ औंस था, जिसे अब बढ़ा कर ६ औंस कर दिया गया है। इस वर्ष इस ६ औंस के अलावा हम सस्ती दुकानों में राज्य सरकार की खरीद के भाव पर ही २ औंस और देने के लिये तैयार हो गए हैं । मुझे आशा है कि यह चलता रहेगा और इसे बढ़ा कर अगले वर्ष में ३ औंस कर दिया जाएगा ।

रंगिया रंगपाड़ा लाईन

*११६९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** :(क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रंगिया-रंगपाड़ा लाइन कब चालू की गई थी ?

(ख) क्या यह सच है कि लाइन को मजबूत नहीं रखा गया है और पुल काफी मजबूत नहीं है, जो मुख्य लाइनों पर चलने वाले भारी इंजिनों का बोझ संभाल सकें ।

(ग) अप्रैल, १९५४ से तेजपुर-मनी बारीघाट के बीच नॉर्थ बैंक एक्सप्रेस चलाने के सम्बन्ध में सरकार के वचन की दृष्टि

में, क्या लाइनों को और पुलों को मज़बूत करने का काम शुरू किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस भाग को निम्न रूप में चालू किया गया था :—

(१) रंगिया से तंगला तक १-३-१९१२ को ।

(२) तंगला के मजबत तक १-१२-१९३२ को ।

(३) मजबत से रंगपाड़ा उत्तर तक ७-२-१९३३ को ।

(ख) नहीं, श्रीमान । इसे 'ग' स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया है, जो हलकी लाइनों का स्टैंडर्ड है और जिस पर मुख्य लाइनों के रूप में न काम लिया जा सकता है और न उन को वैसा बनाया जा सकता है ।

(ग) कुछ पाइल-पुलों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया है और लाइन को सुधारने की बात विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यात्रा में कुछ भाग तक गाड़ी ५ मील प्रति घंटे की चाल से चलती है और शेष भाग में १५ मील प्रति घंटे की चाल से ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान्, जैसा मैंने बताया, यह लाइन स्टैंडर्ड 'ग' के अनुसार बनाई गई थी, जिस पर गाड़ियां बहुत तेज नहीं चल सकतीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या स्प्लिट स्लीपरों के स्थान पर मुख्य लाइन वाले स्लीपर लगा कर इस लाइन को फिर संभालने का कुछ कार्यक्रम है ?

श्री शाहनवाज खां : यह बात विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे आशा है, बहुत देर न लगेगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि.....

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लें ।

मद्रास बन्दरगाह

*११७० **श्री मुनिस्वामी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में गोदी (डौक) के विस्तार के लिये कुछ नई राशि मंजूर की गई है ; तथा

(ख) उस कार्य के विवरण क्या हैं, जिस के हेतु यह नियतन किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार द्वारा मद्रास बन्दरगाह प्रन्यास (ट्रस्ट) के बंदरगाह की गोदी को सुविधाओं को बढ़ाने वाली कुछ प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं । बन्दरगाह को एतदर्थ ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार के वर्तमान वर्ष के आयव्ययक में एक उपबंध किया गया है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या बंदरगाह में रेत भरने की गंभीर समस्या के विषय में मद्रास नगर के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की गई आपत्तियों की ओर तथा इस तथ्य की ओर कि बंदरगाह के विस्तार से खतरा और बढ़ जायेगा सरकार ने ध्यान दिया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, जहां तक बंदरगाह में आने वाली प्रणाली में रेत भरने का प्रश्न है उसे निरंतर छितराया जा रहा है । बंदरगाह के विस्तार से रेत का

भरना अधिक न हो जायगा । ऐसा कोई भय नहीं है । पर इस विस्तार से निश्चय ही बन्दरगाह की सुविधायें बहुत सीमा तक बढ़ जायेंगी ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि बन्दरगाहों का बड़े-छोटों में वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न से नहीं उठता ।

डब्ल्यू० पी० रेल इंजिन

*११७१. **श्री फ्रैंक एन्थनी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक खरीदे गये डब्ल्यू० पी० रेल इंजिनों की कुल संख्या ;

(ख) प्रत्येक डब्ल्यू० पी० रेल-इंजिन का मध्यमान मूल्य ;

(ग) इनमें से क्या कुछ इंजिन अस्थायी रूप से बेकार पड़े हैं, और यदि हां, तो कितने; तथा

(घ) इन इंजिनों को अस्थायी रूप में बेकार रखने के कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१६ ।

(ख) ४·८६ लाख रुपये ।

(ग) कारखाने या शेड में सामान्य मरम्मत के लिये पड़े हुए इंजिनों को छोड़ कर इस समय एक भी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फ्रैंक एन्थोनी : मैं जान सकता हूं कि एक डब्ल्यू० पी० इंजिन से सामान्यता कितने समय चलने की प्रत्याशा की जाती है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, लगभग ४० वर्षों तक ।

मद्रास में छोटी मोटी सिंचाई योजनाएं

*११७२. **श्री कक्कन :** क्या (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र के निर्माण के बाद क्या भारत सरकार को मद्रास सरकार से कुछ छोटी मोटी सिंचाई योजनायें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) इन योजनाओं के लिये सहायता स्वरूप क्या राशि दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कक्कन : मद्रास राज्य के एक घाटे वाला राज्य होने की दृष्टि में मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं के लिये इसे अपेक्षतया अधिक वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसी कारण मद्रास को हमने गत वर्ष रु० १,३८,८५,५६५ का ऋण और रु० ६,४९,७३६ का अनुदान दिया था । विभाजन के पश्चात उन्होंने आंध्र और शेष मद्रास राज्य के बीच हुए समझौते के आधार पर योजनायें भेजी हैं । अब हमने मद्रास सरकार को अगले वर्ष के प्रस्ताव अर्थात् आंध्र और शेष मद्रास के पृथक पृथक प्रस्ताव भेजने के लिये लिखा है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार के पास दक्षिण पेन्नार नदी की धारा का सथानूर और कृष्णागिरि नामक परियोजनाओं के अधीन उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, मुझे पता नहीं कि क्या इनको मद्रास को दिये जाने वाले प्रस्तुत अनुदानों में लिया गया है या नहीं । मुझे पता नहीं कि क्या उन्होंने वह योजना भेजी है या नहीं ; उसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : मंत्री जी द्वारा दिये गये इस प्रश्न के उत्तर की दृष्टि में, मैं जान सकता हूं कि इन छोटी मोटी योजनाओं के लिये मद्रास राज्य को कुल कितना अनुदान देना विचाराधीन है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अपने उत्तर में मैंने बताया था कि गत वर्ष हमने ऋण के रूप में मद्रास को १·३८ लाख रुपये दिये थे। अगले वर्ष भी तत्समान राशि दी जायेगी। उनके द्वारा केन्द्र के पास भेजी गई योजनाओं के स्वरूप पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। हम मद्रास की यथाशक्ति सहायता करना चाहते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस तथ्य की दृष्टि में कि मद्रास राज्य के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई बड़ी सिंचाई योजना नहीं है, क्या सरकार छोटी मोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मद्रास के ऊपर सहानुभूति पूर्वक ध्यान देगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केन्द्र मद्रास के ऊपर सदैव सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देता है ।

गुंटूर रेलवे स्टेशन

*११७३. **श्री एम० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुंटूर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन से पूर्व वाले रेलवे पुलों के नीचे के रास्तों को चौड़ा करने के लिये प्रश्न पर कुछ निर्णय किया गया है, जिससे दोनों ओर से आवागमन हो सके ; तथा

(ख) काम कब शुरू होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् । यह निश्चय किया गया है कि गुंटूर रेलवे स्टेशन के पास के दोनों पुलों को, गुंटाकल-बैजवाड़ा की छोटी लाइन वाले पुल को और गुंटूर-तेनालिकी बड़ी लाइन वाले पुल को, चौड़ा किया जाये ।

(ख) जब नगरपालिका योजना तथा प्राक्कलन के विषय में अपनी स्वीकृति भेज देगी और प्राक्कलित लागत का अपना अंश जमा कर देगी ।

सोनपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

*११७४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिवर्ष अनेकों दुर्घटनायें होती हैं ;

(ख) १९५२ और १९५३ में (अक्टूबर तक) सोनपुर रेलवे यार्ड को पार करने में कितने व्यक्ति हताहत हुए ; तथा

(ग) सरकार इस विषय में क्या पग उठाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सोनपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या १९५२ में २० और १९५३ में (अक्टूबर तक) १५ थी ।

(ख) १९५२ में ३ मरे और १९५३ में (अक्टूबर तक) दो । कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में बताई गई मृत्युएं अनधिकार प्रवेश के कारण हुई । रेलवे प्रशासन से कहा गया है कि स्थानीय नागरिक अधिकारियों के साथ परामर्श कर के अनधिकार प्रवेश समाप्त करने के साधनोपायों पर विचार करे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण की ओर जाने के

लिये और कोई रास्ता नहीं है और लोगों को रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है ?

श्री शाहनवाज खां : एक पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है । परिस्थिति के अनुकूल होते ही हम उसे बना देंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ऊपरी पुल बनाने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया था कि ऊपरी पुल ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उन्होंने बताया कि ऊपरी पुल बनाना विचाराधीन है । उसे बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : अब तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है । अपनी वित्तीय स्थिति सुधरते ही हम पुल बना देंगे ।

पण्डित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि सोनपुर स्टेशन पर काम करने वाले रेल-पदाधिकारियों का एक सम्बन्धी भी दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान्, रेल-पदाधिकारियों के सम्बन्धी दुर्घटनाओं से मुक्त नही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि माननीय मंत्री ने बताया था कि वे अनधिकार प्रवेश करने वाले थे । क्या रेल-पदाधिकारियों के संबन्धी भी अनधिकार प्रवेश करने वाले माने जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : स्टेशन मास्टर का एक छोटा लड़का रेलवे पटरी पर लापरवाही के साथ चल रहा था और वह गाड़ी के नीचे आ गया ।

खड़गपुर में रेलवे हाई स्कूल

***११७७. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर (पूर्वी रेलवे) स्थित रेलवे इंडियन हाई स्कूल को इंटर कालेज बनाने के लिये कुछ प्रयत्न किया गया है :

(ख) यदि किया गया है, तो क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ;

(ग) १९५३-५४ में इसके लिये अस्थायी रूप से कितनी राशि निश्चित की गई है ;

(घ) क्या कालेज के लिये स्कूल भवन में कुछ विस्तार करने का विचार है ; तथा

(ङ) आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों का प्राक्कलन ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख): विषय विचाराधीन है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) तथा (ङ): अभी विवरण तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस कालेज को पूर्णरूपेण कला तथा विज्ञान कालेज में बदल दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, पूरी बात विचाराधीन है । जब मैं स्कूल खोलने गया था, तो माननीय सदस्य मेरे साथ थे और मुझ से कहा गया था कि इसे इंटर कालेज बना दिया जाये । विषय विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या आगामी आयव्ययक में इस प्रस्ताव को ले लिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं अभी हाल तो नहीं बता सकता । अभी यह बात विचाराधीन है ।

होम्योपैथी

*११७८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **स्वस्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अनुसन्धान और प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

(ख) होम्योपैथी के विषय में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने में मन्दगति का क्या कारण है ?

(ग) इस मामले में शीघ्रता लाने के लिये सरकार क्या करने का विचार करती है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). सदन-पटल पर विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, विवरण से पता चलता है कि भारत की चिकित्सा परिषद् को एक निर्णय पर पहुंचने में १ १-२ वर्ष लगा, और वह भी सर्वसम्मत नहीं था। मामला पुनः केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् को सौंपा गया। वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। अब इसे फरवरी १९५४ तक स्थगित कर दिया गया है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस मामले पर निर्णय करने के लिये सरकार को कितनी देर लगेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केवल वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की परिषद स्थापित करने का सरकार का कोई इरादा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान् जी, स्वास्थ्य परिषद् में सदस्य अथवा राज्यों के मंत्री हैं और परामर्शदाता भी बैठक में आते हैं। परिषद में, पिछले साल, कोई निर्णय नहीं हुआ। इसीलिये मामला आगामी बैठक के लिये रखा गया, और मुझे आशा है कि अगली बैठक में पक्का निश्चय किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : योजना आयोग की सिफारिशों में से तीन ऐसी हैं जो सरकार द्वारा और परामर्श के बिना ही अपनाई जा सकती हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने औषध-निर्माण, होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय औषधि परिषद् की स्थापना और अनुसन्धान की सुविधाओं के मामले में कुछ किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, एक तदर्थ समिति बनाई गई थी और उसने योजना आयोग की सिफारिशों पर विचार किया। उसने योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई कई बातों के बारे में अपनी सिफारिश की। ये भारत सरकार के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही इस का निर्णय हो जाएगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में चिकित्सकों की बहुत-अधिक आवश्यकता है ? यही कारण है कि देशी चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सरकार अपना रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन दोनों चिकित्सा-पद्धतियों के चिकित्सक तैयार करने के बारे में क्या शीघ्र कार्यवाई करेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, सब संभव उपाय किये जा रहे हैं।

सिंगरेनी की कोयला खानें

*११७९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ९ और १५ अक्तूबर १९५३ को क्रमशः सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी कोठागुडियम की ढलान संख्या ३ और ४ पर हुई घातक दुर्घटनाओं के कारण;

(ख) वर्ष १९५२ में और प्रथम जनवरी से १५ नवम्बर १९५३ तक सिंगरेनी विभाग की खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) १५ अक्तूबर १९५३ को कोठागुडियम कोयला खान में कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई । ९ और १४ अक्तूबर को दो घातक दुर्घटनाएं हुई थीं, जो स्तम्भ उड़ाने वाले क्षेत्रों के समीपवर्ती स्तम्भों के बराबर से कोयले के गिरने के कारण हुई थीं ।

(ख) १९५२ में २० । पहली जनवरी से १५ नवम्बर १९५३ तक ८ ।

(ग) तथा (घ) । जी, हां । निरीक्षण प्राधिकारियों ने दोनों दुर्घटनाओं को अनहोनी के कृत्य लिखा है, क्योंकि जांच से पता चला है कि वहां कोई असावधानी नहीं हुई थी और किसी व्यक्ति को उनके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या निरीक्षक ने स्वयं खान में दुर्घटना के स्थान पर जाकर निरीक्षण किया था, अथवा नक्शे की सहायता से बाहर ही ।

श्री वी० वी० गिरि: निरीक्षक प्राधिकारी दुर्घटना स्थल पर ही गये थे ।

श्री टी० बी० विट्ठल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या दुर्घटना क्षेत्र निरीक्षण पूर्ण होने तक तारों द्वारा घेरा गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा अवश्य हुआ होगा परन्तु मेरे पास इस के सम्बन्ध में यहां पक्की जानकारी नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि कोठागुडियम में पिछले तीन महीनों में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या सरकार इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये जांच-न्यायालय नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता । वे इन मामलों के विषय में बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन दुर्घटनाओं की जांच करने के निमित प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति कब स्थापित की जाएगी ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि कोलार-स्वर्ण-क्षेत्रों के प्राधिकारी, इंजीनियर इस मामले की जांच कर रहे हैं और हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हैं । तत्पश्चात हम यथावश्यक कार्यवाही करेंगे ।

आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र

***११८०. श्री बादशाह गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्बन्धी सरकारी सहायता प्राप्त कितने गवेषणा केन्द्र तथा प्रयोगशालायें हैं और प्रत्येक को कितनी धन राशि मिलती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : केन्द्रीय सरकार से सहायता पाने वाले अनुसन्धान केन्द्रों और प्रयोगशालाओं की संख्या एक विवरण में दी गई है जो सदन-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९].

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन अनुसन्धान केन्द्रों अथवा प्रयोगशालाओं में से कोई पूर्णतया सरकारी खर्च पर चलाई जाती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, मुझे पता नहीं है । पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा,

बम्बई, मध्य भारत तथा दिल्ली में कुछ केन्द्र हैं, जिनका उद्देश्य अनुसंधान करना है और उन्हें सरकारी सहायता दी जाती है, परन्तु मुझे इस बात का पता नहीं है कि आया वे मुख्यतया सरकार द्वारा ही चलाये जाते हैं या नहीं ।

श्री बादशाह गुप्त : अब तक किये गये प्रयोगों के फल स्वरूप क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन केन्द्रों के साथ कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी लगाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे ठीक पता नहीं है, परन्तु संभवतः इन केन्द्रों के साथ कोई ऐसा अस्पताल होगा जहां अनुसन्धान किया जा रहा हो ?

श्री केलप्पन : क्या सरकार मालाबार में केन्द्र खोलने का विचार कर रही है, जहां की पद्धति अद्वितीय है और जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत अधिक विकसित है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

सौराष्ट्र में संचरण

*११८२. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सौराष्ट्र में तार अथवा टेलीफोन का संवार बढ़ाने की कोई योजना है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सौराष्ट्र में १३ प्रमुख ऐक्सचेंजों में से ९ को पहले ही पुनः चालू किया जा चुका है । बाकी चार ऐक्सचेंज भी शीघ्र ही पुनः चलू किये जायेंगे और उन्हें बाहर टेलीफ़ोन करने की सुविधाएं भी दी जाएंगी । जहां उचित होगा वहां तार तथा टेलीफोन की सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी ।

डा० जे० एन० पारिख : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि जामनगर और मौरवी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नगरों में जहां अभी केवल सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय हैं, वैयक्तिक अभिदाताओं को बाहर टेलीफोन करने के कनेक्शन कब दिये जायेंगे ?

श्री जगजीवन राम : जी, हां । शीघ्र ही उन्हें भी चालू किया जायगा ।

डा० जे० एन० पारिख : क्या मैं सौराष्ट्र में वर्तमान ग्राम्य-टेलीफोनों के सम्बन्ध में सरकार की नीति जान सकता हूं ?

श्री जगजीवन राम : बहुत सी छोटी रियासतें सौराष्ट्र में विलीन हो गई हैं, और उनके पास अपने प्रशासन कार्य के लिये एक लाइन वाली टेलीफोन पद्धति होती थी, जो थोड़े अन्तर तक काम करती थी और दूर के स्थान पर काम करने में असमर्थ थी । इस समय हमने वे ग्राम्य-ऐक्सचेंज सौराष्ट्र सरकार को सौंप दिये हैं और वे इसे चला रहे हैं । उन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च सौराष्ट्र सरकार द्वारा झेला जायगा । मैं नहीं समझता कि हमारे लिये उन सब ६० से अधिक की संख्या वाले ग्राम्य-ऐक्सचेंजों को अपने हाथ में लेना संभव होगा ।

दिबरुगढ़ का रेलवे का कारखाना

*११८५. **श्री बली राम दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिबरूगढ़ रेल के कारखाने से कुछ मूल्यवान मशीनें हटा ली गई हैं, और यदि यह बात ठीक है , तो ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि रेलमंत्री ने जब वह हाल मे आसाम का दौरा कर रहे थे यह आश्वासन दिलाया था कि दिबरूगढ़ रेलवे के कारखाने का शीघ्र विकास किया जायेगा ?

(ग) यदि यह सच है, तो क्या कार्यवाई की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) जी, हां । समस्त पूर्वोत्तर रेलवे को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिये इन मशीनों के उपयोग का समाधान आवश्यक है, और इस व्यवस्था के एक अंग के रूप में दिबरूगढ़ में दूसरी मशीनें लगाने का विचार किया गया है।

(ख) दिबरूगढ़ के रेलवे के कारखाने के बारे में रेल मंत्री के आश्वासन का निर्देश इस मशीन के स्थाई रूप से यहां स्थापित करने, तथा जब कभी रेलवे को आवश्यकता हो तो इसका अधिक विकास करने, तथा व्यापार शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिये बर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने की ओर था ।

(ग) प्रशिक्षण सुविधाओं के कतिपय विस्तार की योजना की जा रही है । जब कभी ऐसा आवश्यक समझा जाये तो और अधिक विकास भी किया जायेगा ।

श्री बेली राम दास : क्या सरकार ने कारखाने के विकास के लिये कोई योजना बनाई है, तथा कोई लक्ष्य निश्चित किया है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैंने कहा, व्यापार शिशिक्षुओं की प्रशिक्षण सुविधाओं के विषय में कुछ योजनायें हैं ।

श्री बेली राम दास : क्या यह सच है कि दिबरूगढ़ रेल के कारखाने से हटाई गई कुछ मशीनें नई थीं, और बिल्कुल ठीक थीं और उनकी इस कारखाने में आवश्यकता थी ? यदि ऐसी बात है तो सरकार ने उन्हें क्यों वहां से हटाया ?

श्री अलगेशन : वास्तव में, यह दो अथवा तीन विशिष्ट मशीनें अस्थाई रूप में दिबरूगढ़ के रेलवे के कारखाने में लगाई गई थीं । और ज्यों ही स्थान मिले, त्यों ही उन्हें गोरखपुर लिये जाने का इरादा था । जब गोरखपुर में स्थान मिल गया, तो उन्हें वहां से हटाया गया ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मंत्री महोदय के पास अभ्यावेदन भेजे गये थे, उनको तार भेजा गया था कि मशीनें दूसरी जगह न भेजी जायें, परन्तु फिर भी दिबरूगढ़ से मशीनें हटाली गईं ?

श्री अलगेशन : जी, नहीं । मंत्री जी के पास एक अभ्यावेदन आया था, परन्तु मंत्री जी के लिये हस्तक्षेप करना संभव नहीं था, क्यों कि मशीनें पहले ही भेजी जा चुकी थीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि बहुत से स्नातक विद्यार्थी उस कारखाने में उच्च प्रशिक्षण पाने के लिये प्रविष्ट हुये थे, परन्तु इन मशीनों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप वे उच्च प्रशिक्षण की सुविधाओं से वंचित हो गये ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । माननीय सदस्य को गलत जानकारी मिली है ।

काठमण्डू और दिल्ली के बीच तार

*११८३. **श्री भागवत झा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली और काठमण्डू के बीच सीधी बेतार के तार की लाइन स्थापित की जा रही है ;

(ख) क्या लाइन का कार्य-संपादन नेपाल सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया जायगा, अथवा भारतीय डाक तथा तार सेवाओं द्वारा; और

(ग) इस निर्माण पर लागत ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह सीधा सम्बन्ध पहली दिसम्बर, १९५३ से ही स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) इन दो स्टेशनों पर पहले से वर्तमान भारत डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी इस नवीन लाइन, अर्थात् काठमंडू नई दिल्ली लाइन पर काम कर रहे हैं ।

(ग) किसी निर्माण के लिये कोई अतिरिक्त लागत नहीं आई है, क्योंकि वर्तमान मशीनों में थोड़ी अदल-बदल करके उनका ही प्रयोग किया गया है ।

श्री भागवत झा : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नेपाल में डाक संचार को अधिक विस्तृत करने की जिम्मेदारी ली है ?

श्री जगजीवन राम : यदि उनको किसी शिल्पिक सलाह की आवश्यकता हो, तो हम उन्हें देने के लिये तैयार हैं ?

श्री भागवत झा : क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ प्राधिकारी विकास सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये नेपाल जे गये हैं ?

श्री जगजीवन राम : मेरा विचार है कि एक या दो प्राधिकारी वहां हैं ।

रेल कर्मचारियों की आहति

*११८७. **श्री फ्रंक एन्थनी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में क़ाबू से बाहर हुए विद्यार्थियों और जन-समूहों द्वारा कितनी बार गाड़ियां रोकी गई हैं ।

(ख) कितने मामलों में रेल कर्मचारी आहत हुये ?

(ग) रेल के कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४२६ बार ।

(ख) १० मामलों में ।

(ग) जब उपद्रव की संभावना होती है, तो यथावश्यकता गाड़ियों में रेल संरक्षण पुलिस, सरकारी रेल पुलिस अथवा सशस्त्र पुलिस गार्डज़् का उपबन्ध किया जाता है ।

श्री फ्रंक एन्थनी : क्या यह सच है कि जहां कहीं पुलिस संरक्षण का प्रबन्ध भी किया जाता है, वहां भी रेल के कर्मचारियों को चोटें आ जाती हैं, और क्या ऐसे भी मामले हैं, जहां इन पुलिस संरक्षण दलों के होते हुए भी रेल कर्मचरी आहत हुये ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे के लिये इस समस्या को सुलझाना वास्तव में एक कठिन काम है, क्योंकि प्रदर्शन अथवा रेलगाड़ियों को रोक लिया जाना मुख्यतया विधि और व्यवस्था की समस्या है, और यह पूर्णतया एक रेलवे समस्या नहीं है । रेल कर्मचारियों के संरक्षणार्थ पुलिस के कुछ सिपाहियों के होते हुए भी, जन-समूह इतने बड़े हो सकते हैं कि ये छोटे संरक्षण दल भी उनको अधिक सहायता देने में असमर्थ रहें ।

रेल कर्मचारियों को देयों का भुगतान

*११८८. **श्री फ्रंक एन्थनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि जो रेल कर्मचारी रिटायर (सेवा-निवृत) होते हैं उनको उनके देयों के भुगतान पाने के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; तथा

(ख) क्या सरकार रिटायर हुए रेल कर्मचारियों के देयों के भुगतान करने के लिये कोई कालावधि निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उन कर्मचारियों के जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है स्थापना देयों के भुगतान की व्यवस्था,

कुछ प्रारम्भिकताओं, जैसे नौकरी का प्रमाणीकरण, सरकार पर बाकी देयों का वसूल करना, क्वार्टरों का खाली करना, मृतक कर्मचारियों आदि के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना इत्यादि के पूरा हो जाने के बाद ही की जाती है। जहां कहीं किसी भी कारणवश इन प्रारम्भिकताओं में समय लगता है, भुगतान में विलम्ब हो जाता है। स्थापना देयों के शीघ्र भुगतान के सम्बन्ध में रेलवे में एक विशेष आन्दोलन चलाया गया है ।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार वे रिटायर होने वाले कर्मचारी जो रिटायर होने तक के समय के अवकाश पर जाते हैं, कुछ मामलों में अपनी संचित भविष्य निधि में से ९० प्रतिशत तक निकाल सकते हैं तथा उनके अन्तिम रूप से नौकरी छोड़ने के दो मास के अन्दर अवशेष का भुगतान भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भुगतानों में विलम्ब होने के कुछ मामले भी हुए हैं। किन्तु अविलम्ब भुगतान कर देने की व्यवस्था करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह तथ्य नहीं है कि ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें कर्मचारियों के रिटायर होने के तीन वर्ष से लेकर नौ वर्ष बाद तक हो जाने के बाद भी भविष्य निधि आदि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ मामलों में ऐसी बात हो सकती है, किन्तु ऐसा हमारे वश के बाहर के कारणों से हुआ होगा क्योंकि इस प्रकार के अधिकांश मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों का उन स्थानों से जो अब पाकिस्तान में आ गये हैं, स्थानान्तरण हो गया है तथा कुछ अत्याधिक आवश्यक सूचना जो देयों के भुगतान के लिए अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हो रही है ।

श्री यू० एस० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं वरन् भारत के लोगों को भुगतान के लिये नौ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

श्री शाहनवाज खां : विशेष कारणों के विना नहीं । इसके लिये विशेष कारण रहे होंगे, किन्तु यदि माननीय सदस्य मंत्रालय की सूचना में कोई विशिष्ट मामले लायेंगे, तो हम उन की जांच करेंगे ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान से कोई विवरण प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्या सरकार ने झगड़ों के निवटाये जाने के लिये कोई कालावधि निश्चित कर दी है ?

श्री शाहनवाज खां : हम पाकिस्तान सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि संभव है कि पाकिस्तान सरकार कोई विवरण न भी दे और इसीलिये क्या सरकार ने कर्मचारियों के लाभ को दृष्टि में रखते हुए इन दावों का निबटारा एक निर्धारित समय के अन्दर कर दिये जाने के लिये कोई कालाविधि निश्चित नहीं की है ।

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान्, मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या सरकार सदनपटल पर उन मामलों का जिनका निबटारा पिछले तीन वर्षों से नहीं किया गया है एक विवरण रखने को प्रस्तुत है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो ऐसा कर दिया जायेगा ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि यह सत्य नहीं है कि मैं माननीय मंत्री की सूचना में एक ऐसे कर्मचारी का मामला लाया था जिसमें ये सभी प्रारम्भिकतायें पूरी कर दी गई थीं, और तब भी उस मामले में उस कर्मचारी को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : उस मामले में माननीय सदस्य विश्वास रखें कि मामला बहुत शीघ्र तय कर दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में पटसन का उत्पादन

*११८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के गुण-प्रकार सम्बन्धी विशेयज्ञ समिति की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में उत्पादित पटसन को निम्न श्रेणी का बताया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पटसन को अच्छी किस्म का बनाने के लिये सरकार का क्या योजना जारी करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जूट के गुण-प्रकार सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम जूट पैदा होता है परन्तु उत्तर प्रदेश के जूट की सामान्य किस्म, जिसका निर्धारण जूट मिलों द्वारा निश्चित किया जाता है, घटिया जान पड़ती है ।

(ख) उत्तर प्रदेश के जूट की किस्म में सुधार करने के लिये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ३२० पटसन दबाने के काम में लाये जाने वाले तालाब खदवाने तथा उत्पादकों को वितरण के लिये उन्नत प्रकार के जूट के बीज उत्पन्न करने के लिये एक फार्म खोलने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये कहा है । उत्तर प्रदेश की सरकार से जोतने और बोने के कार्य के लिये उर्वरकों बीज बोने वाली मशीनों तथा पहियेदार पटेलों के उपयोग को लोक प्रिय बनाने के लिये कहा गया है । उससे पौदों के संरक्षण सम्बन्धी उपायों को संगठित करने के लिये भी कहा गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में सन के उत्पादन के वास्ते हमारी सरकार क्या पग उठा रही है ?

श्री किदवई : यह सवाल तो जूट के बारे में था ।

बागान श्रम अधिनियम

*११९०. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि चाय के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बागान श्रम अधिनियम, १९५१ को अब कार्यान्वित किया जायेगा ; तथा

(ग) यदि हां, तो उसके कार्यान्वित किये जाने की तिथि ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) चालू वर्ष में चाय के मूल्य सन् १९५२ के मूल्य की तुलना में अवश्य बढ़े हैं ?

(ख) तथा (ग)। अन्य चीज़ों के साथ, बागान श्रम अधिनियम, १९५१ को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये शीघ्र ही एक त्रिदलीय बागान समिति की बैठक बुलाई जा रही है । इस सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या इस सदन द्वारा पारित

किया गया अधिनियम उन मालिकों की स्वेच्छा पर निर्भर है जिन को उनके कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में समवेत किये गये एक सम्मेलन में भाग लेना होगा ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पिछले अप्रैल से चाय के मूल्य इतने अधिक बढ़ रहे हैं कि ८० प्रतिशत चाय बागानों ने पिछले वर्ष अर्थात् सन् १९५२ की फसल से जो कि संकट का वर्ष था, लाभ उठाया है ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार इस कार्य को कार्यान्वित करने की इच्छुक है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : हम उस इच्छा को किस प्रकार जान सकते हैं क्या वह इसे शीघ्र ही करवा देगी ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है कि सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री वेंकटारमन् : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि बागान श्रम अधिनियम को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने का कारण मूल्यों का गिरना है?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, श्रीमान।

श्री वेंकटारमन् : मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि क्या सरकार किसी कार्य-पालिका कार्यवाही के अनुसार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में विलम्ब कर सकती हैं, जिसे वास्तविक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् ही पारित किया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : नियम बनाने होंगे। वे अभी तक बनाये नहीं गये हैं अत: कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ है। विशेषकर इस तथ्य के कारण कि वहां निरुत्साह था तथा एक दल इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था। इन सब बातों के कारण विलम्ब हो गया था और अब हम स्थिति का सामना कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि सदन द्वारा पारित किये गये किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये श्रम विभाग के पास क्या मशीनरी है--विशेषकर बागान श्रम अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पहले ही वह कारण बता चुका हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सका।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

*११९१. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम सम्बन्धी कार्य की जांच करने के लिये प्रादेशिक समितियों की स्थापना करने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के कार्य क्या होंगे ?

(ग) क्या बिहार के लिये प्रादेशिक समिति की स्थापना की जा चुकी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां। बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रादेशिक समितियां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) इन समितियों का कार्य है केन्द्रीय पर्षद् को उन मामलों में जिनको केन्द्रीय पर्षद् उन्हें निर्दिष्ट करे परामर्श देना है।

(ग) जी हां।

श्री सत्येन्द्र नारायाण सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार में सदस्य चुने जा

चुके हैं तथा उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : श्री आर० एस० हेग्डे, आई० ए० एस०, सचिव, बिहार सरकार सभापति, श्री वी० पी० सिंह, श्री एच० प्रसाद, श्री आर० एस० मोदी, श्री एच० डी० विष्णु, श्री के० डी० फिलिप, श्री विस्वान सिंह, श्री बीरेन राय तथा श्री एम० जोन ।

नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी

*११९२. **श्री वल्लाथरास :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागरिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य करने के विशिष्ट घंटे हैं तथा साप्ताहिक छुट्टी होती है ?

(ख) क्या उपर्युक्त कर्मचारियों के कार्य के घंटों को १२ से घटा कर ८ घंटे प्रतिदिन कर देने का कोई प्रस्ताव है ?

(ग) क्या इन कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) । नागरिक उड्डयन विभाग में सेवायुक्त केवल कुछ चौकीदारों को छोड़ कर शेष सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सामान्य दफ्तर के घंटों के अनुसार कार्य करते हैं तथा उनको साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती है । चौकीदारों को सामान्यतः ८ घंटे तक सचेत रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है किन्तु कुछ मामलों में कार्यकरण सम्बन्धी अपेक्षिताओं के कारण उन्हें १२ घंटे तक ड्यूटी देनी पड़ती है किन्तु ऐसे सभी मामलों में ड्यूटी के स्थान के निकट ही रहने के स्थान की व्यवस्था भी की गई है तथा ड्यूटी के समय में उन्हें केवल उस निवासस्थान में उपस्थित ही रहना पड़ता है; इस से उन पर कोई आनुपातिक अतिश्रम नहीं पड़ता है । फिर भी उनको चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के स्तर पर लाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) नागरिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक इस लाभ को विस्तृत करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री वल्लाथरास : क्या नागरिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति का पता लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये ?

श्री जगजीवन राम : सम्भव है किया गया हो, किन्तु सरकार का विचार है कि समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि योजना से लाभ उठाने की सुविधा दे दी गई है, तथा यह सुविधा नागरिक उड्डयन विभाग को नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगजीवन राम : डाक तथा तार विभाग के केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही भविष्य निधि में अंशदान देने का अधिकार दिया गया है । अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रश्न, जिनमें निश्चय ही नागरिक उड्डयन विभाग भी सम्मिलित है, विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : मेरा यह प्रश्न नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि यह सुविधा डाक तथा तार विभाग में दी गई है परन्तु उसी मंत्रालय के नागरिक उड्डयन विभाग में इसे दिया जाना अस्वीकृत कर दिया गया है । मेरा प्रश्न यह है कि उसी मंत्रालय के तथा उसी श्रेणी के कर्मचारियों में इस प्रकार का विभेद करने का क्या कारण है ?

श्री जगजीवन राम : विभेद करने का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। डाक तथा तार विभाग के प्रश्न पर विचार किया गया था और वह तय भी हो गया है। अन्य सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रश्न भी, चाहे वह संचरण मंत्रालय के हों अथवा अन्य मंत्रालय के हों, जांच की जा रही है।

चीनी के मूल्य

*११९३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अक्तूबर तथा नवम्बर, १९५३ के महीनों में चीनी के मूल्य बढ़ गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अक्तूबर, १९५३ में चीनी के औसत मूल्य सितम्बर १९५३ की तुलना में कम थे। नवम्बर में उनमें कुछ वृद्धि हुई थी किन्तु अब वे पुनः गिर गये हैं।

(ख) मूल्यों की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिये चीनी की यथेष्ट मात्रा आयात करने का निश्चय किया गया था, तथा भारत में १५ दिसम्बर १९५३ तक मिलों द्वारा उत्पादित चीनी को भी खुले बाज़ार में विक्रय के लिये भेज दिया गया था।

श्री विभूति मिश्र : क्या बाहर से चीनी मंगाने से देश के चीनी व्यवसाय का नाश नहीं हो जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न उत्तर

हीराकुड बांध में दरार

८. **श्री लोक नाथ मिश्र** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान "ब्लिट्ज" के १२ दिसम्बर, १९५३ के अंक में शीर्षक '३० करोड़ के हीराकुड बांध में दरार' के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना की ओर आकर्षित किया गया है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि बांध खराब पाई गई है क्योंकि उसके नीचे की चटानें भली प्रकार जोड़ी नहीं गई थीं और जिसके परिणामस्वरूप बांध के नीचे पानी धीरे-धीरे रिसने लगा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु नींव की सफाई करते समय कुछ भाग को जो पिछली बार काम करते समय कंकरीट से ढका नहीं गया था तथा जिसमें कुछ दरारें इत्यादि देखी गई थीं उड़ा देना आवश्यक समझा गया। नींव की मरम्मत करने के सामान्य तरीकों के अनुसार उन खराबियों को ठीक किया जा रहा है ; कुछ स्थानों पर चटान को उड़ाकर अच्छी चटान तक पहुंचा जा रहा है तथा किन्हीं स्थानों पर उसकी सफाई करके उसमें छेद करके तथा उसको जोड़ कर ठीक किया जा रहा है। कंकरीट को उड़ाया नहीं गया था किन्तु पास में चट्टान के उड़ाये जाने के परिणामस्वरूप उसके कुछ भाग को हटाया गया था। नींव सम्बन्धी यह समस्याएं ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता है।

श्री लोकनाथ मिश्र : यह तथ्य कि इसमें कुछ दोष थे जिसको दूर किया जा रहा था, सरकार की सूचना में कब लाया गया था ?

श्री हाथी : वास्तव में इस में कोई दोष नहीं था । यह सूचना कि चट्टान मुलायम तथा रंध्रमय थी, सरकार को अप्रैल १९५२ से ही ज्ञात थी तथा इसी कार्य के लिये संसार प्रसिद्ध विशेषज्ञ डा० सेवेज से परामर्श लिया गया था कि इस प्रकार की चट्टान का क्या प्रबन्ध किया जाये ।

श्री लोक नाथ मिश्र : क्या यह तथ्य नहीं है कि आयंगर नामक इंजीनियर ने इस बात के सम्बन्ध में हीराकुड नियन्त्रण पर्षद् का पिछली बैठक में ध्यान आकर्षित किया था और इस से पूर्व सरकार इसके विषय में नहीं जानती थी ।

श्री हाथी: जी नहीं, श्रीमान् । जैसा मैंने निवेदन किया, निर्माण कार्य में कोई खराबी नहीं थी । यह तथ्य कि चट्टान मुलायम थी, वहां के इंजीनियरों को ज्ञात था । अतः वर्तमान इंजीनियर द्वारा पर्षद् की सूचना में यह कोई खराबी नहीं लाई गई थी । उसने जो कुछ किया वह था मुलायम चट्टान को उड़ा देना ।

श्री मेघनाद साहा : क्या हीराकुड में कंकरीट की भौतिक तथा रासायनिक परीक्षा करने का कोई प्रबन्ध है अथवा यह कार्य अस्त व्यस्त रूप से किया जाता है ?

श्री हाथी : कंकरीट की परीक्षा के लिये वहां प्रबन्ध है किन्तु यहां कंकरीट की परीक्षा करने का प्रश्न नही है वरन् कंकरीट कुटवाने से पूर्व ठोस चट्टान को प्राप्त करने का है ।

श्री मेघनाद साहा : प्रश्न कंकरीट में दरारों के होने का था । यह सामान्यतः कंकरीट पर पानी के प्रभाव से हो जाती है । अतः प्रारम्भिक अवस्थाओं में कंकरीट की बड़ी सावधानी से जांच की जाती है, दोनों ही प्रकार से भौतिक एवं रसायनिक प्रकार से क्या यह सब कुछ किया गया था ?

श्री हाथी : कंकरीट की भौतिक एंवं रसायनिक दोनों प्रकार से जांच की जा रही है । किन्तु स्वयं कंकरीट में कोई भी दरार नहीं थी ।

श्री लोक नाथ मिश्र : क्या श्री आयंगर ने नियन्त्रण पर्षद को कोई प्रतिवेदन भेजा था ?

श्री हाथी : जी हां, श्री आयंगर ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

श्री लोक नाथ मिश्र : क्या सरकार इस को सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाथी : मेरे पास प्रतिवेदन की प्रतिलिपि नहीं है किन्तु मैं अन्य अभिलख से उद्धरण देकर यह बता सकता हूं कि इसके विषय में उनका क्या विचार है । मैं सदन के सूचनार्थ इसे पढ़ता हूं ।

"ऐसी दरारें तुंगभद्रा में और मैट्टूर में थीं तथा हीराकुड के कुछ भागों में इन को पहले ही ठीक किया जा चुका है । खराब चट्टानों को निकाल कर तथा उन चट्टानों को जिनको इस प्रकार जोड़ने से सुरक्षित किया जा सकता हो ठीक प्रकार से जोड़ कर ठीक किया जा सकता है । यह किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है ।

वहां कोई भी असाधारण अथवा कठिन समस्या नहीं है तथा इस कार्य की प्रगति अथवा कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

ऐसा उनका कहना है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दुग्ध-चूर्ण उत्पादन संयंत्र

***११५१. श्री राधा रमण** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी

कि क्या यह तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष ने कुछ धन राशि भारत में एक छोटा सा दुग्ध-चूर्ण उत्पादन संयंत्र का प्रावधान करने के लिये स्वीकृत की है ?

(ख) स्वीकृत धन राशि कितनी है ?

(ग) यह संयंत्र कहां स्थापित किया जाने को है ?

(घ) प्रति दिन कितने दुग्ध-चूर्ण उत्पादन की प्रत्याशा है ?

(ङ) क्या इस संयंत्र की स्थापना के लिये कोई प्रविधिक सहायता भी दी जा रही है ?

(च) क्या यह दुग्ध-चूर्ण निःशुल्क वितरित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष ने बम्बई राज्य में एक दुग्ध अधिरक्षण संयंत्र के प्रदाय तथा उपकरणों के लिये २,२५,००० डालर आवंटित किये हैं। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष तथा सरकार की संयुक्त इच्छा आनन्द में प्रस्थापित नई डेरी के विस्तार के रूप में दुग्ध-चूर्ण उत्पादन के लिये एक दुग्ध निरोगन (पैस्चुराईज़ेशन) तथा शीकर (स्प्रे) शोषक सहित उपोत्पाद संयंत्र स्थापित करने तथा बम्बई महा नगरी में किसी रेलवे साइडिंग के पास दुग्ध को बोतलों में भरने के लिये एक शीत संग्रह स्थापित करने की है।

(घ) शुष्क दुग्ध केवल समृद्ध मौसम में ही (अक्तूबर से मार्च) जब कि अतिरेक दुग्ध उपलब्ध होता है उत्पादित किया जा सकता है। शुष्कीकरण संयंत्र की प्रदाय-दर २५०० लीटर फेनिल दुग्ध प्रति घंटा तथा ९ प्रतिशत ठोस वस्तुयें, जिन से २७० किलोग्राम चूर्ण (शुष्क आधार) मिलेगा प्रति घंटा होगी।

(ङ) जी हां।

(च) बम्बई में मुफ्त दूध बांटने की वर्तमान योजना के साथ साथ, राज्य सरकार से बच्चों तथा माताओं को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष के अंशदान से डेढ़ गुने मूल्य का दूध मुफ्त वितरित किये जाने की आशा की जाती है। यह वितरण पांच वर्ष तक चलता रहेगा।

सड़क-रेल प्रतियोगिता

***११५४. श्री तुलसी दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि राज्य-स्वामित्व वाले रोडवेज तथा रेलवे में कुछ अपव्ययी प्रतियोगिता विद्यमान है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे से प्राप्त हुई रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों में राज्य स्वामित्व वाले रोडवेज तथा रेलवे में कुछ अपव्ययी प्रतियोगिता है।

(ख) रेल तथा सड़क के अधिक उत्तम सहयोजन के लिये सड़क यातायात विनियमों में एक सिद्धांत तथा प्रणाली संहिता बनाई गई है। इस अपव्यय प्रतियोगिता का निवारण करने के हेतु जो अग्रेतर विशेष कार्यवाहियां की गई हैं उस में यह सम्मिलित है :

(१) राज्य स्वामित्व वाले सड़क यातायात संगठनों में रेलवेज़ द्वारा वित्तीय हित की अवाप्ति।

(२) इन संगठनों के व्यवस्था पर्षदों में रेलवेज़ का प्रतिनिधित्व ।

(३) यात्री यातायात के विषय में राज्य सरकारों तथा रेलवेज़ के प्रतिनिधियों से बनी स्थायी परामर्शदात्री समितियों की स्थापना ।

रेलवे का पुनर्वर्गीकरण

*११५५. **श्री तुलसी दास** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवेज़ के पुनर्वर्गीकरण में अब तक हुई प्रगति ;

(ख) इस पुनर्वर्गीकरण ने बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन के टर्मिनलों पर यातायात सम्बन्धी गतिरोधों को हटाने में कहां तक सहायता पहुंचाई है; तथा

(ग) प्राप्त हुये अनुभवों को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार भारतीय रेलवेज़ के वर्तमान जोन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलवेज़ के पुनर्वर्गीकरण का कार्य उत्तरी, उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी जोनों के बन जाने पर १४-४-१९५२ को समाप्त हो गया ।

(ख) विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और आयव्ययक सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) ऐसी कोई भी प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

*११५६. **श्री ए० के० गोपालन** : (क) क्या **संचरण** मंत्री तार विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन के विरुद्ध सन् १९५२-५३ में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ?

(ख) ऐसे कर्मचारियों में से कितने, यदि कोई, उपरोक्त अवधि में राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण नियमों (१९४९) के अन्तर्गत सेवा मुक्त कर दिये गये हैं अथवा निलम्बित कर दिये गये हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) २०९२ ।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण नियमों १९४९ के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को न तो 'सेवा मुक्त' किया गया है और न 'निलम्बित' ही किया गया है । सन् १९५२-५३ में इन नियमों के अन्तर्गत एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किया गया था, तथा तीन कर्मचारियों को कार्यवाही के समाप्त होने तक के लिये छुट्टी पर चले जाने को कहा गया था ।

मालाबार में पेचिश

*११५७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारत सरकार ने मालाबार में फैली एक प्रकार की पेचिश के कारणों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये किसी चिकित्सा अधिकारी को वहां भेजा है ;

(ख) क्या उस से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख) । आहार पोषण अनुसंधान प्रयोग शाला, कुनूर के एक अधिकारी ने, जिस से घटनास्थल पर जा कर जांच करने को कहा गया था, एक रिपोर्ट भेजी है ।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार, मालाबार में बुरा स्वास्थ्य होने का कारण कुपोषण थे जिसके परिणाम स्वरूप पोषणीय शोक होकर कोष्ठ संसर्ग अध्यारोपित हो गया था और यह अधिकांशतया कैलोरी तथो प्रोटीन तथा बी० काम्पलैक्स बिटामिन की कमी के कारण हुआ था। रोग का सब से अधिक प्रभाव १–५ वर्ष तक की आयु के बच्चों पर पड़ा था और प्रायः सभी घातक मामले इसी आयु-वर्ग में हुये थे। अधिक बड़े आयु वर्गों में भी पेचिश के कुछ केस हुये हैं। परन्तु इन मामलों मे रोग ने अधिक जोर नहीं पकड़ा और उन में कोई मृत्युयें नहीं हुई।

मदरास सरकार ने पीने के जल को कीट शोधित करके, सल्फागुआनिडिन की टिकियों से रोग का उपचार करके तथा दुर्गन्ध–चुर्ण का वितरण कर के रोग का नियंत्रण करने के हेतु तुरन्त कार्यवाही की। प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने अपेक्षित कर्मचारी वर्ग, उपकरणों तथा औषधियों से युक्त एक चलतू चिकित्सा एकक को संगठित करके इस कार्य पर लगाया पोषणीय शोक के कठिन रोगियों का अस्पतालों में इलाज करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की गई। राज्य सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किये जाने के लिये २५०,००० पौंड फेनिल दुग्ध चूर्ण, १००,००० टिकियायें सल्फागुआनिडिन तथा १००,००० बहुविटामिन (मल्टी विटामिन) टिकियायें निःशुल्क प्रदान कीं।

अभ्रक उद्योग के मजदूरों के लिये सरकारी सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना

*११५८. **श्री नाना दास** : क्या **श्रम मंत्री** ७ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि नैलोर ज़िले के अभ्रक उद्योग के मज़दूरों के लिये सरकारी सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के लागू किये जाने में जिस पर कि विचार किया जा रहा था कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : खान के मालिकों के पास एक योजना भेजी गई थी जिसके अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया था कि खानों के मालिक ऐसे मकान बनावें जिनकी लागत प्रति मकान २८० रुपये से अधिक न हो ऐसी दशा में सरकार निर्माण लागत का २० प्रतिशत सहायता के रूप में देगी। उन्होंने कुछ कठिनाइयां बताई हैं जिन को दूर करने के विषय में विचार किया जा रहा है।

हैदराबाद में डाक सेवायें

*११६७. **श्री हेडा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हैदराबाद राज्य की डाक सेवा के भारतीय संघ की सेवा के साथ संविलियन के समय भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह उपकरण जो कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के थे और जिनको बम्बई में तात्कालिक कार्यों में काम में लाये जाने के लिये हटाया जा रहा था जैसे ही हैदराबाद में इस के निमित्त भवन तय्यार हो जायगा लौटा दिये जायेंगे ?

(ख) सैफ़ाबाद एक्सचेंज का भवन कब तक तय्यार हो जायेगा ?

(ग) स्थापित की जाने वाली मशीनों के प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी और इस देर के क्या कारण हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) संविलियन होने के एक वर्ष के पश्चात् सैफ़ाबाद तथा सिकन्दराबाद के स्वंचालित एक्सचेंज की मशीनें प्राप्त हुई थीं। अतः

संविलियन के समय कोई आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं हो सकता है। फिर भी जब बम्बई में तात्कालिक कार्यों में काम में लाये जाने के लिये इस सामान का कुछ भाग ले जाया गया था, तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भवन तय्यार होते ही यह सामान स्थापित कर दिया जायगा। कुछ टेकनीकल अड़चनों के कारण, सामान का वह भाग जो हैदराबाद में प्राप्य हैं, सैफ़ाबाद में संस्थापित नहीं किया जा सकता है तथा जैसे ही भवन तय्यार हो जायगा उसे सिकन्दराबाद में संस्थापित कर दिया जायगा। सैफ़ाबाद के लिये अपेक्षित सामान के, जहां का भवन तय्यार हो गया है तथा जहां पर बिजली लगाने का कार्य हो रहा है मार्च १९५४ तक आ जाने की प्रत्याशा है।

(ख) सैफ़ाबाद टेलीफून एक्सचेञ्ज का भवन अप्रैल १९५३ में तय्यार हो गया था और बिजली लगाने का काम हो रहा है।

(ग) १४०० लाइनों के लिये अपेक्षित उपकरणों के सम्बन्ध में जो दूसरा आर्डर दिया गया है, उसके मार्च १९५४ तक आ जाने की आशा है। उपकरणों के बनाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

अभ्रक की खानें

*११७५. **श्री वीर स्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५३ की कालावधि में आन्ध्र में बन्द हो जाने वाली अभ्रख की खानों की संख्या कितनी है ?

(ख) अभ्रख की खानों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप बेकार हो जाने वाले मज़दूरों की संख्या कितनी है ?

(ग) इस प्रकार बेकार हो जाने वाले अभ्रख की खानों के मज़दूरों को काम देने के क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) । तक अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ३०]**

खानों के कनिष्ठ निरीक्षक

*११७६. **श्री वीरस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक सेवायुक्त किये गये खानों के कनिष्ठ निरीक्षकों की संख्या तथा उनके कर्तव्य तथा योग्यतायें क्या हैं ?

(ख) क्या उनको इंजीनियरिंग तथा खनन कार्य सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) इस समय खानों के दस कनिष्ठ निरीक्षक हैं। वे सभी खानों के इंजीनियर हैं तथा एक को छोड़ कर सभी के पास भारतीय कोयला खान नियम १९२६ के अन्तर्गत जारी किये गये कोयले खान मैनेजरों के प्रथम श्रेणी के दक्षता प्रमाण-पत्र हैं। उनका कार्य खान अधिनियम, १९५२ तथा उस के अन्तर्गत बनाये गये, विनियमों, नियमों, उपविधियों तथा आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में खानों का निरीक्षण करना है।

(ख) जी हां।

मेट्टूर मिल मजदूर यूनियन, सलेम

*११८१. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फैक्टरी अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में, मेट्टूर मिल मज़दूर यूनियन, सलेम (मद्रास) के मज़दूरों द्वारा कोई प्रतिनिधान किया गया था ?

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री **वी० वी० गिरि**): (क) जी हां । गत मास में यूनियन का एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि विद्युत शक्ति के काट दिये जाने के कारण मज़दूरों को तीस दिन से अधिक बेकार रहना पड़ा था इसी बहाने के आधार पर प्रबन्ध व्यवस्थापकों ने वेतन सहित छुट्टी देने से इनकार कर दिया है और यह कि ऐसे अवसरों का प्रबन्ध करने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन किया जाये ।

(ख) यूनियन को सूचित कर दिया गया है कि वेतन सहित छुट्टी के उपबंन्धों में तथा फ़ैक्टरी अधिनियम के कुछ अन्य उपबन्धों में संशोधन करने के हेतु ३ सितम्बर, १९५३ को राज्य परिषद में एक विधेयक पुर: स्थापित किया जा चुका है ।

फल संरक्षण

***११८३. श्री एस० सी० देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम राज्य में फल संरक्षण के क्षेत्र तथा उस की उन्नति की संभावनाओं सम्बन्धी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो उस योजना की विशेषतायें क्या हैं ?

(ग) रस निकालने के कितने एकक खोले जाने के हैं तथा किन स्थानों पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (**श्री किदवई**): (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में फल वाले बागों के क्षेत्र में ११ रस निकालने वाले तथा गौहाटी में एक केन्द्रीय फल संरक्षण फैक्टरी एककों को स्थापित करने की रूपरेखा बनाई गई है ।

(ग) कोई ६ एकक । उनके स्थान के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

विशाखापतनम का ड्राई डाक

***११८४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने ड्राई डाक हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान स्टीमशिप ओनर्स एसोसिएशन के शिप्पिंग जनरल के १ सितम्बर, १९५३ के अंक में प्रकाशित हुये हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सभापति के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि विशाखापतनम में एक ड्राई डाक बनाना अत्यावश्यक है; तथा

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (**श्री अलगेशन**) : (क) भारत में पोर्ट प्राधिकारियों के अधिकार में कुल १५ ड्राई डाक हैं । इनमें से कलकत्ते के दो और बम्बई के दो काफी बड़े हैं तथा उनमें बड़े जहाज ठहर सकते हैं । बाकी छोटे छोटे हैं तथा उनमें बंदरगाह के छोटे छोटे जहाज ही ठहर सकते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

बैरक प्रकार के मकानों का किराया

***११९४. श्री गणपति राम** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बैरक प्रकार के मकान रियायती किराये पर देगी ?

(ख) यदि हां तो क्या सिविल एवियेशन के नौकरों को भी ऐसी ही सुविधा दी जाएगी ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि युद्धकाल के ऐसे मकानों का किराया वेतन का केवल ५ प्रतिशत लिया जाए ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । उन मामलों में जहां विहित प्रमाप से निवास का प्रमाप बहुत नीचा है ।

(ख) तथा (ग). सिविल एवियेशन के कर्मचारियों को जो रहने का स्थान दिया गया है वह उन मकानों से बहुत अच्छा है जिनकी चर्चा (क) में की गई है । फिर भी इस बात पर सरकार विचार कर रही है कि सिविल एवियेशन के कर्मचारियों को जो बैरक प्रकार के मकान दिये गये हैं उनका किराया वेतन का पांच प्रतिशत अथवा प्रमाप किराये के अनुसार, जो भी कम हो, लिया जाये । प्रमाप किराया निर्माण के माध्य व्यय अर्थात् २ रुपये प्रति वर्ग फुट, के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

लेडी हार्डिग्ज अस्पताल

*११९५. **सरदार लाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि लेडी हार्डिग्ज अस्पताल ने जो डीप थेरेपी प्लांट खरीदा था वह क्या ठीक प्रकार काम कर रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): जी हां ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

*११९६. **श्री के० पी० त्रिपाठी**: (क) क्या **श्रम** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह निश्चित हो चुका है कि जिन लोगों का बीमा हुआ है उनके लिये अस्पताल तथा स्पेशलिस्ट केन्द्र बनाने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम २२० लाख रुपया खर्च करेगा ?

(ख) किस निधि में से यह राशि खर्च की जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी०वी० गिरि) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामान्यतया यह मान लिया है कि जिन अस्पतालों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत बीमा कराने वालों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है उनके लिये अधिक स्थान का प्रबन्ध उन्हीं अस्पतालों में अथवा नये अस्पतालों में किया जाना चाहिये । इस विषय में अन्तिम निश्चय करने के लिये यह विचार है कि आंतर रोगियों के लिये तथा क्षय रोगियों के लिये भी अभी देश के विभिन्न राज्यों के औद्योगिक केन्द्रों में कितना स्थान है । पूंजी व्यय परिमाप के परिणाम पर निर्भर रहेगा ।

(ख) निगम द्वारा जो व्यय किया जायगा वह कर्मचारी राज्य बीमा निधि से किया जायगा ।

भद्राचलम रोड-पेनुगाडुपा रेलवे लाईन

*११९७. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरेनी कोयला खनि समवाय से मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पास कोई अभ्यावेदन आया है जिसमें भद्राचलम रोड से पेनुगाडुपा तक १९५४ में रेल लाईन बढ़ाने की प्रार्थना की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) ले आउट प्लान के लिये समवाय की अनुमति अभी ही प्राप्त हुई है तथा साईडिंग का इंजीनियरी परिमाप किया जा रहा है । जैसे ही यह परिमाप पूरा हो जाएगा प्राक्कलन तैयार किया जायगा तथा उचित प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन के मंजूर किये जाने पर काम आरम्भ किया जायगा ।

रेलवे इंजन

*११९८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ रेल इंजन मिलने की सम्भावना है; तथा

(ख) यदि हां तो कितने और कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) कोलम्बो योजना के अंतर्गत १२० इंजन कनाडा से दिसम्बर १९५५ में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अमरीका के टेकनीकल कोआपरेशन, सहायता कार्यक्रम के अधीन कुछ इंजन प्राप्त करने की बातचीत भी चल रही है।

बुदालापुरम के लिये डाकघर

*११९९. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : क्या **संचरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य के तिनेवेली ज़िले में बदालापुरम स्थान पर डाक घर खोलने सम्बन्धी जनता की प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना के विषय में जांच की गई है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। बुदालापुरम में डाकखाना खोलने के प्रश्न की जांच हो रही है। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में डाकखाना खुल जायेगा।

गोदावरी नदी पर सड़क के लिये पुल

*१२००. **श्री बी० एस० मर्त्ति** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी नदी की दो शाखाओं पर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये पुल बनाने के व्ययं का प्राक्कलन किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि हां, तो वह काम कब आरम्भ होगा तथा पुल कब तक बन जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गौतमी शाखा पर पुल बनाने की योजना बनाने तथा प्राक्कलन का काम पूरा होने वाला है वशिष्ट शाखा पर के पुल सम्बन्धी योजना तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिये उस स्थान की जांच की जा रही है।

(ख) गौतमी पुल पर १९५४ के आरम्भ में तथा वशिष्ट शाखा पर १९५४ के अंत में काम आरम्भ होने की आशा है। दोनों पुलों का काम पूरा करने में ३–४ वर्ष लगेंगे।

मवेशियों का चोरी-छिपे गोआ भेजा जाना

*१२०१. **श्री यू० एस० त्रिवेदी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत से हजारों मवेशी चोरी-छिपे गोआ भेजे जा रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५१ में बम्बई सरकार ने यह सूचना ज़रूर दी थी कि एक बड़ी संख्या में मवेशी चोरी-छिपे गोआ भेजे जा रहे हैं; परन्तु अभी हाल में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) मवेशियों के इस प्रकार चोरी-छिपे भेजे जाने की रोकथाम करने के लिये कोई विधान बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

फोरबसगंज में प्रतीक्षालय

*१२०२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के फोरबसगंज स्टेशन पर ऊंचे

दर्जे के यात्रियों के एक प्रतीक्षालय के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; तथा

(ग) यह प्रतीक्षालय काम में लाये जाने के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख)। जी नहीं। पहले तथा दूसरे दर्जों के यात्रियों की संख्या पहले इतनी नहीं थी कि ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता उचित प्रतीत होती और इसलिये उसका निर्माण कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था। परन्तु बाद में ड्योढ़े दर्जे के यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय बनाने की अनुमति दे दी गई थी और अब वह बन कर तैयार हो गया है।

(ग) प्रतीक्षालय काम में लाया जाने लगा है।

पर्वतीय स्थानों में पर्यटक यातायात

***१२०३. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पर्यटन के विकास के लिये कौन कौन से पर्वतीय स्थान चुने गये हैं;

(ख) इन स्थानों का विकास करने तथा उनका व्यापक प्रचार करने के लिये क्या कार्य-वाहियां की गई हैं; तथा

(ग) क्या स्थानीय पर्यटक परामर्शदात्री समितियों को दिये जाने के लिये कोई आर्थिक सहायता मंजूर की गई है तथा यदि हां, तो कितनी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उन प्रमुख पर्वतीय स्थानों की एक सूची जिन्हें पर्यटक यातायात के विकास के लिये उपयुक्त समझा गया है सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) पर्वतीय स्थानों के विकास के लिये सरकार ने जो कार्यवाहियां की हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(१) रेल के रियायती वापसी 'सीज़न' टिकट जारी करना;

(२) गाइड बुक, पैम्फ्लेट, पोस्टरों आदि का प्रकाशन; तथा

(३) फ़िल्मों का प्रदर्शन।

(ग) किसी भी पर्यटक ब्यूरो या स्थानीय परामर्शदात्री समिति को दिये जाने के लिये कोई आर्थिक सहायता मंजूर नहीं की गई है।

जनाने डब्बों में सुरक्षा

***१२०४. श्री मती सुषुमा सेन** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार रेलवे के ज़नाने डब्बों में होने वाली डकैतियों तथा हमलों की घटनाओं को होने से रोकने के लिए क्या क्रियाकारी कार्यवाहियां करने का विचार करती है ?

(ख) महिलाओं तथा बच्चों के सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकने को सुनिश्चित करने के हेतु क्या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा किन्हीं सुरक्षात्मक युक्तियों पर विचार किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है और उसमें यह सम्मिलित है :

(१) मुख्य सवारी गाड़ियों में सशस्त्र मार्ग रक्षकों की व्यवस्था;

(२) रेल के डब्बों की खिड़कियों में लोहे की शलाखों और दरवाज़ों में चटखनियों का लगाया जाना;

(३) जहां तक सम्भव हो, ज़नाने डब्बों का ट्रेन के बीच में जोड़ा जाना; तथा

(४) रात्रि के समय अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को एक नौकरानी अथवा

किसी साथिन को तीसरे दरजे का टिकट रखते हुए भी ऊंचे दरजे में अपने साथ ले जाने की अनुमति।

(ख) हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि जब डब्बे सावधिक मरम्मत के लिए वर्कशॉप में जायें तो ——

(१) सभी डब्बों में खिड़कियों में शलाखों की संख्या तीन से बढ़ा कर कर चार कर दी जाये ; तथा

(२) शौचालय की खिड़की को और भी अधिक सुरक्षित कर देने के लिए खिड़की की वर्तमान शलाख के बीच में एक आड़ी शलाख ठोक दी जाये और इस प्रकार खिड़कियों की इन शलाखों की ढिबरियों पर छत्तारूपी चटखनियां (मशरूमी हैड बोल्टस) ठोक दी जायें जिससे कि इन शलाखों को बाहर से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना सम्भव न हो सके।

निजी रेलवे साईडिंग

*१२०५. **पंडित लिंगराज मिश्र:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कुछ खान मालिकों से, जो कि निजी साईडिंगों को सम्पूर्ण व्यय वहन करने को तैयार हैं, कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). जी हां। गत तीन महीनों में दस आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि क्या आवेदक खान मालिक हैं। उन आवेदन-पत्रों में से दो को अस्वीकृत कर दिया गया है और शेष अभी विचाराधीन हैं।

श्रम पुरावेदन न्यायाधिकरण

*१२०६. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :**
श्री राघवाचारी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के बैंक कर्मचारियों ने उनके एक विश्वासपात्र व्यक्ति के भारत के श्रम पुनरावेदन न्यायाधिकरण, बम्बई में, जो कि शास्त्री पंचाट के विरुद्ध अपीलें सुनता है, नियुक्त किये जाने की मांग की है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) बैंक कर्मचारियों की बैठक में स्वीकृत हुए संकल्पों की प्रतियां, जिनमें ऐसी मांग की गई थी, बैंक कर्मचारियों के एक संघ विशेष से प्राप्त हुई थीं।

(ख) सरकार इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। यह नियुक्तियां औद्योगिक विवाद (पुनरावेदन न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा ५ की उपधारा (२) के अनुसार, जिसमें पुनरावेदन न्यायाधिकरण के सदस्यों की योग्यतायें निर्धारित की गई हैं, की जाती हैं।

टैलीफोन परामर्शक समिति

*१२०७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **सचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी भारतीय प्रतिनिधि ने हाल ही में लाहौर में हुई अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचरण संघ की टैलीफ़ोन परामर्शक समिति की बैठक में भाग लिया था; तथा

(ख) तो क्या उस समिति द्वारा कोई, यदि कोई, निर्णय किये गये ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। पांच सदस्यों वाले एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने १ दिसम्बर, १९५३ से

१५ दिसम्बर, १९५३ तक लाहौर में हुई अन्तर्राष्ट्रीय टैलीफ़ोन परामर्शक उप-समिति की बैठक में भाग लिया था।

(ख) उप-समिति ने यह निर्णय किये :—

(१) उसने अन्तर्राष्ट्रीय टैलीफ़ोन तथा टैलीग्राफ़ संदेश भेजने आदि के लिए दक्षिण एशिया, हांगकांग तथा फ़िलीपीन तक के, तथा उनको शामिल करते हुए, देशों को मध्य पूर्व के देशों से एक दूर-संचरण जाल के द्वारा जोड़ने की योजना को अन्तिम रूप दिया। यह यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में एक देश से दूसरे देश संदेश भेजने के लिए जो जाल पहले से ही वर्तमान हैं उनके साथ अन्तः सम्पर्क स्थापित करने का उपबन्ध भी इस योजना में है।

(२) अन्तः सम्पर्क स्थापित करने के हेतु इस योजना के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न प्रशासन

(क) दूर-संचरण के अन्य साधनों जैसे उच्च बारंबारता वाले रेडियो टैलीफ़ोन जालों तथा पनडुब्बी केबुल लाइनों (उप-समिति द्वारा प्रस्थापित जाल को बनाने वाले मार्गों के अतिरिक्त) को काम में लाते रहने; तथा

(ख) ट्रैफिक के उस अनुपात को, जिसे इस प्रस्तावित जाल द्वारा तथा दूर-संचरण के अन्य साधनों द्वारा चलाया जायेगा, निश्चित करने के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे।

(३) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय केवल मस्तकोपरि लाइनें ही दूर-संचरण की एकमात्र प्रणाली है, उन सामान्य मार्गों के सम्बन्ध में, जिनको इस योजना में लेने की प्रस्थापना की गई है, यह निश्चित हुआ कि प्रस्तावित योजना में वर्तमान मस्तकोपरि लाइनों का काम में लाना एक यथार्थ तथा साथ ही मितव्ययी कार्यवाही होगी।

सिरोलाजिकल प्रयोगशाला

*१२०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या बम्बई सरकार की चिकित्सीय विधान सम्बन्धी मामलों में सिरोलाजिकल प्रयोग करने के हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रस्थापित प्रयोगशाला बम्बई राज्य में स्थापित कर दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् उक्त प्रस्थापना को स्वीकार न करने का निश्चय किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

ढलवा लोहे के एम० जी० शहतीर

*१२०९. **श्री वोडयार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सन् १९५२-५३ में मैसूर आयरन तथा स्टील वर्क्स ने ढलवां लोहे के एम० जी० स्लीपर (शहतीर) दक्षिणी रेलवे को प्रदाय किये थे ?

(ख) क्या उक्त फैक्टरी ने सन् १९५३-५४ में भी एम० जी० स्लीपर प्रदाय करने को कहा है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग)। जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

चीनी के मूल्य

*१२१०. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री (१) दानेदार चीनी, (२) खंडसारी चीनी, तथा (३) गुड़ के प्रचलित मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : दो विवरण, एक हापुड़ मंडी में दिसम्बर, १९५३ के महीने में गुड़ तथा खंडसारी का दैनिक औसत भावों को बतलाने वाला, तथा दूसरा भारत की विभिन्न मंडियों में चीनी के दैनिक औसत मूल्यों को बतलाने वाला, सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ३२]**

भीमलगौंडी तथा कुकराखापा के मध्य रल दुर्घटना

*१२११. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी रेलवे के छोटी लाइन वाले सैक्शन पर स्थित भीमलगौंडी तथा कुकराखापा के मध्य ६ अक्तूबर, १९५३ को हुई दुर्घटना के कारण;

(ख) क्या रेलवे के इंसपैक्टर द्वारा कोई जांच की गई है; तथा

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी; उनकी उपपत्ति यह है कि गाड़ी के पटरी से उतर जाने का कारण बाहरी रेल का टूट जाना था ।

(ख) जी नहीं, यह ऐसी दुर्घटना नहीं है जिसकी रेलवे के सरकारी इंसपैक्टर द्वारा जांच की जानी नियमों के अनुसार अनिवार्य हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

टैपियोका

*१२१२. **प्रो० मैथ्यु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ मई, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर पर श्री डी० सी० शर्मा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के विषय में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अखिल केरल कृषि विकास संस्था की ओर से १० लाख टन टैपियोका का आटा दिये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अखिल केरल कृषि विकास संस्था के प्रस्ताव की जांच त्रावनकोर-कोचीन सरकार के साथ परामर्श करके की गई थी । उस सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन से १० लाख टन मात्रा के निर्यात किये जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में शंका प्रकट की है तथा इतनी अधिक मात्रा के राज्य से निर्यात कर दिये जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में यह आशंका प्रकट की है कि इससे उक्त राज्य की खाद्य स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए, उक्त संस्था द्वारा किये गये प्रस्ताव को स्वीकार करने की प्रस्थापना नहीं है ।

कांगड़ा वैली रेलवे

*१२१३. **श्री हेम राज :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तिथि तक उखाड़ी गई कांगड़ा वैली रेलवे के निर्माण का कार्य पूरा होगा ?

(ख) क्या इस सैक्शन पर नये स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने लढ़ियारा, सुल्ला और सलियाना में नये स्टेशन बनाये जाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कांगड़ा वैली रेलवे के नगरौटा–जोगिन्द्र नगर सैक्शन के, जिसे युद्धकाल में उखाड़ दिया गया था, पुनः स्थापन के कार्य के फ़रवरी, १९५४ तक समाप्त हो जाने की प्रत्याशा है ।

(ख) कांगड़ा वैली रेलवे सैक्शन पर नये स्टेशनों के खोले जाने के सम्बन्ध में जो भी प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं वह सुल्ला के निकट तथा पंचरुखी में स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) पंचरुखी में एक स्टेशन बनाने का निर्णय कर लिया गया है परन्तु सुल्ला के निकट नहीं क्योंकि वह पास वाले स्टेशन से कोई तीन मील ही दूर होगा ।

हड्डी का चूरा

***१२१४. श्री देवगम :** क्या खाद्य तथा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत हड्डी के चूरे के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर है ;

(ख) हड्डियों की कितनी मात्रा तथा किन देशों को प्रतिवर्ष निर्यात की जाती है ; तथा

(ग) हड्डी के चूरे की कितनी मात्रा तथा किन देशों से प्रति वर्ष आयात की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हड्डियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है ।

(ग) हड्डी का चूरा आयात नहीं किया जाता है ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

***१२१५. श्री सिद्धननजप्पा :** (क) क्या रेल मंत्री यह १८ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९५ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परिमाप का कार्य आरम्भ हुआ है?

(ख) यदि हां, तो अब तक इस में कितनी प्रगति हुई है ?

(ग) परिमाप का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् । आवागमन कितना है इस बात का परिमाप हो रहा है, और वायुयानों द्वारा भी परिमाप शीघ्र ही किया जायेगा । इंजीनियरिंग परिमाप के प्राक्कलन मंजूर किये जा रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). परिमापों की मंजूरी हाल में ही दी गई है और यह कहना कि परीक्षण के लिये प्रतिवेदन कब प्राप्य होगा समय से पूर्व है ।

रेल कर्मचारी

***१२१६. { श्री सिद्धननजप्पा : श्री आर० एस० लाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनर्वर्गीकृत रेलवेज़ के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सम्बन्धी सम्मिलित सूची बनाने का कार्य समाप्त हुआ है; तथा

(ख) इस ज्येष्ठता के निर्धारण के मुख्य आधार नियम क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, परन्तु काम जारी है ।

(ख) ज्येष्ठता सम्बन्धी सम्मिलित सूची बनाने के मुख्य आधार नियम ये हैं : अमुक श्रेणी में स्थायी तथा अस्थायी नौकरी की कालावधि; और मूल इकाई सम्बन्धी कर्मचारियों की आपसी ज्येष्ठता बनाये रखना ।

शास्त्री न्यायाधिकरण

*१२१७. **श्री दामोदर मेनन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शास्त्री न्यायाधिकरण में जो स्थान खाली हैं उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत पूरा करने में किन कारणों से विलम्ब हुआ है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : शास्त्री न्यायाधिकरण में कभी कोई सदस्य का स्थान खाली नहीं था । यह एक तदर्थ न्यायाधिकरण था और २० मार्च, १९५३ को अपना मुख्य पंचाट देने पर इसका कार्य समाप्त हुआ और इसके पश्चात् यह न्यायाधिकरण रहा ही नहीं ।

विलम्ब लगने का हरजाना

*१२१८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे के विभिन्न ज़ोनों में विलम्ब लगने के हरजाने की भिन्न भिन्न दर हैं ?

(ख) १० वर्ष पूर्व की दरों की अपेक्षा वर्तमान दर कितनी प्रतिशत अधिक हैं ?

(ग) यह दरें किस आधार पर निश्चित की जाती हैं ?

(घ) यह कौन निश्चित करता है और किस कानूनी उपबन्ध के अन्तर्गत ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिवाय पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों के जहां दरें अधिक हैं, सभी रेलवे हरजाना एक ही दर से लेती हैं ।

(ख) (१) उत्तर, मध्य, पश्चिमी तथा दक्षिण रेलवे पर कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(२) पूर्वी रेलवे पर ३३ १/३ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(३) पूर्वोत्तर रेलवे पर ५० प्रतिशत से २०० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(ग) हरजाने की दरें इस उद्देश्य से निश्चित की जाती हैं कि वैगन शीघ्र खाली किये जायें और उनसे माल गोदामों का काम लेने को रोका जाये ।

(घ) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ४७ की उप-धारा (१) के खण्ड (ङ) तथा (च) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रेलवे बोर्ड अधिकतम दरें निश्चित करता है ।

रेलवेज़ को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह आकस्मिक स्थिति में इन अधिकतम दरों से भी अधिक दरें लागू करें ।

नया गांव का रेलवे स्टेशन

*१२१९. **श्रीमती जयश्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने १९५० में यह आश्वासन दिया था कि बसीन ताल्लुके में नया गांव के आस पास के १९ ग्रामों के निवासियों की यह मांग यथा सम्भव शीघ्र पूरी की जायेगी कि भयादूं तथा बसीन रोड (पश्चिमी रेलवे) के बीच एक नया स्टेशन खोला जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बम्बई सरकार तथा नयागांव रेलवे स्टेशन समिति के सचिव को १९५०में यह सलाह दी गई थी कि १९५२-५३ के कार्यक्रम में नयागांव में एक स्टेशन खोलने के लिये उपबन्ध करने का प्रयत्न किया जायेगा; परन्तु कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

पैसे की कमी के कारण यह कार्य १९५२-५३ अथवा उसके बाद के वर्षों के निर्माण-कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि इस कार्य को १९५५-५६ के निर्माण-कार्यक्रम में सम्मिलित करने की प्रस्थापना पश्चिमी रेलवे के उपभोक्ताओं की परामर्शदात्री समिति की यात्री सुविधा उप-समिति को भेजी जाये ताकि वह भी इस पर विचार करे।

निम्बू घास तथा संदल की लकडी का तेल

*१२२०. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास निम्बू घास तथा संदल की लकड़ी के तेलों के गुण-प्रकार पर नियंत्रण लगान की व्यवहारिकता के सम्बन्ध में कृषि विपणि मंत्रणादाता से कोई प्रतिवेदन आया है;

(ख) यदि आया है, तो उसमें की गई मख्य सिफारिशें क्या हैं; तथा

(ग) क्या सरकार इनके गुण-प्रकार के नियन्त्रण तथा इनके निर्यात के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ग) जी हां।

(ख) (१) सारभूत तेलों की पड़ताल लिये नमूनों का विश्लेषण करने के लिये एक नियन्त्रण प्रयोगशाला कोचीन में खोली जा रही है।

(२) कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) अधिनियम १९३७ के अंतर्गत निम्बू घास तथा संदल की लकड़ी के तेलों पर क्रमश: २ रुपय आठ आने तथा ११ रुपये आठ आने प्रति १०० पौंड लेपपत्र प्रभार लगाया जायेगा।

मसाला जांच समिति

*१२२१. **श्री ए० एम० टामस**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसाला जांच समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

(ख) इन सिफारिशों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मसाला जांच समिति ने डालर अर्जित करने वाली छः फसलों में से प्रत्येक के बारे में पृथक् पृथक् सिफारिशें की हैं। समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं : (१) डालर अर्जित करने वाली दो प्रमुख पण्य वस्तुओं काली मिर्च तथा काजू के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विकास निधि स्थापित की जाये; यह केन्द्रीय निधि एक दशवर्षीय योजना के अनुसार इन दो पण्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा इनके विपणि विकास के लिये उपयोग की जाये; (२) संयुक्त राज्य अमरीका तथा इंगलिस्तान में प्रचार करने तथा बिक्री को बढ़ावा देने के लिये विशेष अधिकरण स्थापित किये जायें, (३) मसालों के विकास की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रणादात्री समितियां स्थापित की जायें।

(ख) सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श सहित समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) समिति का प्रतिवेदन छपाया जा रहा है और प्राप्त होने पर इसकी एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में रखी जायेगी।

रेल यात्रियों का गाड़ी से बाहर फेंका जाना

*१२२२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २७ नवम्बर, १९५३ को प्रातःकाल के समय काशी तथा मुग़लसराय के स्टेशनों के बीच किसी बाहर से आने वाले आदमी ने स्यालदाह जाने वाली ६८ डाउन दिल्ली एक्सप्रेस में यात्रा करने वाली तीन स्त्रियों को चलती गाड़ी से बाहर फेंका ?

(ख) गाड़ी के ड्राइवर तथा गार्ड को और निकटतम स्टेशनों के रेलवे अधिकारियों को इस घटना का कब पता लगा।

(ग) इन स्त्रियों को अस्पताल कब ले जाया गया ?

(घ) क्या इस बाहर से आने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि गाड़ी रोकी नहीं गई, गार्ड तथा ड्राइवर को इस घटना का पता नहीं लगा। काशी, मुग़लसराय तथा बना रस के रेलवे कर्मचारियों को दूसरे दिन घटना का पता लगा।

(ग) इन स्त्रियों को २७ तारीख को ५.४५ म० पू० पर मुग़लसराय के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया। इन में से एक को बहुत गहरी चीटें लगीं थीं और उसे शीघ्र ही लगभग ६.१० मू० पू० पर किंग एडवर्ड अस्पताल, बनारस, भेजा गया।

(घ) जी हां।

खानपुर रेलवे स्टेशन

५१४. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को तेज़ वर्षा से बचने के लिये छप्पर आदि की सुविधा देने के बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्लेटफार्म पर एक छप्पर बनवाया जा रहा है।

खानपुर रेलवे स्टेशन

५१५. **श्री जोकीम आल्वा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जानती है कि बम्बई राज्य के बेलगाम ज़िले में खानपुर के स्टेशन पर कोई ऊपरी पुल नहीं है और इस कारण प्लेटफार्म को पार करने वाले यात्रियों को खतरा रहता है ?

(ख) इस कमी के कारण खानपुर स्टेशन पर गत वर्ष कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

(ग) क्या खानपुर स्टेशन पर एक सेकंड क्लास प्रतीक्षा कक्ष का प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). खानपुर में कोई ऊपरी पुल नहीं है, परन्तु इस कमी के कारण कोई दुघटना होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) इस समय इस स्टेशन पर बहुत कम अपर क्लास यात्री चढ़ते उतरते हैं और इस हालत में एक अपर क्लास प्रतीक्षा कक्ष बनाना उचित नहीं।

सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर

५१६. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी प्रस्थापना है कि बम्बई राज्य के बेलगाम ज़िले में खानपुर तथा भेल्होंगल के ताल्लुका हेडक्वार्टरों के डाक घरों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाये जायें ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : केवल भेल्होंगल के डाक घर में एक सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर खोलने की प्रस्थापना पर विचार किया गया है। क्योंकि आशा की जाती है कि इससे सरकार को घाटा उठाना पड़ेगा इस लिये इस की मंजूरी नहीं दी जा सकती। खानपुर में यह सुविधा देने के प्रश्न की जांच की जायेगी।

आंध्र की छोटी सिंचाई योजनायें

५१७. **श्री नानादास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य की नई विशेष छोटी सिंचाई योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दी है;

(ख) यदि दी है, तो १९५३–५४ के लिये इन योजनाओं के निमित्त कितनी धनराशि मंजूर कर ली गई है; तथा

(ग) इनकी संख्या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान्। सारे मद्रास राज्य की विशेष छोटी सिंचाई योजनाओं के भाग के रूप में इन की अनुमति दी गई है।

(ख) सारे राज्य के लिये १९५३–५४ के लिये ८२,०१,७६५ रुपये की धनराशि मंजूर कर ली गई है; इस में से आन्ध्र राज्य का अनुपातिक अंश अनुमानतः ३६,५९,१५० रुपये है।

(ग) लगभग ५७८ योजनायें।

मधु

५१८. **श्री बर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री विदेशों से प्रतिवर्ष आयात किये जाने वाले मधु की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : समुद्री व्यापार लेखे में मधु के आयात का हिसाब अलग नहीं रखा जाता है और न ही इसे आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में एक अलग मद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

त्रिपुरा में गुड़ का उत्पादन

५१९. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सन १९५१ तथा १९५२ में त्रिपुरा में गुड़ उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सरकार ने त्रिपुरा में गुड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

(ग) यदि की है, तो क्या ?

(घ) त्रिपुरा से बाहर गुड़ बेचने के लिए सरकार ने वहां के उत्पादकों के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५१ में ६६४० टन तथा सन् १९५२ में ५५५० टन।

(ख) तथा (ग). गुड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए तथा गन्ने में शर्करा तत्व को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में बढ़िया किस्म का गन्ना उगाया जा रहा है।

(घ) चूंकि त्रिपुरा में तैयार किया गया सारा गुड़ वहीं ही काम में आ जाता है, इस लिये राज्य सरकार इसके निर्यात के लिए सुविधायें देना आवश्यक नहीं समझती है।

पर्यटक

५२०. **श्री बलवन्त सिंह महताः** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष राजस्थान स्थित उदयपुर को देखने जाते हैं ?

(ख) विदेशी पर्यटकों के लिए वहां क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अलग अलग स्थानों पर जाने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उदयपुर जाने वाले विदेशी पर्यटकों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

डिग्गी-देवली रेलवे लाइन

५२१. श्री बलवन्त सिंह महता: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिग्गी देवली रेलवे लाइन के विस्तार सम्बन्धी निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

(ख) इस लाइन के कब तक बन कर पूरे हो जाने की आशा है ?

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). इस लाइन को बराबर देवली तक जैसा कि पहले विचार था ले जाने की अब कोई प्रस्थापना नहीं है। भूतपूर्व जयपुर राज्य सरकार ने इस लाइन को केवल ढोडा रायसिंह तक ही ले जाने का निर्णय किया था, क्योंकि भूतपूर्व उदयपुर सरकार ने उसे देवली से चित्तौड़गढ़ तक ले जाने का कोई निर्णय नहीं किया था। इस तरह से इस लाइन को देवली तक ले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था विशेषकर जबकि इस के लिए बनास नदी पर एक बड़ा पुल भी बनाया जाना था। सांगानेर से लाइन बना दी गई है तथा इसे यातायात के लिए इस क्रम से खोल भी दिया गया है :—

(१) सांगानेर कस्बे से डिग्गी तक ३७.५ मील, सन् १९५० में बना कर तैयार की गई तथा यातायात के लिए खोली गई।

(२) डिग्गी से तोर्दी सागर तक १२.५२ मील, मई १९५३ में बना कर तैयार की गई तथा यातायात के लिए खोली गई।

तोर्दी सागर से टोडा रायसिंह तक १५.२१ मील लम्बी लाइन को शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिया जायगा।

(ग) सांगानेर से टोडा रायसिंह तक लाइन बनाने की अनुमानित लागत १२०.२८ लाख रुपये है।

रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र

५२२. श्री बलवन्त सिंह महता : (क) क्या रेल मंत्री भारत के विभिन्न रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थी की कुल संख्या को बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या इनमें कुछ विदेशी प्रशिक्षार्थी भी हैं ?

(ग) यदि हैं, तो कितने तथा किन किन देशों के ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३.]**

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

५२३. श्री के० सुब्रह्मण्यम् : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है ?

(ख) इस पर कुल कितनी अनुमानित लागत आयेगी ?

(ग) इस समय तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(घ) इसके पुनर्निर्माण से क्या क्या सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस पर लगभग १९.९५ लाख रुपये लागत आने का अनुमान है।

(ग) लगभग १.३९ लाख रुपये।

(घ) ऊंची श्रेणियों के यात्रियों के लिए विश्राम-गृह स्वल्पाहार-गृह तथा प्रतीक्षा-गृह की सुविधाओं के अतिरिक्त नई इमारत में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए विशाल प्रतीक्षा-स्थान, विश्राम-गृह तथा सामान बेचने के लिए स्टाल होंगे।

बोब्बिली-सलूर ब्रांच लाइन

५२४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोब्बिली-सलूर ब्रांच लाइन का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलगाड़ियां कब से चलनी शुरू होंगी ?

(ग) इस लाइन के पुनर्निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं; श्रीमान्। यह लाइन अभी बन ही रही है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही।

(ग) लगभग ११.६९ लाख रुपये।

बोब्बिली रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल

५२५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोब्बिली रेलवे स्टेशन पर एक ऊपर का पुल बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण-कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

(ग) इस की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ज्योंही इस पुल का ढांचा बनाने के लिए अपेक्षित सामान, जिस के लिए कि हम ने व्यादेश दिया है, पहुंच जायगा, हम ढांचा बनाने का काम शुरू करेंगे। पुल बनाये जाने वाले स्थान पर वास्तविक निर्माण कार्य ढांचा तैयार होने पर ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) १५,२५६ रुपये।

कांगड़ा जिला में डाक तथा तार घर

५२६. **श्री हेमराज** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९४७ में कांगड़ा ज़िले में डाक तथा तार घरों की संख्या;

(ख) अगस्त, १९४७ से अब तक खोले गये वर्षवार, डाक तथा तारघरों की संख्या ; तथा

(ग) पंच वर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में कितनी जगहों पर नये डाक तथा तारघर खोले जायेंगे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) १५ अगस्त, १९४७ को कांगड़ा ज़िले में डाक तथा तारघरों की संख्या इस प्रकार थी :—

डाकघर	१९०
संयुक्त डाक तथा तारघर	२९

(ख)

	डाकघर	संयुक्त डाक तथा तारघर
१९४७–४८	३३	—
१९४८–४९	८	—
१९४९–५०	११	—
१९५०–५१	४	२
१९५१–५२	७	१
१९५२–५३	१	—
१९५३–५४ (इस समय तक)	४	—
	६८	३

(ग)

डाकघर	१९
संयुक्त डाक तथा तारघर	२

तीर्थ यात्री कर

५२७. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के उन स्टेशनों के नाम जहां सीमा-कर अथवा तीर्थ-यात्री कर लिया जाता है; तथा

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर ऐसे करों से होने वाली वार्षिक आय ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

टिडडी-आक्रमण

५२८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में भारत में टिड्डियों से कितना नुक्सान हुआ है ?

(ख) सन् १९५२ में हुए नुक्सान की तुलना में यह कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) राज्य सरकारों के अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में टिड्डियों से लगभग ६५० टन फसलों को नुकसान पहुंचा है ।

(ख) राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि सन् १९५२ में पहुंचा नुक़सान लगभग १९००० टन था ।

बेकारी

५२९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सितम्बर १९५३ में कितने व्यक्तियों ने नौकरी दफ्तरों से नौकरी सम्बन्धी सहायता मांगी; तथा

(ख) क्या सेवा सूची में योग्यता प्राप्त कम्पाऊंडरों, इलेक्ट्रीशिनों तथा टेक्नीशियनों की कमी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १,२१,६००.

(ख) जी हां ।

पश्चिमी बंगाल में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

५३०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से अबतक, वर्षवार पश्चिमी बंगाल में प्रारम्भ की गई तथा पूरी की गई छोटी सिंचाई योजनाओं की कुल संख्या;

(ख) इन से कुल कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचा है; तथा

(ग) कितने क्षेत्र का पुनरुद्धार तथा कृष्यकरण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग)। यह सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार से एकत्रि की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मलेरिया नियंत्रण यूनिटें

५३१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) उन मलेरिया नियंत्रण यूनिटों की कुल संख्या जो समस्त देश में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अब तक किये गये कार्य का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस अनुमान के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) कुल कितने मकानों में डी० डी० टी० नियमित रूप से छिड़का जाता है; तथा

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया के कुल कितने रोगियों का इलाज किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क), (घ) तथा (ङ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अनुसूचित जातियां

५३२. श्री नानादास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संयुक्त इंजीनियरी सेवाओं की जनवरी १९५३ में हुई परीक्षा में अनुसूचित जातियों के कुल कितने उम्मीदवार बैठे;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं; तथा

(ग) कितने उम्मीदवारों से इन्टरव्यू किया गया तथा अन्त में कितने उम्मीदवार चुने गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : संघ लोक सेवा आयोग के सौजन्य से यह जानकारी दी जाती है :—

(क) तीन ।

(ख) ग्यारह ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों के दो उम्मीदवारों से इन्टरव्यू किया और एक उम्मीदवार की नियुक्ति की सिपारिश की ।

गुडूर की अभ्रक खानें

५३३. श्री नानादास : (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुडूर के खनि-क्षेत्रों में कितने 'जैक हैमरों' का प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) उनमें से कितने 'वैट हैमर' हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि 'ड्राई जैक हैमरों' से काम करने वाले व्यक्ति "सिलिक्लोस" नामक रोग के शिकार हो जाते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) लगभग ९० । काम में लाये जाने वाले 'जैक हैमरों' की संख्या अच्छी हालत में तथा काम के लिये उपयुक्त मशीनों की संख्या और उनके प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार, रोज़ घटती बढ़ती रहती है ।

(ख) ७२ 'वैट ड्रिलिंग' के लिये लगे हुए हैं ।

(ग) जी हां, यदि ऐसे 'ड्राई जैक हैमरों' में उड़ कर आने वाले चूरे (डस्ट) से बचाव की सन्तोषजनक व्यवस्था न की गई हो । किसी व्यक्ति का "सिलिक्लोस" रोग का शिकार हो जाना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे, वह कितनी देर काम करता रहा है, वायुमंडल में कितना चूरा (डस्ट) फैला हुआ है । चूरा (डस्ट) कितना बारीक है, चूरा (डस्ट) किस प्रकार का है, काम करने वाले व्यक्ति की शारीरिक अवस्था कैसी है, आदि ।

गुडूर में

'शा अभ्रक खान'

५३४. श्री नानादास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गुडूर के निकट स्थित "शा अभ्रक खान" की गहराई;

(ख) क्या उक्त खान के खम्भे तथा दीवारें ठीक हालत में हैं;

(ग) क्या मज़दूरों के खान के अन्दर जाने तथा खान से बाहर आने के लिये बिजली से चलने वाली लिफ्टों की कोई व्यवस्था की गई है; तथा

(घ) क्या खान में सभी कार्य स्थलों पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) लगभग ६०० फुट ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). जी नहीं ।

यात्रियों को सुविधायें

५३५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर रेलवे ने चालू वर्ष में यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने का फैसला किया है ?

(ख) दिली के मुख्य स्टेशन पर तीसरे दर्ज़ के यात्रियों को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिस में यह बताया गया है कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४]**

ज्वार और गेहूं का भेजा जाना

५३६. **श्री हेडा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ नवम्बर, १९५३ को ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिन्हों ने ज्वार और गेहूं के राज्य के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले को भेजे जाने पर पाबन्दी लगा रखी थी ?

(ख) ये पाबन्दियां क्या क्या हैं ?

(ग) क्या ये पाबन्दियां उठाई जाने वाली हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ३५]**

(ग) आशा की जाती है कि शेष पाबन्दियां सामान्यतया भारत सरकार के उस निश्चय के अनुसार, जो नवम्बर १९५३ के पहले सप्ताह में सब राज्यों को निर्गमित किया गया था, उठा ली जायेंगी । उक्त विनिश्चय यह था कि गेहूं तथा अन्य मोटे अनाजों पर से नियन्त्रण उठा लिया जाये और केवल उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने पर ही प्रतिबन्ध रहे ।

रेलवे कर्मचारी वर्ग

५३७. **श्री एम० एन० सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के ओ० टी० जोन में फ़ोरमैन, एसिस्टेंट फ़ोरमैन, सीनियर चार्जमैन, चार्जमैन और एसिस्टेंट चार्जमैन की ग्रेडें तथा वेतन श्रेणियां क्या हैं ?

रेल तथा यातयात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ३६]**

जंजीर खींचना

५३८. **श्री भागवत झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूर्व रेलवे के बधया स्टेशन और जमालपुर जंकशन के बीच चलती गाड़ी में जंजीर खींचने की घटनायें बहुत सामान्य हो गई हैं; तथा

(ख) सरकार ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बधय्या नाम का तो कोई स्टेशन नहीं है । हां, पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीज़न में भेदिया नामक एक स्टेशन ज़रूर है जो जमालपुर जंकशन से १९६ मील दूर है ।

यह पता लगा है कि इन दो स्टेशनों के बीच सारी लाइन पर नवम्बर १९५३ में जंजीर खींचने की कुल ११२ घटनाएं हुईं ।

(ख) अनावश्यक रूप से जंजीर खींचे जाने की घटनाओं को रोकने के लिये जो उपाय किये गये हैं उन में ये भी शामिल हैं :—

(१) जिन सैक्शनों पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें विशेष रूप से अधिक होती हैं वहां पुलिसमैन सादे कपड़ों में नियुक्त किया गया है ।

(२) यदि कोई रेल कर्मचारी किसी ऐसे अपराधी को पकड़ता है और यदि उक्त अपराधी का चालान हो जाता है, तो ऐसे रेल कर्मचारी को १० रुपये का इनाम दिया जाता है; तथा

(३) जिन गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें बहुत अधिक होती हैं उन में जनाने डिब्बों के अलावा बाकी सब डिब्बों में जंजीर का कनैक्शन काट दिया जाता है ।

प्रसूचित-अवकाश

५३९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेलवे में काम करने वाली स्त्रियों को जो प्रसूति-अवकाश दिया जाता है उसके बारे में अब यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि उक्त अवकाश तीन वर्ष में केवल एक बार मिल सकता है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) रेल कर्मचारियों में स्त्रियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों को न होने देने के लिए यह आवश्यक समझा गया प्रसूति-अवकाश पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये । यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों पर लागू होता है ।

आबू रोड स्टेशन का 'मार्शलिंग यार्ड'.

५४०. **श्री एस० जी० पारिख** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कांडला पत्तन से होने वाले सम्भावित यातायात को ध्यान में रखते हुए आबू रोड स्टेशन के 'मार्शलिंग यार्ड' को फिर से बढ़ाया जायेगा ?

(ख) इस कार्य के लिये पालनपुर स्टेशन की बजाय आबू रोड स्टेशन को क्यों चुना जा रहा है ?

(ग) आबू रोड स्टेशन के 'मार्शलिंग यार्ड' पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि कांडला पत्तन से आने वाले समस्त माल डिब्बों को, गाड़ी में यथास्थान लगाये जाने के निमित्त, पालनपुर स्टेशन होकर आबू रोड स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां से वे फिर पालनपुर स्टेशन जाना पड़ेगा ताकि वे उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और अहमदाबाद क्षेत्रों में अपने गंतव्य स्थानों को भेजे जा सकें ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आबू रोड स्टेशन पर एक 'मार्शलिंग यार्ड' पहले से ही मौजूद है, परन्तु और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से उसे फिर से बनाने का विचार किया जा रहा है ।

(ख) क्योंकि मुख्य 'यार्ड' के स्थान के बारे में कोई फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि 'एंजिन रन' कहां से व कहां तक है और 'एंजिन शैड' कहां स्थित है, और क्योंकि निर्दिष्ट क्षेत्र में वर्तमान 'एंजिन रन' आबू रोड स्टेशन तक और वहां से है, इसलिये इस कार्य के लिये पालनपुर स्टेशन की बजाय आबू रोड स्टेशन को ही चुना जा रहा है ।

(ग) क्योंकि विस्तृत योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिये अभी से

यह नहीं बताया जा सकता कि इस कार्य पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ।

(घ) यह अनुमान कि है कांडला से आने वाले सब माल डिब्बे पहले आबू रोड जायेंगे और फिर वहां से पालनपुर आकर अपने गंतव्यस्थानों को जायेंगे, ठीक नहीं है । इस समय विचार यह है कि पालनपुर तथा पालनपुर के दक्षिण के स्थानों को जाने वाले सब डिब्बे पालनपुर पर ही काट लिये जायें और फिर वहां से अपने अपने स्थानों को भेज दिये जायें ।

रेलवे हाई स्कूल, खड़गपुर

५४१. श्री एस० सी० सामन्त : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खड़गपुर (पूर्वी रेलवे) के रेलवे इंडियन हाई स्कूल में कितने विद्यार्थियों को उर्दू माध्यम के द्वारा शिक्षा दी जाती है ?

(ख) उन में से कितने मुसलमान हैं ?

(ग) उन में से कितने रेल कर्मचारियों के कुटुम्बी हैं ?

(घ) इस समय उर्दू कितनी कक्षाओं में पढ़ायी जाती है और सन् १९४८ से १९५२ तक (वर्षवार) कितनी कक्षाओं में पढ़ायी जाती थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) ११४.

(ख) ३२.

(ग) १४.

(घ)

१९४८, १९४९, १९५०	कक्षा १ से १० तक
१९५१	कक्षा ५ से १० तक
१९५२	कक्षा ६ से १० तक
१९५३	कक्षा ७ से १० तक

चीनी

५४२. श्री बादशाह गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल १९५२ से अक्तूबर १९५३ तक कितने मूल्य की चीनी आयात की गई है; तथा

(ख) क्या सरकार ने चीनी के आयात निर्यात से होने वाली कोई हानि अपने ऊपर लेने की जिम्मेदारी ली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अक्टूबर १९५३ के अन्त तक भारत में आयात की गई ५८,९३२ टन चीनी का पोत घाट बाह्य मूल्य (आयात शुल्क तथा पोर्टट्रस्ट और निष्कासन व्यय मिला कर) ४·१८ करोड़ रुपये अथवा २६ रुपये प्रति मन बैठा । १९५३ में आयात के लिये खरीदी गई २.५२ लाख टन समस्त चीनी का माध्य पोतघाट बाह्य मूल्य केवल २५ रुपये प्रति मन है ।

(ख) आयात की गई चीनी ३० रुपये मन पोतघाट बाह्य मूल्य के हिसाब से, बम्बई, भावनगर, कोचीन और मद्रास में, तथा २९ रुपये ४ आने प्रति मन के हिसाब कलकत्ते में बेची जा रही है । अत: आयात की गई चीनी बेचने पर घाटा होने की संभावना नहीं है । इस के विपरीत इस में ३.४० करोड़ का नफ़ा होगा । १९५१-५२ में बहुत अधिक याने १५ लाख टन चीनी का उत्पादन होने तथा अपेक्षतया कम चीनी उठाई जाने के कारण यह आशा थी कि ऋतु के अन्त में ५ लाख टन से अधिक चीनी अगले वर्ष के लिये बच रहेगी । यद्यपि देशी बाजार में चीनी का भाव नियंत्रित भाव से नीचे गिर गया था और इस मूल्य में से यदि उत्पादन-कर तथा ईख-कर घटा दिया जाता फिर भी उत्तर प्रदेश की चीनी कारखानों

का वह मूल्य उस मूल्य से अधिक होता जो अन्य उन देशों में था जहां पर चीनी आवश्यकता से अधिक थी। अतएव यह तय किया गया कि २ रुपये से अधिक कम दर पर चीनी निर्यात के लिये निकाली जाये जिस से कि भारतीय निर्यातक विदेशी बाजारों में स्पर्धा में ठहर सकें। इस योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में ६३१६ टन चीनी निर्यात की गई और उस पर ३.५ लाख रुपये क्षतिपूर्ति देनी होगी।

ताड़ का गुड़

५४३. **श्री भीखा भाई :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ नवम्बर १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में भारत में राज्यवार कितने ताड़ के गुड़ का उत्पादन हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७**]

"अपने टेलीफोन के स्वामी बनिये" योजना

५४४. **श्री गिडवानी :**
डा० राम सुभग सह :

(क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के कुछ नगरों में "अपने टेलीफोन के स्वामी बनिये" योजना समाप्त कर दी है ?

(ख) यदि हां तो इस के कारण क्या हैं ?

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने टेलीफोन दिये गये हैं तथा उन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां। निम्न नगरों में योजना समाप्त कर दी गई है :

भटिंडा, धुबरी, धुरी, एरोड, गुडुर, इंदौर, कोटकापुरा, मेरठ, राजकोट तथा सूरत।

(ख) इन नगरों में "अपने टेलीफोन के स्वामी बनिये" योजना के अन्तर्गत कोई मांग नहीं थी तथा अतिरिक्त टेलीफोन जो लगाये जा सकते थे उन का उपयोग नहीं हुआ था।

(ग) "अपने टेलीफोन के स्वामी बनिये" योजना के अन्तर्गत ३० नवम्बर १९५३ तक १५७७६ टेलीफोन दिये गये थे तथा उस तिथि तक उन से ३,८२,९८,००० रुपये प्राप्त हुए थे।

बरबटपुर हवाई अड्डा

५४५. **श्री गणपति राम :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बरबट पुर हवाई अड्डे के निवास क्षेत्र में पानी के लिये केवल एक हैन्ड पम्प है ?

(ख) पानी की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या सरकार पर्याप्त प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्।

श्रमिक कल्याण कार्य

५४६ **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रमिक क्षतिपूर्ति कमिश्नर के पास कुछ ऐसी राशि पड़ी है जो कुछ कारणों से श्रमिकों को नहीं दी गई है; तथा

(ख) क्या वह राशि श्रमिकों के कल्याण के लिये लगाई जा सकती है जिस का दावा नहीं किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जो सूचना उपलब्ध है वह एक विवरण में दी गई है जो सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८].**

(ख) जो राशि कमिश्नर के पास जमा की गई है वह आहत श्रमिकों अथवा उन पर आश्रित व्यक्तियों के लिये है । कुछ परिस्थितियों में सम्बन्धित व्यक्तियों के फायदे के लिये उस राशि को कमिश्नर कहीं लगा सकता है अथवा अन्य प्रकार से उस का प्रयोग कर सकता है । वह राशि श्रमिकों के कल्याण जैसे अन्य प्रयोजनों के लिये खर्च नहीं की जा सकती ।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के अन्तर्गत विन्ध्य प्रदेश को सहायता

५४७. **श्री रणदमन सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में "अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र ने विन्ध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गत पांच वर्षों में "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र ने विन्ध्य प्रदेश को निम्न सहायता दी है :

	अनुदान	वसूल होने वाला व्यय	(लाख रूपयों में) उधार
१९४९-५०	०.३०	–	–
१९५०-५१	६.२०	–	१९.३८
१९५१-५२	१.७९	–	९.४४
१९५२-५३	८.७२	–	२१.०८
१९५३-५४	२.२३	८.३३	१२.६५
योग	१९.२४	८.३३	६२.५५

त्रिपुरा में नलकूप

५४८. **श्री दशरथ देब :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से १९५३ तक त्रिपुरा में कितने नलकूप बनाये गये हैं ?

(ख) उन में से कितने किरानिया सामूहिक योजना के क्षेत्र में खोदे गये थे ?

(ग) उन में से कितने आदिम जाति क्षेत्र में हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) १६७ ।

(ख) ३ ।

(ग) ३९ ।

बिलड़ी रेलवे स्टेशन

५४९. **श्री डामर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र के बिलड़ी स्टेशन पर यात्रियों के लिये टट्टियां बनाई जा रही हैं ;

(ख) इस स्टेशन पर टट्टियां बनवाने में कितना खर्च होगा ;

(ग) क्या सरकार ने १९५३-५४ के वर्ष में पश्चिमी रेलवे पर रहने के क्वार्टर बनाने के लिये कोई धनराशि रखी है ; तथा

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष बिलड़ी स्टेशन के पास दो टट्टियां बनाने का विचार है । इस पर १२०० रुपये व्यय होंगे ।

(ग) बिलड़ी में नहीं अपितु अन्य दूसरे स्टेशनों पर कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे पूछताछ कार्यालय

५५०. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ कार्यालय स्थापित करने का नियमन करने वाली शर्तें क्या हैं ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सामान्यतया पूछताछ कार्यालय उन स्टेशनों पर खोले जाते हैं जहां जनता द्वारा साधारणतया हमेशा पूछताछ होती रहती है तथा जहां पर पब्लिक टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ।

रेल डब्बों के नीचे के ढांचे

५५१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री २१ नवम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेलजियम के सार्थ द्वारा भेजे गये रेल डिब्बों के नीचे के ढांचे यहां पर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां तो भारतीय रुपयों में उन की कीमत कितनी हुई तथा यहां लाने का भाड़ा कितना हुआ ;

(ग) हिन्दुस्तान ऐयरक्राफ्ट फ़ेक्टरी को कितने नीचे के ढांचे दिये जायेंगे ; तथा

(घ) हिन्दुस्तान ऐयर क्राफ्ट फैक्टरी में १ जनवरी १९५३ से ३० नवम्बर १९५३ तक कितने डिब्बे बने ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १३० ।

(घ) ११३ ।

ताड़ का गुड़

५५२. **श्री सिद्धननजप्पा :**
श्री बलवन्त सिंह महता :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताड़ गुड़-योजना का विकास करने के लिये राज्यवार १९५३-५४ में कितनी आर्थिक सहायता देने का निश्चय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]

सोमवार,
२१ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३५ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। प्रत्यक्षतः, यह प्रतीत होता है कि उन सब का सम्बन्ध ऐसे विषयों से है जिनका उत्तरदायित्व राज्यों पर है।

आंग्ल भारतीय विद्यालयों में दाखिला

अध्यक्ष महोदय : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री एन्थनी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बम्बई सरकार ने अपने विद्यालय निरीक्षकों को जो पत्र लिखा है उससे संविधान के अनुच्छेद ३३७ का अतिक्रमण होता है। इस उपबन्ध के निर्वचन पर मतभेद की पर्याप्त गुंजाइश है। यदि इससे किन्हीं आज्ञापक उपबन्धों का अतिक्रमण हुआ भी है तो मेरी मसझ में यह प्रश्न पहले बम्बई राज्य में उठाया जाना चाहिये। संसद् इसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं है। यदि माननीय सदस्य इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो न्यायालय का दरवाजा उनके लिये सदैव खुला है।

631 PSD

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : संविधान द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को जो परित्राण दिये गये हैं उनमें से एक यह भी है। अब इन परित्राणों को क्रियान्वित करने का दायित्व गृह-कार्य मंत्री पर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि प्रत्येक परित्राण को क्रियान्वित करने का दायित्व केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री पर है। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दे सकता।

त्रावनकोर-कोचीन में परिवहन हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : दूसरा स्थगन प्रस्ताव त्रावनकोर-कोचीन राज्य में व्यापक परिवहन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। प्राथमिक रूप से यह एक राज्य विषय है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : यह एक अन्तः विभागीय झगड़ा है। वहां एक कर्मचारी को पुलिस द्वारा पीटा गया और परिवहन सेवा के समस्त कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, परन्तु है यह एक राज्य विषय।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : परन्तु अब वहां कोई विधान-मंडल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर इस सदन में चर्चा की जा सके ।

डाक मजदूर बोर्ड, किद्दरपुर

अध्यक्ष महोदय : तीसरा प्रस्ताव श्री त्रिदीप कुमार चौधरी का है । इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार डाक मजदूर बोर्ड किद्दरपुर, कलकत्ता के सामान्य कार्य संचालक के सुनिश्चियन के निमित्त कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकी; अतः इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डाक मजदूर बोर्ड क्या है और उसका सरकार से क्या सम्बन्ध है ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : कल के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि डाक मजदूर बोर्ड के कार्यालय के सामने एक बड़ा झगड़ा हो गया और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप साठ व्यक्तियों के चोट आयी और कोई ११२ व्यक्ति पुलिस की हिरासत में ले लिये गये ।

अब मैं संक्षेप में इन सब की पृष्ठभूमि बताने का प्रयत्न करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्न यह है कि इस स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाये या नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना का उत्तर-दायित्व केन्द्रीय सरकार पर किस तरह है ।

श्री टी० के० चौधरी : केन्द्रीय सरकार पर उत्तरदायित्व इसलिये है क्योंकि डाक मजदूर बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और केन्द्रीय सरकार की यह पता है कि बोर्ड के स्थापित किये जाने के समय से ही जहाजों पर से सामान उतारने चढ़ाने वाली कम्पनियों की, जो अधिकांशत : यूरोपियनों के अधिकार में हैं, यह मंशा रही है कि बोर्ड कुशलतापूर्वक कार्य न कर सके । उन्होंने डाक मजदूर बोर्ड को ठप करने के लिये बराबर प्रयत्न जारी रखे हैं । १९ तारीख को जो घटना हुई वह भी उन्हीं प्रयत्नों का एक भाग थी । जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, हम उससे यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की जिससे बोर्ड के लिये सुचारु रूप से कार्य करना सम्भव हो सकता ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : डाक मजदूर बोर्ड केन्द्रीय सरकार की प्रेरणा पर जरूर कायम हुआ था लेकिन यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार उसके ठीक तरह से काम न करने के लिये उत्तरदायी है । डाक मजदूर बोर्ड में मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि हैं और बोर्ड समुचित रूप से कार्य कर रहा है ।

यह घटना दो अलग अलग दलों में लड़ाई हो जाने के फलस्वरूप हुई और उसके लिये केन्द्रीय सरकार बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है । सरकार ने डाक मजदूर बोर्ड स्थापित करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और अब बोर्ड ठीक तरह से काम कर रहा है अतः मेरी समझ में नहीं आता कि इस सारी घटना का केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार सम्बन्ध है । परन्तु मेरे पास समाचारपत्रों ने जो कुछ छापा उसके अलावा कोई और जानकारी नहीं है । हां, यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस विषय में और जानकारी मंग-वाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय को कल तक के लिए उठा रखता हूं । क्या आप कल तक और जानकारी मगा सकेंगे ?

श्री बी० वी० गिरि : श्रीमान, मेरा निवेदन है कि यह परसों तक स्थगित रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : तो यह विषय परसों तक के लिये स्थगित किया जाता है । माननीय मंत्री तब तक जानकारी प्राप्त करलें, फिर हम यह तय करेंगे कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं ।

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एस० सी० बालकृष्णन से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :—

"मेरी इकलौती पुत्री की अकस्मात मृत्यु से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है और मैं सदन के वर्तमान सत्र में उपस्थित नहीं हो सकता ।

मेरी प्रार्थना है कि मुझे पंचम सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये । "

क्या सदन श्री एस० सी० बालकृष्णन को अनुपस्थिति की अनुमति देगा ?

अनुमति दी गई ।

पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिज्ञाओं तथा आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

सांसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं पटल पर निम्न विवरण रखता हूं जिनमें यह बताया गया है कि विभिन्न सत्रों के दौरान में किये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई :

(१) अनुपूरक लोक-सभा का विवरण संख्या ३ चतुर्थ सत्र, १९५३ **[देखिय परिशिष्ट ७ अनुबन्धसंख्या १४]**

(२) अनुपूरक लोक-सभा का विवरण संख्या ८ तृतीय सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट७ अनुबन्ध संख्या १५]**

(३) अनुपूरक लोक-सभा का विवरण संख्या ९ द्वितीय सत्र, १९५२ **[देखिय परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १६]**

नमक उपकर विधेयक

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सरकार द्वारा संधारित नमक सम्बन्धी संगठन पर तथा नमक के निर्माण, सम्भरण व वितरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए धन इकट्ठा करने के प्रयोजन से नमक पर एक उपकर लगाने तथा वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक बहुत सीधा-साधा सा है । शुरू में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का अभिप्राय कोई नय उपकर लगाना नहीं है और न ही वर्तमान दर में कोई वृद्धि करना है । इस विधेयक में तो ठीक उसी दर पर उपकर वसूल किये जाने का उपबन्ध है जिस पर कि वह सन् १९४७ में नमक शुल्क समाप्त किये जाने के समय से अब तक वसूल किया जाता रहा है । निजी तथा केन्द्रीय सरकार के कारखानों में बनाये जाने वाले नमक पर वर्तमान दरों पर उपकर लगाये जाने का निश्चय १९४७ में किया गया था और नमक शुल्क के समाप्त होने के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के नियम ३७ के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी ।

अभी हम लोग नमक शुल्क के समाप्त किये जाने की बात भूले नहीं हैं । हमारे

[श्री के० सी० रेड्डि]

स्वातंत्र्य संग्राम में इस बात को इतना अधिक महत्व दिया जाना ठीक ही था । नमक शुल्क समाप्त करने के लिये आन्दोलन ने सन् १९३० में, जब महात्मा गांधी न सत्याग्रह आन्दोलन का श्रीगणेश किया और डंडी यात्रा प्रारम्भ की, एक नाटकीय रूप धारण कर लिया। गांधी-इर्विन समझौते पर, जिसके द्वारा ऐसे क्षेत्रों के, जहां नमक बनाया जा सकता था, पास वाले गांवों के स्थानीय निवासियों द्वारा नमक के निर्माण से सम्बन्धित नियमों को कुछ ढीला कर दिया गया, हस्ताक्षर होते ही अहिंसा की लड़ाई भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। परन्तु नमक शुल्क की समाप्ति १ अप्रैल, १९४७ को ही हो सकी जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने १९४६ में शासन का कार्य-भार संभाला । उस समय यह निश्चय किया गया कि नमक को आय का एक प्रमुख स्रोत न समझा जाये । जब नमक शुल्क समाप्त किया गया तो सरकार ने इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया तथा यह निश्चय किया कि कोई ऐसी तंत्र व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है जिससे न केवल भारत में नमक के उत्पादन का विनियमन हो सके, अपितु जो नमक उद्योग का विकास कर सके—जैसे नमक की किस्म सुधारना तथा उसका उत्पादन बढ़ाना ।

तत्कालीन वित्त मंत्री, स्वर्गीय श्री लियाकत अली खां ने सन् १९४७ में आयव्ययक सत्र के दौरान में आयव्ययक प्रस्तुत करते हुये अन्य बातों के अलावा यह भी कहा था कि:—

> "अब तक नमक में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ कर वसूल करने की दृष्टि से ही रही है, परन्तु अब इरादा यह है कि सरकार अपना ध्यान भारत के नमक संसाधनों का पूर्ण विकास करने, नमक की किस्म सुधारने, नमक के कई 'ग्रड' निश्चित करने, नमक की अधिक खपत को प्रोत्साहन देने, औद्योगिक प्रयोग के लिये पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध करने, नमक के मूल्य को कम से कम स्तर पर कायम रखने और भारत को इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने की ओर दे ।"

इस नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिये, सन् १९४७ में एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा नमक पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अन्तर्गत, एक उपकर लगाये जाने का उपबन्ध किया गया । प्रस्तुत विधेयक का अभिप्राय इस उपकर को उन्हीं दरों पर, जो इस समय चालू हैं, विनियमित करना है। हाल ही में इस बात के औचित्य पर कुछ संदेह प्रकट किया गया है कि यह उपकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत वसूल किया जाये । यह राय व्यक्त की गई है कि इस उपकर को संविहित रूप दे देना अधिक अच्छा होगा। यही कारण है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

इस विधेयक का दूसरा—और मेरी समझ में अधिक महत्वपूर्ण—अभिप्राय यह भी है कि स्वयं अधिनियम में ही यह उल्लिखित कर दिया जाये कि इस उपकर से इकट्ठी की जाने वाली राशि किन प्रयोजनों के लिये व्यय की जायेगी । सदन को विदित होगा कि कुछ अन्य चीजों के उत्पादन पर भी ऐसा ही उपकर वसूल किया जाता है और वह, उसमें से प्रशासनिक व्यय आदि निकाल कर उन्हीं वस्तुओं के उद्योगों की उन्नति व विकास पर व्यय कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ, चाय, काफी, रबर, आदि पर इन उद्योगों

के विकासार्थ उपकर लगा हुआ है । कोयले पर भी उपकर लगा हुआ है जिससे प्राप्त आय कोयल खानों के मजदूरों के कल्याण, और कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों पर व्यय की जाती है । हाल ही में एक अधि-नियम पारित किया गया है जिसमें यह उपबन्ध है कि मिलों में बने कपड़े पर भी एक उपकर लगाया जायेगा ताकि खादी एवं अन्य कुटीर उद्योगों को सहायता दी जा सके । अतः यह विधेयक एक सीधा सादा सा विधेयक है । नमक पर उपकर से जो आय होगी उसका उपयोग नमक उद्योग के ही विकास के लिये किया जायेगा ।

इस समय मैं नमक मंत्रणा समिति का जिक्र करना चाहता हूं जिससे भारत सरकार नमक उद्योग से सबन्धित विषयों पर परामर्श लेती रहती है । इस समिति में केन्द्रीय सरकार तथा ऐसे राज्यों की सरकारों के जहां नमक मुख्य रूप से पैदा होता है, प्रतिनिधि हैं । इसके अलावा उसमें नमक निर्माताओं तथा व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं व एक प्रतिनिधि नमक उद्योग में लगे मजदूरों का भी है । इस समिति ने भी यह राय जाहिर की है कि नमक पर उपकर जारी रखा जाये और उससे हुई आय नमक उद्योग के विकास पर व्यय की जाये । नमक मंत्रणा समिति ने वर्ष १९५०-५१ में यह परामर्श भी दिया था कि उस समय समुद्र द्वारा कलकत्ता भेजे जाने वाले नमक पर जो उपकर की छूट दी जाती थी वह खत्म कर दी जावे । समिति के परामर्श पर सरकार द्वारा फर्वरी १९५२ में अमल किये जाने के बाद लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माताओं द्वार भारत में बनाये जाने वाले सभी नमक पर उपकर लगने लगा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इस सिलसिले में योजना आयोग की वह सिपारिशें भी शामिल हैं जो कि उन्होंने वर्ष १९५१-५६ के दौरान में नमक उद्योग के विकास के सम्बन्ध में की हैं । इन सिपारिशों में निम्नलिखित बातें भी दी गई हैं :—(१) नमक विशेषज्ञ समिति की सिपारिशें यथासंभव शीघ्र क्रियान्वित की जानी चाहियें । नमक कारखानों को टैक्नीकल परामर्श उपलब्ध करके उत्पादन के वैज्ञानिक उपाय अपनायें जाने चाहियें और देश में 'माडल' कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें ; तथा (२) नमक उपकर से प्राप्त आय की बचत नमक उद्योग के विकास पर खर्च की जानी चाहिये ।

मैं ने सरकार के १९४७ में किए गए इस निश्चय की ओर निर्देश किया है कि नमक उद्योग के विकास में रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिये विशेषकर इस सम्बन्ध में कि नमक बढ़िया किस्म का तैयार हो, तथा इस का उत्पादन भी बढ़ जाये । गत कुछेक वर्षों में इस नीति को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है । लाइसेंस उदारता से दिए गए । नये नमक कारखानों को यथासम्भव प्रत्येक प्रकार की सहायता दे कर प्रोत्साहित किया गया है । इस तरह से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है यह निम्न-लिखित आंकड़ों से पता चलेगा । १९४८-४९ में उत्पादन ६३८ लाख मन था । १९४९-५० में इस में कुछ कमी हुई तथा उत्पादन केवल ५७९ लाख मन रहा । १९५०-५१ में उत्पादन ७१८ लाख मन रहा । १९५१-५२ में उत्पादन ७५० लाख मन रहा तथा १९५२-५३ में यह ७८५ लाख मन रहा । चालू वर्ष में उत्पादन ८३० लाख मन तक बढ़ जाने की आशा है । गत १०० वर्षों में देश पहली बार नमक में आत्मनिर्भर हुआ है । न केवल हम नमक में आत्मनिर्भर हुए हैं अपितु हम इसे अब निर्यात भी कर रहे हैं । उदाहरणतः १९५२-५३ में जापान को लगभग ७० लाख

[श्री के० सी० रेड्डी]

टन नमक निर्यात किया गया । कई नमक उत्पादन क्षेत्रों में उपेक्षित बातों की ओर ध्यान दिया गया । विद्युतजनक यंत्र (जनरेटिंग सेट्स) खरीदे गए, संघनक (कंडेन्सर) तथा क्यारियां बनाई गई, मार्ग का प्रतिस्थापन किया गया, बांध ऊंचे किये गए, कुंडों, नालों तथा नालियों को साफ किया गया । इस के अलावा नमक की क्वालिटी में सुधार किया गया । १९५० से पहले इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं था। भारतीय प्रमापीकरण संस्था ने नमक के लिए ९६ प्रतिशत भाग सोडियम क्लोराइड निश्चित किया है। १९५१ में यह ९२ प्रतिशत निश्चित किया गया तथा १९५२ में इसे फिर बढ़ा कर ९३ प्रतिशत किया गया । इस वर्ष के लिए हम ने यह ९३.५ प्रतिशत रखा है तथा १९५४ के लिए यह बढ़ा कर ९४ प्रतिशत रखा गया है । आशा है कि ९६ प्रतिशत का प्रमाप दो अथवा तीन वर्षों में प्राप्त होगा । हमने पांच परीक्षण-प्रयोशालाएं तथा एक माडल कारखाना खोला है और भावनगर में एक नमक अनुसन्धान केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था भी की जा रही है । वितरण प्रणाली संगठित की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में नमक का जो अभाव रहता था उसे अधिकांश रूप से खत्म किया गया है । पहाड़ी नमक तथा साम्भर नमक जिनकी प्रदाय कम है किन्तु जिनके लिये कुछ क्षेत्रों में मांग अधिक है, के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें कि यथासमय दूर किया जायगा ।

यद्यपि इस बारे में कुछ प्रगति की गई है फिर भी क्वालिटी पर नियंत्रण रखने, इस उद्योग का विकास करने, नये अनुसन्धान केन्द्र तथा माडल कारखाने खोलने, अधिक परीक्षण-प्रयोगशालाएं स्थपित करने, उपउत्पाद को अलग करके काम में लाने के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है । यह आवश्यक है कि इस में सोडियम क्लोराइड का तत्व बढ़ा कर शीघ्र ही ९६ प्रतिशत किया जाये । यह उपकर वसूल होने पर हम अपने विकास कार्यक्रम को अधिक तेजी से क्रियान्वित कर सकेंगे, निर्यात बढ़ा सकेंगे तथा और अधिक अनुसन्धान केन्द्र तथा मॉडल फार्म खोल सकेंगे । ऐसे केन्द्र उप-उत्पादों को काम में लाने के लिए भी आवश्यक हैं । नमक विशेषज्ञ समिति ने ऐसे कई कार्यों की एक लम्बी सूची दी है जिनकी ओर कि ध्यान देना है । मैं इनका उल्लेख कर चुका हूं । ऐसी कार्यवाही जो कि विशेषज्ञ समिति की सिपारिशों के अनुसार हो तथा जिसका कि योजना आयोग ने समर्थन किया हो, कुछ मामलों में नये सिरे से करनी पड़ेगी तथा कुछ मामलों में उग्र रूप से करनी पड़ेगी ।

सदन को निस्सन्देह इस बात में दिलचस्पी है कि इस उपकर का नमक की वर्तमान कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा । प्राइवेट कारखानों में बनाये नमक के प्रति सेर पर यह ६ पाई अर्थात एक आने का बीसवां भाग होगा जबकि सरकारी कारखानों में बनाये नमक पर यह केवल एक पाई प्रति सेर होगा । यह करभार निस्सन्देह बहुत ही कम है तथा यदि इसे हटा दिया जाये तो उपभोक्ता को इसका ज़रा भी लाभ नहीं पहुंचेगा । वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह नहीं के बराबर है । यदि इसे आज ही हटाया जाये तो इस से उपभोक्ता को ज़रा भी लाभ नहीं पहुंचेगा । इसे हटाने से केवल बिचवइयों तथा बड़े बड़े कारखानों को लाभ पहुंचेगा । इसे कम करने से अथवा इस में फेर बदल करने से भी कोई लाभ नहीं होगा । इस से हानि ही होगी क्योंकि इस तरह से सरकार को इस उद्योग के विकास के लिए जो भी थोड़ा बहुत धन मिलेगा वह भी इस के हाथ से चला जायगा ।

नमक पर जो पहले कर लगाया जाता था वह एक रुपया नौ आने प्रति मन के हिसाब से लगाया जाता था। अर्थात प्रति सेर पर लगभग ७½ पाई था। आये दिन इस बात पर आश्चर्य प्रकट गिया जाता है कि नमक पर कर हट जाने के बावजूद भी यह आज उतना ही मंहगा है जितना कि यह पहले था।

यह बात याद रखनी आवश्यक है कि यद्यपि नमक कर से अविभाजित भारत के कोष में लगभग नौ करोड़ रुपये आ जाता था फिर भी इस का मूल्य पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक सेर में केवल ७½ पाई का फर्क पड़ता था। दूसरी बात यह याद रखनी होगी कि १९४७ से मजूरियां, उत्पादन परिव्यय, बोरियों का मूल्य तथा कुछ हद तक रेल का भाड़ा बढ़ गया है तथा इस तरह से नमक कर के हट जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को जो फायदा मिल जाना चाहिये था वह उसे नहीं मिला है। इस से फर्क जरूर पड़ा है। यदि यह फर्क नहीं पड़ा होता तो १९४६ की अपेक्षा आज नमक का मूल्य अधिक होता।

विचार यह है कि इस उपकर से जो भी धनराशि प्राप्त होगी उस में से वसूली का खर्चा काट कर शेष प्रति वर्ष संसद् की अनुमति से एक 'नमक उत्पादन तथा विकास निधि' में हस्तांतरित किया जायेगा। विकास कार्य पर जो भी खर्चा होगा वह उचित मुख्य मद के खाते में डाला जायगा परन्तु फिर सम्पूर्ण धनराशि प्रतिशोधित होगी तथा इस तरह से निधि में से जो कुछ खर्चा होगा उस पर संसद् का नियंत्रण होगा। डल

मैं इस विधेयक के खण्ड ३ तथा खंड ४ का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। खंड ५ के सम्बन्ध में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधेयक में इस बात का उपबन्ध रखा जा रहा है कि केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई १९४७ की अधिसूचना के अनुसार जो कर लिया जाता था वह इसी अधिनियम के अन्तर्गत लिया समझा जायगा। गोया यह अधिनियम उस दिन भी लागू समझा जायेगा जब कि वह कर लगाया गया हो। ऐसे भूतलक्ष विधान असामान्य नहीं हैं। उदाहरणतः सूती कपड़ा उपकर अधिनियम, १९४८ में उस अधिनियम को ३१ दिसम्बर, १९४७ से भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबन्ध रखा गया था। बहुत से वर्षों से संग्रहित किये जाने वाले उपकर को मान्यता देने का एक दिलचस्प मामला १९२७ का अधिनियम ३१ है। इसकी धारा ३ में कहा गया है कि जहां कहीं १९२७ के अधिनियम से पूर्व आसाम श्रम तथा उत्प्रवासी अधिनियम १९०१ की धारा ११६ के अन्तर्गत कोई धनराशि उपकर के रूप में दी गई हो--इस बात के होते हुए भी कि यह धनराशि इस तरह से देय नहीं थी तथा यह केवल उस दशा में देय होती जबकि १९२७ का अधिनियम उस समय लागू होता--वह धनराशि एक वैधानिक उपकर के रूप में ली समझी जायगी। हाल ही में भारतीय आय-कर (संशोधन) अधिनियम १९५३ की धारा ३१ ने भी कई ऐसे कर-निर्धारण मामलों को मान्यता प्रदान की जिन्हें कि अवैध माना जाता यदि किसी विशिष्ट उच्च-न्यायालय के संगत निर्णयों को पूरी तरह लागू किया जाता।

इस विधेयक के खंड ६ के अन्तर्गत इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाने का उपबन्ध रखा गया है। इन नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत इस उपकर की वसूली तथा व्यय के सम्बन्ध में, विशिष्ट वर्गों को छूट देने के सम्बन्ध में तथा सविस्तार विकास कार्यक्रम तैयार करने के सम्बन्ध में उपबन्ध रखा जायगा। इस तरह से उस नमक पर छूट देना सम्भव होगा जो कि विशिष्ट

[श्री के० सी० रेड्डी]

सीमित मात्राओं में निर्माताओं द्वारा बिना किसी लाइसेंस के तैयार किया जायगा। उद्योग के किसी अन्य उत्पाद के निर्माण के सम्बन्ध में जो नमक काम में लाया जाता है, उसे छूट देने की वांछनीयता के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों का मामला भी बनाये जाने वाले नियमों के अन्तर्गत तै किया जायगा।

श्रीमान्, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं ने इस विधेयक के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है तथा मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सावधानी के बतौर, अब तक जो कुछ हो रहा था उसे कानूनी रूप दिया जा रहा है। जसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया, जन-साधारण पर कर का भार नहीं बढ़ाया जा रहा ह। जब कभी नमक का प्रश्न हमारे सम्मुख आता है तो स्वभावतः ही एक भावुकता हमें प्रभावित कर देती है क्योंकि हमारे स्वातन्त्र्य संग्राम में नमक का बहुत महत्व रहा है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सभी घरों के प्रयोग की यह वस्तु है। देश के विभाजन से पूर्व नमक पर ७½ पाई प्रति सेर शुल्क लगा करता था तथा इससे राष्ट्रीय कोष में १९४५-४६ में ९६२ लाख रुपये और १९४६-४७ में ८४६ लाख रुपए प्राप्त हुए थे। अब केवल ०·६ पाई प्रति सेर शुल्क लगता है। जिससे हमें ९५ लाख रुपए की आय होती है। यदि पहले वाली शुल्क दर अब भी रखी जाती तो राजकोष में काफी राशि और आ जाती।

श्री के० सी० रेड्डी : लगभग १५ करोड़ रुपए।

श्री ए० एम० टामस : यह सुझाव दिया गया है कि पुरानी शुल्क-दर फिर लगा कर राजस्व में वृद्धि की जाए। सदन को याद होगा कि गत वर्ष आयव्ययक पर चर्चा होते समय स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि भावुकता को एक ओर रख कर सन् १९४७ के पूर्व की शुल्क-दर फिर नमक पर लगाई जाए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए नहीं कर रहो हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं वरन् यह जतलाने के लिए कर रहा हूं कि ऐसा करने से कर के भार में कितना अंतर आ जायगा—इसलिए विरोधी पक्ष वालों के कुछ संशोधनों पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। मेरा मतलब श्री नानादास के संशोधन से है जिसमें कि शुल्क की वर्त्तमान दर को और भी कम करने की अपेक्षा की गई है। माननीय मंत्री जी के भाषण से तथा स्वयं विधेयक से यह स्पष्ट है कि यह विधेयक कोई राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव के रूप में नहीं लाया गया है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि फिर नमक-शुल्क को बिल्कुल ही क्यों नहीं हटा दिया जाता। माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं। यह मामूली सा शुल्क नमक उद्योग के समुचित विकास के संगठन के लिए आवश्यक है। हर वर्ष इस पर लगभग ३६ से ३८ करोड़ तक रुपया खर्च होता है। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि देश में उत्पादित होने वाले समस्त नमक पर यह शुल्क नहीं लगाया जाता है। अप्रैल, १९४८ से यह छूट दे दी गई है कि १० एकड़ क्षेत्र से कम क्षेत्र में नमक निर्मित करने वालों को

कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। गैर-लाइसेंस शुदा नमक निर्माताओं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। सन् १९४९ में यह ३ लाख मन था, १९५३ में यह ५० लाख मन से अधिक है। योजना आयोग तक ने यह सुझाव दिया है कि देश में उत्पादित होने वाले सभी नमक पर ही यह शुल्क लागू हो।

किन्तु मुझे खेद है कि सरकार इस गैर-लाइसेंस शुदा नमक के निर्माण पर उचित नियंत्रण नहीं रख सकी है। यह सर्वविदित ही है कि नमक की किस्म में सुधार होने का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। किन्तु जैसा कि कल के अखबारों से प्रतीत होता है, भारत सरकार नमक की किस्म के वर्त्तमान स्तर से संतुष्ट नहीं है और नमक निर्माताओं से एक न्यूनतम स्तर की अपेक्षा करेगी। यह स्तर बनाए रखना इसलिए भी आवश्यक है कि हम अब दूसरे देशों को नमक निर्यात करने की स्थिति में हैं। आंतरिक उपभोग तथा बाहय निर्यात दोनों पर नमक के सम्बन्ध में किस्म-नियंत्रण आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी द्वारा बतलाए गए भविष्य के कार्यक्रम को मैंने बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक सुना। उन्होंने बतलाया कि कुछ गवेषणा केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है। इस सम्बन्ध में विधेयक के खंड ४ में निर्दिष्ट निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखना अच्छा है जो कि सरकार करने जा रही है :—

(१) गवेषणा केंद्रों तथा मॉडल नमक फार्मों की स्थापना ;

(२) नमक फैक्टरियों की स्थापना, रखरखाव तथा विस्तार ;

(३) नमक की श्रेणियां निर्धारित करना ;

(४) नमक-निर्माताओं के मध्य सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना ; और

(५) नमक उद्योग में लगे हुए मजदूरों के कल्याण के लिये कार्यवाही करना।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस प्रकार का शुल्क रबर अधिनियम, चाय अधिनियम, कहवा अधिनियम आदि के अंतर्गत लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार उपरोक्त चीज़ों के सम्बन्ध में समितियां मौजूद हैं, उसी प्रकार एक विधेयक द्वारा नमक समिति अथवा बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं की जाती जो कि नमक उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं पर भली प्रकार विचार करे? मुझे आशा है कि सरकार इस बात को ध्यान में रक्खेगी।

मैं सदन का अधिक समय न लेकर सरकार को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रश्चात् से नमक उद्योग के विषय में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : यह प्रसन्नता की बात है कि सदन को नमक निर्माण तथा नमक उद्योग के विकास के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर दिया गया है। नमक विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन १९५० में प्रस्तुत किया था और अभी तक सरकार ने उसकी सिफारिशों पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। मुझे आशा है कि सरकार हमें आश्वासन देगी कि बाद में किसी अवसर पर सदन को इस पर चर्चा करने का मौका दिया जाएगा।

भारत में नमक के निर्माण में काफी वृद्धि हुई है। किन्तु यदि शासन-व्यवस्था ठीक तरह विकसित होने दी जाती तथा

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

शासन कार्य क्षमता से चलाया जाता, तो यह प्रगति और भी अधिक होती। नमक-उत्पादन उसी पुरानी प्रणाली पर हो रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। इस विभाग की कुछ शाखाओं में बहुत क्षमता तथा भ्रष्टाचार है। कभी-कभी नमक-निर्माताओं के साथ भद्दा बर्ताव किया जाता है और उन पर अनुचित दबाव डाला जाता है, शायद छोटे अधिकारियों की तृष्णा की तृप्ति के लिए। मेरा निवेदन है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए।

नमक को एक विशिष्ट स्तर पर बनाए रखने के लिए उसमें सोडियम क्लोराइड की एक न्यूनतम मात्रा मौजूद होने सम्बन्धी प्रश्न इस विभाग के लिए परेशानी का कारण रहा है। शायद इस का कारण यह है कि सरकार का इस उद्योग पर उचित नियंत्रण नहीं रहा है। नमक में सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा में है इस बात की जांच करने का वर्त्तमान तरीका बड़ा विचित्र है। हर एक ढेरी में से थोड़ा-थोड़ा नमक निकाल लिया जाता है और फिर सब को एक साथ मिला दिया जाता है। तब उसे एक बोतल में भर कर किसी प्रयोगशाला को भेज दिया जाता है। वहां यह पाया जाता है कि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है। इससे यह नहीं पता चल पाता कि किस ढ़ेरी के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी थी क्योंकि अच्छा-बुरा सब तरह का नमक एक साथ मिला कर, उसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है। इससे निर्माताओं को बड़ी परेशानी और कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक फैक्टरी एक प्रयोगशाला इस कार्य के लिए स्थापित की जाए जहां कि नमक की जांच की जाए। स्वाभावतः ही, सरकार को इसमें धन सम्बन्धी कठिनाई हो सकती है। इस बारे में मेरा सरल सा सुझाव यह है कि प्रत्येक फैक्टरी से ही अपनी खुद की प्रयोगशाला स्थापित करने को कहा जाए और सरकार इस कार्य के लिए कुछ आर्थिक सहायता उन्हें दे दे।

गांधी-इरविन समझौते का एक अवांछनीय परिणाम यह हुआ है कि अनेक गैर-लाइसेंस शुदा निर्माता सामने आ गए हैं तथा बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है। फिर भी वह मानव उपयोग के काम में आ रहा है। सरकार ने अभी तक इस बात के नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया है।

मैं आपका ध्यान परिभाषा खंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कि "प्राइवेट नमक फैक्टरी" की परिभाषा दी गयी है। हमें नहीं मालूम कि इस परिभाषा में गैर-लाइसेंस शुदा उत्पादक भी, जो प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं, आते हैं या नहीं। इस गैर-लाइसेंस शुदा नमक पर प्रारम्भ से अब तक कोई शुल्क नहीं लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप दोनों प्रकार के निर्माताओं के मध्य प्रतियोगता चल रही है। जो भी हो, गैर-लाइसेंस शुदा नमक निर्माण की अनुमति इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि नमक का उत्पादन स्वच्छ दशाओं में हो। इससे उन निर्माताओं के साथ भी अनावश्यक प्रतियोगिता बढ़ती है जो कि सरकार के नियंत्रण में हैं और लाइसेंस-शुदा हैं।

प्राप्त होने वाले शुल्क का एक भाग इस उद्योग में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए भी प्रयुक्त करने की व्यवस्था है। मेरा यह सुझाव है कि जितना रुपया आप मज़दूरों के कल्याण के लिए निर्धारित कर सकते हों,

उसका एक पृथक कोष बना दिया जाए, जो किसी समय प्रयुक्त न होने की दशा में समाप्त न हो वरन जमा होता जाए । यदि उस कोष की राशि का अच्छा विनियोग किया जाए तो उसमें ब्याज का रुपया जुड़ कर कोष की वृद्धि होती रहेगी । इस सम्बन्ध में मैं अभ्रक खदान श्रम कल्याण शुल्क कोष का हवाला देना चाहता हूं । इसकी राशि इस समय ८० या ८५ लाख रुपए के लगभग है । यदि इसे ब्याज-प्रदायक प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाए तो इस पर प्रति वर्ष ४ या ५ लाख रुपया तो ब्याज के रूप में प्राप्त होता । चूंकि वही परिस्थिति नमक-शुल्क के सम्बन्ध में है, इसलिए मेरा सुझाव है कि नमक-शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का जो भी भाग श्रम-कल्याण के लिए निर्धारित किया जाए वह भारत की संचित निधी में न रक्खा जा कर पृथक रक्खा जाए और उसे ब्याज-प्रदायक विनियोजन में प्रयुक्त किया जाए । उपकर निधि का एक उपयोग नमक उत्पादकों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करना है; सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना पड़ेगा । साथ ही छोटे छोटे उत्पादकों के लिये और नमक के उत्पादन मौसिम के बाद के समय के लिए इस निधि में से सहायता दी जानी चाहिए । नमक विशेषज्ञ समिति ने नमक के आधार पर चलने वाले अन्य उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की एक छोटी समिति नियुक्त की जानी चाहिए । १९५२-५३ के आंकड़ों के अनुसार भारत की कास्टिक सोडा की परिसामर्थ्य प्रतिवर्ष १७,००० टन और आयात २५,००० टन है । कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए यदि हम अधिक कारखाने खोल सके, तो हमारी डालर सम्बन्धी स्थिति सुधर जायेगी । हम अपनी मांग स्वतः पूरी कर लेंगे । उत्पादन सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय—दोनों दृष्टियों से इस ओर ध्यान दिया जाये । अमोनियम बाई-कारबोनेट, सोडियम सल्फाइड, सोडा बाई-कार्ब आदि अनेक प्रकार के सोडे भी उपोत्पाद के रूप में बन सकते हैं । इन सबकी पूरी जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति बैठाई जानी चाहिये ।

प्रत्येक खंड में समुचित और समान वितरण के लिए खंडीय (ज़ोनल) प्रणाली अपनाई गई थी । आज जब हमारा उत्पादन मांग से अधिक हो गया है, तब न तो यह विभाजन आवश्यक है और न पांचवें भाग का संरक्षण । आशा है, इस समस्या पर पुनर्विचार करके ये रीतियां समाप्त कर दी जायेंगी ।

फिर भी विधानों के समान इस विधान के अधीन भी सरकार नियम बना कर गजट में प्रकाशित करेगी । अच्छा हो, इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व और प्रकाशित करने से पूर्व सदन-पटल पर रख दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में उनको सुधारा जा सकता है ।

श्री के० सी० रेड्डी : यदि सभी नियम उस रूप में प्रकाशित होने लगे, तो सदन को एक वर्ष से अधिक बैठना पड़ेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : आज निर्माताओं को अपने बाजार स्वतः ढूंढने पड़ते हैं । इसके लिये एक सुव्यवस्थित परण संगठन खड़ा किया जाये, जो देश में घूम कर पता लगाये कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के नमक की मांग है । मुझे यह सुन कर अचम्भा हुआ कि हैदरावाद में सफेद नमक के स्थान पर काले नमक की मांग है । इन लोगों के स्वाद भी बदलने होंगे ।

प्रत्येक विधेयक के साथ लक्ष्य तथा कारण का जो विवरण दिया जाता है, वह इंगलैंड

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

में विधेयकों के साथ संलग्न नहीं किया जाता। सामान्य विधेयकों में लक्ष्य ही होता है और विशेष कारण नहीं होते, अतः या तो विधेयक के साथ इसका दिया जाना बिलकुल ही बंद कर दिया जाये, या कम से कम "तथा कारण" शब्द निकाल दिए जाएं।

यह समझ में नहीं आता कि सार्वजनिक उत्पादकों के विरुद्ध निजी उत्पादकों को सरकार क्यों विशेष रियायत दे रही है। क्या उन्हें यह सुविधा अच्छा नमक न बनाने के लिये दी जा रही है या अन्य कारणों से? कृपया इसे स्पष्ट कर दिया जाये।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : हमारे यहां ७०० मील लम्बा समुद्रतट है और वर्षों से नमक का उत्पादन होता आ रहा है। वित्तीय ज्ञापन से स्पष्ट है कि इस उपकर से ९५ लाख रुपये इकट्ठे किये जायेंगे, जिनमें ४० लाख नमक संगठन पर व्यय होंगे और शेष ५५ लाख देश के नमक उत्पादन के सुधार और संरक्षण पर केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम १९४४ की धाराओं के अधीन बने कई नियमों के संगठित कर देने के लिये मैं स्पष्ट ही इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मित्रवर श्री रामचन्द्र रेड्डी की कुछ बातों से मेरा मतभेद है। लोगों को यह न समझ लेना चाहिये कि समुद्रतट पर बड़े-बड़े नमक कारखाने हैं, जो बहुत बढ़िया नमक बनाते हैं। नमक उद्योग में भी 'मत्स्य न्याय' चल रहा है और बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। धारा ४ (ख) (४) में नमक उत्पादकों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करने के और धारा ४ (ख) (५) में नमक-उद्योग में श्रम कल्याण की उन्नति के उपबंध हैं। इनकी तुलना धारा ६ (२) (ङ) (२) से करें, जो "छोटे निर्माताओं के विशिष्ट वर्ग द्वारा उत्पादित नमक के सम्बन्ध में" की बात करती है। अपने २०-३० साल के अनुभव के बल पर मेरा विचार है कि जब तक सरकार प्राक्कलन पत्र मंगाने और मंजूर करने की नीति न बदलेगी और सहकारिता को प्रोत्साहित न करेगी, तब तक छोटे-मोटे निर्माताओं की समस्या का समाधान न होगा। मेरे शहर विशाखापटनम् में नमक पैदा करने वाले २८० परिवार हैं जो सन् १७१२ में सिंहाचलम् के मन्दिर की ओर से मिले ताम्र पट्ट और दान के अधीन नमक का उत्पादन करते चले आ रहे हैं। २१० वर्ष बाद एक दिन बंगाल नागपुर रेलवे ने बंदरगाह बनाने के लिये वह जमीन बिना क्षतिपूर्ति दिए उनसे छीन ली। दो वर्ष पहले सहसा विजगापट्टम् बंदरगाह अधिकारियों के लिए इस १,१०० एकड़ जमीन में से ४५० एकड़ का कोई उपयोग न रहा। प्राक्कलन-पत्र मंगाये गये और सबसे अधिक देने वाले को वह जमीन देदी गई। नानपाड़ा के प्रसिद्ध नमक-क्षेत्र में प्रति एकड़ १ से ३ रुपया लिये जाते हैं, जबकि यहां ढाई वर्ष पहले ३३ रुपये प्रति एकड़ लिए गए। साथ ही १,१०,००० रुपये का नजराना लिया गया। वे परिवार पूर्ववत् बेकार बने रहे। मेरे पास सभी कागज हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं चाहता हूं कि छोटे मोटे उत्पादकों को समाप्त कर देने की इस नीति के प्रकाश में सदन इन धाराओं की भाषा का परीक्षण करे।

उपाध्यक्ष महोदय : कर लगाने के विषय में आयव्ययक सत्र में निश्चय हो चुका है। गांधी-इरविन समझौते के अधीन इन लाइसेंस पाने वालों के विषय में निश्चित हो चुका है कि उनको नमक का उत्पादन करने दिया जाएगा। अतः प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र उपकर लगाये जाने से ही संबद्ध है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी की बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है ।

डा० लंका सुदरम् : मैं संक्षेप में कहूंगा । विजगापट्टम् बंदरगाह के प्रशासन पदाधिकारी ने अपने दिनांक १४ फरवरी, १९५२ के पत्र में मुझे बताया है कि सर्व-सामान्य नहरों, तालाबों, और बंधों के न रहने के कारण अनेक व्यक्तियों को लाइसेंस देना न तो संभव है और न इससे बचत ही हो सकेगी । गांधी-इरविन समझौते के अधीन भी छोटे-मोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की बात थी, पर यह पत्र एकाधिकार देने के पक्ष में है । १,१०,००० रुपये का नजराना लेकर यह जमीन एक व्यक्ति को न देकर उन पुराने व्यक्तियों को लौटा देनी चाहिए थी । यदि, यह सब नहीं किया जायेगा, तो इस विधेयक में किए गए लिखित उपबन्धों मात्र से कुछ लाभ न होगा । रेलवे बोर्ड के श्री वशिष्ट अपने दिनांक ९ अगस्त, १९५२ के पत्र में कहते हैं कि यह जमीन दस वर्ष के लिये पट्टे पर इस कारण उठा दी गई है कि इस बीच में बंदरगाह की विकास योजना में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । तो यह एकाधिकार केवल १० वर्ष के लिये दिया गया है और इस बीच भी उसके अधिकार कभी भी छीने जा सकते हैं ।

तो इस प्रकार प्रत्येक एकड़ भूमि का उपयोग एकाधिकार के विकास के लिए होता है । छोटे-मोटे उत्पादकों और सहकारी संस्थाओं को समूल नष्ट किया जा रहा है ।

अन्त में मैं सदन का ध्यान एक बार फिर इस घटना की ओर आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यद्यपि भूतकाल में हुई बातों के लिए वह उत्तरदायी नहीं हैं, तथापि वह जांच करके इन परिवारों के प्रति न्याय करें । अन्यथा हमें आशंका है कि न तो छोटे-मोटे उत्पादकों को लाभ होगा और न सहकारी संस्थाओं को, बल्कि उपकर से बचे हुए ये ५५ लाख रुपये बड़े-बड़े उद्योगपतियों की ही जेबों में जाएंगे ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : अब तक नमक-उपकर केन्द्रीय आवकारी तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अधीन लिया जाता था । मैं अपने को इस विधेयक तक ही सीमित रखूंगा ।

माननीय मंत्री ने एक बार कहा था कि हम लगभग नमक का निर्यात करने की स्थिति में आ गये हैं । भावनगर में नमक अनुसंधान प्रयोगशाला भी खोली जा चुकी है । वित्तीय ज्ञापन से स्पष्ट है कि उपकर द्वारा एकत्र होने वाले ९५ लाख रुपए में से ४० लाख प्रशासनीय उपबन्धों के लिए आवश्यक हैं । शेष ५५ लाख के व्यय का स्वरूप निश्चित करने के लिए एक संविहित संस्था आवश्यक है । परन्तु जब तक सरकार की इस व्यय के प्रकार के सम्बन्ध में निश्चित नीति न हो, इसे संविहित करने से कोई लाभ नहीं है । माननीय मंत्री ने कोयला खान कल्याण बोर्ड का उल्लेख किया था । परन्तु उस दिन श्रम मंत्री ने बताया था कि कुछ कोयला खान क्षेत्रों में खनिकों के विकास के लिए कुल १४ लाख रुपये ही व्यय किए गए । अतः जब तक श्रम और सहकारिता की उन्नति के विषय में सरकार गंभीरतापूर्वक कुछ नहीं करना चाहती, तब तक इस विधेयक में उपबन्ध रख देने मात्र से कोई लाभ नहीं है । अतः सरकार को निश्चित कर लेना चाहिये कि वह इस धन का व्यय किस रूप में करने जा रही है ।

श्रम कल्याण के ऊपर भी सरकार को पर्याप्त राशि व्यय करनी चाहिये । त्रावण-कोर-कोचीन में कुछ उपद्रव हुए और श्रम को परेशानी उठानी पड़ी । सरकार ने कोई सहायता नहीं दी । अतः यदि सरकार इस विधेयक के खंड ४ के उपबन्धों को कार्यान्वित

[श्री के० के० बसु]

करना चाहती है तो उसे अपनी नीति और योजना तुरन्त स्पष्ट कर देनी चाहिये ।

माननीय मंत्री ने स्वयं माना है कि नमक शुल्क हटा देने पर भी नमक के दाम कम नहीं हुए और उन्होंने श्रम की बढ़ी हुई लागत का तथा एकाधिकार वालों द्वारा दिए जाने वाले भारी किरायों का उल्लेख किया है । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक मोर्चा होने के कारण नमक के साथ हमारे भावनात्मक सम्बन्ध है और आशा थी कि राष्ट्रीय सरकार उसके दाम कम करेगी । हां, उत्पादन-लागत और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये भी धन देना होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् ने एकाधिकार वालों की कार्यवाहियों पर विस्तृत प्रकाश डाला है । उसे रोकना चाहिए अन्यथा छोटे-मोटे उत्पादकों का जीवित रहना या सहकारिता की भावना का पनपना कभी संभव नहीं है । छोटे-मोटे उत्पादक इस प्रतिस्पर्द्धा में नहीं टिक सकते । उत्पादकों द्वारा अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) प्रदान करने और नमक की श्रेणी-निरूपण करने के विषय में शासन की आलोचना की गई थी । हमारा प्रशासन कार्यदक्ष नहीं है । हमारी नमक-निर्माण की प्रक्रिया भी अद्यतन नहीं है, अतः प्रकार में वर्ष-वर्ष में, मौसम-मौसम में और क्षेत्र-क्षेत्र में अंतर हो जाता है । माननीय मंत्री कहते हैं कि हम नमक का निर्यात करने की स्थिति में हैं, परन्तु जब तक हमारे नमक का प्रकार नहीं सुधरता, उसकी विदेशों में बिक्री नहीं हो सकती ।

नमक न केवल हमारे भोजन का एक अंग है, बल्कि अनेक रसायन-उद्योगों के लिए एक कच्चे माल के समान है । इस पर किया गया व्यय देश के उद्योगीकरण की दशा में किया गया व्यय होगा । सरकार इस धन के व्यय की सुनिश्चित योजना बनाए और कोयला खान बोर्ड और अभ्रक बोर्ड की भांति एकत्र किए गए धन को बेकार न पड़ा रहने दे ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : यहां यह कहा गया है कि नमक के सम्बन्ध में १९४८ में एक समिति नियुक्त की गई थी जो कि नमक विशेषज्ञ समिति कहलाई । इस समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट १९५० में प्रस्तुत की थी । उसने बहुत सी सिफारिशें की थीं । मैं उसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश पर कुछ कहना चाहता हुं । उस समिति ने यह कहा था कि नमक के प्रशासन की बुरी दशा थी । उसने यह सुझाव दिया था कि नमक का उत्पादन खपत तथा वितरण आधुनिकतम तरीकों से किया जाये । उसने यह भी सुझाव दिया था कि इस के लिये एक संविहित निगम बनाया जाय जिसे भारत सरकार तथा राजस्थान संघ संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता दें और इससे नमक उद्योग भी सम्बन्धित हो । उस समिति ने इस पर बहुत विस्तारपूर्वक विचार किया और इस प्रकार के ये सुझाव दिये । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट के ३७८ पृष्ट में यह सिफारिश की है कि नमक विकास कार्य एक संविहित निगम करे और इस अभिप्राय से वह बनाया जाय । वह नमक उत्पादन, विकास तथा वितरण के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो । भारत सरकार तथा राजस्थान संघ इसे संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता दें और चूंकि भारत सरकार ने राजपूताना वर्क्स में बहुत अधिक पूंजी लगाई है इसलिये इसमें अधिक हिस्सा उसी का होना चाहिये । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि नमक विशेषज्ञ समिति की इस विशेष सिफारिश को लागू क्यों नहीं किया गया और क्या सरकार का विचार इसे लागू करने का है या नहीं ?

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेद्रम्) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हूं क्योंकि इससे नमक उद्योग का विकास होगा । इसे पहिले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । मैं समझती हूं कि कोई भी सदस्य इस सिद्धान्त से असहमत नहीं होगा । किन्तु मुझे तो विधेयक के कर लगाने वाले भाग पर आपत्ति है । मेरी आपत्ति यह है कि आप जीवन की एक आवश्यक वस्तु पर कर लगा रहे हैं । सरकार ने यह एक अनुचित कर लगाया है । इस सरकार का भूतकाल बड़ा भव्य था और इस दल के राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ नमक कर के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन किया था । उस सत्याग्रह अन्दोलन ने साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दी थीं । यह विधि की विडम्बना है कि आज वही लोग एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करके इस प्रकार के कर को उचित बता रहे हैं ।

इस विधेयक का कुछ भी औचित्य हो किन्तु सरकार आज ९५ लाख रुपये के इस कर को लगाये बिना भी इस उद्योग का विकास कर सकती है । विगत काल में इस कर के ऊपर इस सदन में बहुत विचार हो चुका है, इस पर बहुत सी समितियों ने विचार किया और इस कर को लगाने का अधिकार अब हमारे हाथ में आ गया है ।

नमक का सभी उपयोग करते हैं । हमारे निर्धन देश में प्रति मनुष्य नमक की आवश्यकता अधिक है क्योंकि शारीरिक विकास के लिये नमक आवश्यक है । मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि यह कर धनी व्यक्तियों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक लगेगा । खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त नमक कृषि सम्बन्धी कामों में भी प्रयुक्त होता है । पशुओं को भी नमक खिलाया जाता है । उद्योगों में भी नमक काम में आता है । अंग्रेजी शासन काल में बंगाल में नमक कर लगा देने के परिणामस्वरूप पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । हमारे उद्योगों में आज कल सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड एसिड तथा क्लोराइड जैसे रसायन नमक से ही हैं और ये बाहर भी भेजे जाते हैं । यद्यपि मैं इस विधेयक के सिद्धान्त को मानती हूं, फिर भी मैं समझती हूं कि इससे गरीबों पर और भी बोझा लद जायगा ।

कर का भार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । यहां ऐसे विधेयक पारित किये गये हैं जिनके द्वारा बहुत से उपकर लगे हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री को बतलाना चाहती हूं कि यह राष्ट्रीय आय का न्यायसंगत वितरण नहीं है कि नमक जैसे देशी उद्योग के विकास के लिये सामान्य व्यक्ति पर कर लगाया जाय । ऐसा कर केवल युद्धकाल में या सिंचाई नहरों, संचरण तथा रेलों आदि के विकास के लिये ठीक हो सकता है । किन्तु अब शान्ति काल है और इस उद्योग के विकास के लिये कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गैर-सरकारी उद्योगों को इस कर का आंशिक भाग दिये बिना ही इस उद्योग का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करे । धन विनियोजन करने से गैर सरकारी उद्योग मुनाफाखोरी करते हैं । इनमें बहुत सा धन नष्ट हो जाता है । मेरा कहना यह है कि लोगों पर अधिकाधिक कर लगाने की अपेक्षा सरकार को उच्च पदों पर अति व्यय वाले प्रशासन में इस प्रकार बचत करनी चाहिये कि इस कर के लगाने की आवश्यकता ही न पड़े और निर्धनों को कुछ सहायता मिल सके । इस उद्योग के विकास के लिये गरीब लोग इस समय यह कर दे सकते हैं किन्तु इस उद्योग के विकसित होने पर वे आशा करते हैं कि उन्हें बिना कर के ही नमक मिल सकेगा ।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, नमक जीवन की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत जरूरी वस्तु है । नमक के ऊपर अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने एक्साइज़ ड्यूटी लगा रखी थी, इस के वास्ते महात्मा जी ने सन् १९३० में आंदोलन शुरू किया, इसलिये कि नमक पर जो एक्साइज़ ड्यूटी लग रही है वह गलत है क्योंकि नमक की जरूरत हर आदमी को होती है और उस पर एक्साइज़ नहीं होना चाहिये । चुनांचे जैसे ही १९४७ में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेताओं ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस एक्साइज़ ड्यूटी को हटा दिया, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि नमक की एक्साइज़ ड्यूटी हटाने के बाद नमक जितना सस्ता होना चाहिये था उतना सस्ता नहीं हुआ ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आज कल भी नमक तीन चार रुपया मन बिकता है जब कि उस को डेढ़ या दो रुपया मन बिकना चाहिये । यह चीज़ हर इंसान के लिये जरूरी है और इस का असर हर गरीब व अमीर पर पड़ता है ।

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर हर तरह की छूट दी है । लेकिन खेद का विषय है कि बहुत से प्रान्तों ने इस पर कंट्रोल लगा रखा है, जहां व्यापारी को इस की मनोपली दे रखी है और वे मनमाने भाव से बेचते हैं और फायदा उठाते हैं । इसलिये इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है ।

इस के साथ ही मेरा यह सुझाव है कि जो सेस लिया जा रहा है साढ़े तीन आने और दो आने मन के हिसाब से, उस से करीब ४५ लाख रुपये की आमद होगी । आज कल कई प्रकार का नमक मिलता है जैसे खेवड़ा, सांभर, पंचभद्रा और समुद्री । उस में बहुत खराबियां होती हैं और उन से जनता की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है । इसलिये जहां जहां काफी तादाद में नमक बनता है वहां वहां इस रुपये से लेबोरेटरियां खोलनी चाहियें और उन में नमक का टेस्ट होने के बाद उस को काम में लाने के लिये दिया जाय, जिस से जनता की सेहत पर इस का बरा असर न पड़े ।

इस के साथ ही एक बोर्ड होना चाहिये जिस में पार्लियामेंट के मेम्बर हों जोकि इस बात को देखते रहें कि जो करीब ४५ लाख रुपया नमक के सेस के रूप में लिया जायगा उस को जनता के हित में खर्च किया जाय । जो लोग नमक के उत्पादन में काम करते हैं, मजदूर लोग हैं और दूसरे लोग, उन की सेहत रहन सहन का भी ध्यान रखना चाहिये जिस से उस में काम करने वालों की सेहत अच्छी रहे ।

यह बिल बहुत उपयोगी है, इस से हमारे हर एक आदमी को फायदा पहुंचेगा । खुश-किस्मती की बात है कि आज हमारे मुल्क में जितने नमक की जरूरत है उस से ज्यादा हम पैदा कर लेते हैं । हमारे यहां करीब साढ़े आठ सौ लाख मन नमक पैदा होता है जितने की कि हम को जरूरत नहीं है । हमारी सरकार को चाहिये कि एक बोर्ड बना दे और लेबोरेटरी बना दें जिस से जो नमक बने वह अच्छा बने । साथ ही साथ जो मनो-पोली स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रक्खी है वह भी खत्म हो जाय और जनता को सस्ता नमक मिल सके ।

मैं समझता हूं कि नमक जनता की जरूरत की चीज है और इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : कुमारी मस्करीन ने यह अच्छी प्रकार से बताया कि नमक पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये। उन्हों ने सरकार की आलोचना भी की और कहा कि पहिले इसी ने इस कर को खत्म कर देने के लिये आन्दोलन भी किया था। किन्तु वह एक बात भूल गईं। पहिले इस दल के लिये लोग आन्दोलन कर्ता थे और अब शासक हैं। इन दोनों में बहुत अन्तर होता है। इस समय आप गत काल में दिये गये आश्वासनों को भूल सकते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन केवल इसलिये करता हूं कि यह गांधीवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

श्री भागवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : नया मुल्ला पांच बार नमाज़ पढ़ता है।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक का सामान्य रूप से स्वागत किया गया है। त्रावणकोर की माननीया महिला सदस्या ने इस विधेयक की आलोचना की। डा० खरे ने भी एक अनोखे ढंग से आलोचना की। उन के बारे में तो "ऐसे मित्रों से तो भगवान् मुझे बचाये" वाला मामला है। उन्हों ने कहा कि सरकार गत काल में दिये गये आश्वासनों को भूल जाय और नई नीतियों से काम ले। मैं यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गत काल में जो आश्वासन दिये गये थे तथा नीति के जो मुख्य मामले हैं, सरकार उन्हें भूल नहीं जाना चाहती या उन सिद्धान्तों से हटना नहीं चाहती। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को यह धारणा है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से हम नमक पर कर लगाने के मामले में एक नई नीति का अनुसरण कर रहे हैं। मैं ने वाद विवाद के दौरान में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हम किसी नई नई नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और न हम अपनी नीति में ही किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीया महिला सदस्या ने कहा कि हम महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह गांधी-इर्विन समझौते की धाराओं को पढ़ें। उस समझौते से गांव के निवासियों को नमक बनाने का अधिकार मिलता है और उस में इस बात का निर्धारण है कि गांव के लोगों द्वारा बनाया गया नमक केवल घरेलू काम में लाया जाय और उसे व्यापार के लिये न बनाया जाय।

१९४७ में भारत सरकार न उस समझौते में निर्धारित बातों से अधिक लोगों को कुछ और रियायतें दीं। वे रियायतें यह थीं कि दस एकड़ क्षेत्र में लोग बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी प्रतिबन्ध या नियंत्रण या नियमों के, जो कि लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माताओं पर लागू होते हैं, न केवल अपने घरेलू काम के लिये अपितु दूसरे स्थानों पर बेचने के लिये भी नमक बना सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और गांधी-इर्विन समझौते की शर्तों से भी अधिक है। यदि माननीया महिला सदस्या गत इतिहास का अवलोकन करें तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी सम्मति बदल लेंगी और सरकार को बधाई देंगी और यह कहेंगी कि सरकार ने गांधी जी की स्मृति को सदा के लिये बनाये रखने का यथा सम्भव अत्यधिक प्रयत्न किया है। मुझे इस के विस्तार में इसलिये जाना पड़ा क्योंकि इस वाद विवाद से उस धारणा के बन जाने की सम्भावना है जिस का निर्देश मैं ने पहिले किया था। कुमारी मस्करीन के अतिरिक्त एक अन्य माननीया महिला सदस्या ने मुझ से यह प्रश्न पूछा था कि क्या हम गांधी-इर्विन समझौते के विपरीत कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जोकि उन कार्यों

[श्री के० सी० रेड्डी]

या नीतियों के विपरीत है जोकि हम ने गत काल में नमक कर के सम्बन्ध में निश्चित की थीं। मैं ने उन को फिर से इस बात का आश्वासन दिया था कि हम उस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम तो केवल छोटे से उप-कर लगाने के बारे में कानून बना रहे हैं, जिस के सम्बन्ध में हम ने नमक कर हटाते समय ही निश्चय कर लिया था जैसा कि मैं ने शुरू में ही बता दिया था। इस विधयक का यही सीमित कार्य क्षेत्र है।

मैं एक बात नहीं समझ सका। मैं समझता था कि इस विधेयक पर वाद विवाद केवल कानूनी तथा सांवैधानिक पहलू तक ही सीमित रहेगा और माननीय सदस्य नमक प्रबन्ध व्यवस्था की पूरी बातों पर वाद विवाद नहीं करेंगे। डा० लंका सुन्दरम ने अपने प्राप्त पत्रों में घटनाओं तथा उद्धरणों का उल्लेख किया। वह समझते हैं कि ऐसा करने से उन के तर्क को बल मिलेगा।

डा० लंका सुन्दरम् ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उस का एक बहुत बड़ा भाग भूतकालीन घटनाओं पर तथा कुछ वर्तमान घटनाओं पर आधारित है। लाईसेंस देने के मामले में पिछले कुछ मास में क्या हुआ है, कितने छोटे छोटे नमक बनाने वालों को लाईसेंस दिये गये हैं, इन छोटे छोटे नमक बनाने वाले केन्द्रों में किस हद तक नमक के निर्माण में वृद्धि हुई है, यदि इन सारी बातों का डा० लंका सुन्दरम् ने पता लगाया होता तो दूसरे ही परिणाम पर पहुंचे होते। वे यह दिखाना चाहते थे कि नमक उद्योग तथा नमक बनाने के तरीक़ों में सुधार करने के उद्देश्य को हम भूलते जा रहे हैं। मेरा कहना है कि यदि आप पिछले कुछ महीनों के नमक प्रशासन पर विचार करें तो, आप को पता चलेगा कि इस विधेयक में जिन बातों पर ध्यान दिया गया है, बराबर उन्हीं पर ध्यान दिया जाता रहा है तथा जो हमारा उद्देश्य था वह किसी हद तक पूरा भी हो चुका है और हम चाहते हैं कि उसी उद्देश्य को और भी जल्दी पूरा किया जाये और उसी के लिये हम ने यह विधेयक बनाया है।

माननीय सदस्य ने जो उदाहरण दिया है उस के सम्बन्ध में मैं उन से पूछना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने जो भूमि ले ली थी उस के लिये भूमि के स्वामियों को कोई हर्जाना दिया या कि नहीं ? इसी भूमि को फिर नमक बनाने के लिये देते समय यदि नीलाम के द्वारा कुछ धन प्राप्त कर लिया गया तो इस में सैद्धान्तिक रूप से अनुचित बात कौन सी है। जहां तक इस उदाहरण का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि इस का नमक प्रशासन से कोई भी सरोकार नहीं है। यदि यह रेल मंत्रालय की सम्पत्ति है और यदि वे नीलाम के द्वारा उसे नमक बनाने के लिये पट्टे पर देना चाहते हैं तो इसलिये उन्हों ने जिस प्रक्रिया का उपयोग किया उस में अनुचित बात कोई भी नहीं है। जब रेल आय व्ययक वाद विवाद के लिये रक्खा जाता है तो स्वाभाविक रूप से ही माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं। रेल प्रशासन को लाभ तथा हानि कितनी हुई ? क्या उस का संचालन वाणिज्य के आधार पर किया जा रहा है इत्यादि ? मैं यह नहीं कहता हूं कि रेलवे प्रशासन को, सदा ही एक वाणिज्य संस्था के रूप में ही समझा जाये। फिर भी जब कभी रेल आय-व्ययक वाद विवाद होता है तो इसी प्रकार की आलोचना की जाती है। इसलिये यदि रेल विभाग ने कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर लिया है तो कम से कम इस आधार पर माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं

है कि नमक प्रशासन ऐसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा है जिस का उद्देश्य अपना कोष भरना है तथा उस ने लघु परिमाप नमक निर्माण के प्रोत्साहन देने के प्रधान उद्देश्य को भुला दिया है ।

मेरे माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्री टामस तथा नमक प्रशासन पर भाषण देने वाले अन्य सदस्यों ने नमक प्रशासन के अनेक पहलुओं की ओर निर्देश किया है । उन सब का मैं किसी और अवसर पर जवाब दूंगा क्योंकि निघारक निरोध अधिनियम पर बहुत महत्वपूर्ण वादविवाद होने वाला है और अब इतना समय नहीं है कि इन सब का उत्तर दिया जा सके ।

फिर भी मैं कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश करूंगा । सब से पहली बात यह है कि श्री रामचन्द्र रेड्डी तथा श्री बसु ने विभाग की कुछ त्रुटियों की ओर इंगित किया है । कहा यह गया था कि ऊपर चाहे जो हो रहा हो क्षेत्रों तथा स्थानीय हलक़ों में कुछ आपत्ति-जनक बातें हो रही हैं जहां अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं । श्री बसु ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाईयां हैं । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि स्वाभाविक रूप से आशा की जाती है कि विभाग के अध्यक्ष को बराबर पता होता रहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है और मुझे विश्वास है कि इस विभाग के अध्यक्ष को भी सब पता है । इतना होने पर भी अच्छे से अच्छे तथा कुशल से कुशल विभागों के संचालन में भी कुछ न कुछ त्रटियां हो सकती हैं । यह कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि इस विभाग का संचालन सर्वथा दोषरहित है । मैं यह आश्वासन दिलाता हूं कि कोई भी त्रुटि यदि माननीय सदस्य हमें उस की सूचना देंगे या हमें जांच करने पर पता चलेंगी तो यह विभाग उस को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेगा और प्रशासन को जनता के दृष्टिकोण से स्वच्छ, कुशल तथा संतोष-जनक बनाने का प्रयत्न करेगा ।

श्री टामस ने प्रश्न उठाया है कि इस के लिये भी एक बोर्ड क्यों न बना दिया जाये जैसा इसी प्रकार के अन्य विधेयकों में किया गया है और यह भी कहा है कि हम इस विधेयक ही में प्रकट कर सकते थे कि इस के बोर्ड की रचना कैसी होगी । हमें यह विधेयक बहुत जल्दी जल्दी में तय्यार करना पड़ा है क्योंकि हम चाहते थे कि इस उपकर का आरोपण विधिक आधार पर किया जाये और इन वर्षों में जो कुछ किया जा चुका है उस को वैध बना दिया जाये । इसलिय हमें अपना ध्यान निश्चित खण्डों तक ही सीमित रखना पड़ा । आगे चल कर हमारा निश्चय एक व्यापक विधेयक रखने का है जिस में बोर्ड की रचना तथा अन्य बातों का उपबन्ध करेंगे ।

नमक विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों की ओर भी संकेत किया गया था और कहा गया था कि सरकार ने इन सिफ़ारिशों पर न कोई ध्यान दिया है और न इन का पालन करने का कोई प्रयत्न किया है । इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इन सिफ़ारिशों का सूक्षम अध्ययन कर चुकी है तथा कई सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में निर्णय भी कर चकी हैं तथा यदि कुछ सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार अभी तक कुछ कर नहीं सकी है तो इस का कारण यह है कि कुछ ऐसी मूलभूत अड़चनें राह में आ गई हैं जिन की ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

श्री कासलीवाल ने एक प्रमुख उदाहरण देते हुए प्रश्न किया है कि नमक उद्योग का एक परिनियत निगम क्यों नहीं बना दिया

[श्री के० सी० रेड्डी]

जाता है ? एक महिला सदस्या ने राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव रखा है । यह सब नीति सम्बन्धी बड़े बड़े प्रश्न हैं । इन के सम्बन्ध में हमें केवल इन की केवल वांछनीयता पर ही ध्यान नहीं देना पड़ता है वरन् यह भी देखना पड़ता है यह उपाय कहां तक व्यवहारिक तथा कार्यान्विति के योग्य हैं । इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने वाली यह है कि नमक उद्योग के राष्ट्रीयकरण में हम जो धन क्षतिपूर्ति देने के लिये व्यय करेंगे क्या उस का हम कोई और लाभदायक प्रयोग नहीं कर सकते हैं । फिर यह कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करने से जनता को कौन कौन सी असुविधाओं तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

मैं बताना चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में सरकार नमक विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर विचार कर चुकी है तथा आवश्यक आदेश जारी कर चुकी है । आगे भी इन सिफ़ारिशों से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सरकार विचार करती रहेगी तथा उन के सम्बन्ध में ऐसे निर्णय करती रहेगी जो उचित हों तथा व्यवहारिक हों ।

मेरे माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी ने कहा है कि जब हम नमक के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हैं तो अब इस क्षेत्र-पद्धति को जारी रखने की क्या आवश्यकता है । नमक तो पर्याप्त मात्रा में है परन्तु माल गाड़ी के डिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है । जो डिब्बे हमारे पास हैं उन का हमें सब से अच्छा उपयोग करना है, हमें ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिस में हमें दूरस्थ स्थानों को नमक भेजने की आवश्यकता न पड़े । और मेरा निवेदन है कि बिना किसी प्रकार की क्षेत्र-पद्धति के ऐसा करना संभव नहीं है । इस क्षेत्र-पद्धति के कारण नमक भेजने के लिये स्वतंत्र आधार पर जितने डिब्बे मिल जाते हैं उनके अतिरिक्त डिब्बों की सपलाई के सम्बन्ध में नमक को प्रधानता दिये जाने का भी लाभ होता है । इसलिये क्षेत्र-पद्धति समाप्त कर देने से नमक उद्योग को नमक भेजे जाने के सम्बन्ध में अभी जो प्राथमिकता मिल जाती है वह न रहेगी तथा संभव है कि नमक के व्यापार में कुछ और भी कठिनाईयां उत्पन्न हो जावें । मैं सारे विवरण तो बता नहीं सकता हूं पर इतना कह सकता हूं कि यदि क्षेत्र-पद्धति अब भी चलाई जा रही है तो इसलिये कि जैसी परिस्थितियां हैं उन में इस प्रणाली का बनाये रखना ही आवश्यक है ।

और अधिक नमक के निर्यात करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । यद्यपि नमक के मामले में हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त है फिर भी कुछ विशेष प्रकार के नमक के उत्पादन की मात्रा बहुत कम है जिस से लोगों ने अनेक शिकायतें की हैं । इस दृष्टि से हमें एक क्षेत्रीय व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिस से किसी भी राज्य विशेष को किसी विशेष प्रकार के नमक प्राप्त करने में कठिनाई न हो सके । आज सांभर तथा सेंधे नमक की मांग अधिक है किन्तु उस की पूर्ति कम है । माल का आरक्षण २५ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत कर दिया गया है और अब नमक परामर्शदात्री समिति ने इस को घटा कर १० प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत के बीच कर देने की सिफारिश की है ।

आज निजी निर्माणशालाओं में तथा सरकारी निर्माणशालाओं में तैयार किये गए नमक उपकर में विभेद है जो इस कारण है कि सरकारी कारखानों में तैयार किय गय नमक पर हमें राज्य सरकार को सन्धि अधि-

कारों के अन्तर्गत कुछ देयों का भुगतान करना पड़ता है । सरकारी कारखानों में हमारे कुछ माननीय सदस्यों को विचित्रता जान पड़ती है कि इन पर व्यय अधिक किया जाता है तथा लागत निजी कारखानों से कम आती है । अतः इस में निजी कारखानों की अपेक्षा कुछ अधिक उपकर लगाने की गुंजाइश है । इसी कारण नमक के निजी कारखानों में तैयार किये गये नमक पर २ आने प्रति प्रमाणित मन की तुलना में सरकारी कारखानों में तैयार किये गये नमक पर ३,१/२ आने प्रति प्रमाणित मन पर उपकर लगा दिया गया है ।

इस उपकर में समानता लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । किन्तु अभी एक बात जो विचारणीय है वह है भूतपूर्व राज्यों से हमारे सन्धि-अधिकार सम्बन्धी प्रश्न का निश्चय करना । क्या वे राज्य आज जैसे हैं वैसे ही रहने दिये जायें अथवा उन में कुछ सुधार किये जाने चाहियें ? तत्पश्चात हमें यह निश्चय करना होगा कि सरकारी तथा निजी कारखानों में तैयार किये गये नमक उपकर के सम्बन्ध में यह विभेद वास्तव में चलता रहना चाहिये अथवा नहीं ? इस विधेयक में होने के कारण यह विभेद तो चलना ही चाहिये । भावनगर में एक अन्वेषण केन्द्र खुलने जा रहा है जिस का उद्देश्य यह बताना होगा कि नमक से सम्बन्धित अन्य उद्योग किस प्रकार कार्य कर सकते हैं । योजना आयोग को भी इस का निर्देश कर दिया गया है और हम लोग भी देश में औद्योगिक विकास को कार्य रूप में परिणत करने पर विचार कर रहे हैं । कास्टिक सोडा उद्योग के लिये यथेष्ट धन राशि की आवश्यकता होगी । अतः देखना यह है कि लोग इस में धन लगाना चाहेंगे अथवा नहीं । यदि ऐसा न हुआ तो सरकार स्वयं ही इस को अपने हाथ में ले लेगी । अतः आगे बढ़ने से पूर्व इन बातों पर विचार कर लेना परमावश्यक है ।

एक अन्य बात इस निधि के उपयोग के सम्बन्ध में उठाई गई थी । इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था कि इस निधि का यथेष्ट अंश श्रम हित के लिये रखा जाये । मैं श्रम की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए इस से पूर्णतया सहमत हूं । यह भी बताया गया था कि इसी प्रकार की कुछ अन्य निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था । मैं कहना चाहूंगा कि उस का उचित उपयोग श्रम को सुविधायें प्रदान करने में किया जाये । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि श्रम-कल्याण के लिये यथासम्भव राशि व्यय की जायेगी । अतः धारा ६ के अन्तर्गत नियम बनाने से पूर्व इस श्रम पर कितनी धन राशि व्यय की जायेगी इस पर भली भांति विचार कर लेना होगा ।

यथासम्भव परीक्षण प्रयोगशालाओं का होना भी आवश्यक है किन्तु प्रत्येक नमक निर्माण शाला के लिये एक प्रयोगशाला का होना न तो उचित ही होगा और न संभव ही ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि इस उद्योग के पूर्णतया विकास हो जाने पर क्या सरकार गरीबों को सहायता देने के लिये इस शुल्क में छूट देगी ?

[सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।]

खंड २—(परिभाषायें)

श्री राम दास (होशियारपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ पर, पंक्ति २१ में —

Sajji ["सज्जी"] हटा दीजिये ।

श्रीमान्, इस संशोधन द्वारा मैं सरकार से कुछ त्याग करने के लिये नहीं कह रहा हूं, किन्तु यथेष्ट सहायता के लिये कहता हूं....

सभापति महोदय : संशोधन रखा गया :

पृष्ठ १ पर, पंक्ति २१ में Sajji ["सज्जी"] हटा दीजिये ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस संशोधन से कई कारणों से सहमत नहीं हूं । इस में सज्जी पर उपकर लगाने आदि के विषय में कोई बात नहीं कही गई है । यदि मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करता हूं तो उप कर लगाने की नीति पर कार्य करना सम्भव नहीं होगा । अत: खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

[श्री रामदास ने सभापति की अनुमति से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३—(उपकर का समाहरण तथा संचयन)

श्री वी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पर, पंक्ति २५ में—

"two annas" ["दो आने"] के स्थान पर "one anna" ["एक आना"] आदिष्ट कीजिये ।

पृष्ठ २ पर, पंक्ति २८ में—

"three and a half annas" ["साढ़े तीन आने"] के स्थान पर ["एक आना"] आदिष्ट कीजिये ।

[सभापति महोदय द्वारा उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव सदन के मत के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए]

श्री एन० सेमना (कुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ में, पंक्ति २८ के पश्चात जोड़िये—

"provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, exempt the whole or part of the Cess leviable under this Act, for salt of any specified category or for salt required for any specified purpose, or both."

["बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार गजट में अधिसूचना के द्वारा किसी विशेष प्रकार के अथवा किसी विशिष्ट कार्य के लिये अथवा दोनों के लिये आवश्यक नमक पर इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाये जाने योग्य सम्पूर्ण अथवा कुछ अंशो में उपकर में छूट दे सकती है ।"]

श्रीमान्, अन्तिम वाक्य में 'लिये' शब्द छूट गया है । होना यह चाहिये "or for both" ["अथवा दोनों के लिये"]

छूट देना अधिनियम के उद्देश्यों में से एक नहीं है । अत: किसी भी प्रकार के नमक के लिये छूट देने के सम्बन्ध में नियम बनाना सरकार के अधिकार के बाहर होगा । इसी लिये सरकार को अधिकार देने के लिये ही मैं ने खण्ड ३ में एक परन्तुक रखा था ।

अत: यदि किसी नमक को छूट देनी है तो वह केवल अधिनियम के अन्तर्गत ही आना चाहिये ; नियम बनाने वाले अधिकार से ऐसा नहीं किया जा सकता । यह अधिकार मूल धारा से बाहर नहीं जा सकता । यद्यपि

यह अधिकार दिया तो गया है किन्तु यह केवल छूट के तरीके के रूप में दिया गया है, अधिकार के रूप में नहीं। इस विधेयक में यह एक अभाव है जिस से सरकार की मर्यादा को धक्का पहुंचता है क्योंकि यह बात मामले की तह तक जाती है। यदि बाद को नियम बनाये जाने वाले हैं तो यह सरकार के अधिकार के बाहर की बात हो जाती है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार कर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस का परीक्षण करने पर उस में कोई सार नहीं दिखाई देता। उन का आशय सरकार को इस मामले में संभावित कठिनाई से दूर रखने का है। इस में सरकार को कुछ रियायतें करने की शक्ति देने का उपबन्ध किया गया है, जो पहले से अधिनियम में वर्तमान हैं। विशेष उपबन्ध साधारण उपबन्ध से उत्तम समझा जाता है। खण्ड ६ के अधीन सरकार को कुछ विशेष मामलों में छूट देने के लिये नियम बनाने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति विध्यनुकूल है। अन्य अधिनियमों में भी ऐसे ही उपबन्ध रखे गये हैं। केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक कर अधिनियम १९४४ की धारा ३ के अधीन कर लगाने की सामान्य शक्ति के रहते हुए भी धारा ३७ में कुछ छूट देने का उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार सामान्य शक्ति का उपबन्ध होते हुए विशेष उपबन्ध करने के उदाहरण और कई अधिनियमों में भी मिलते हैं।

खादी उद्योग के हित के लिये कारखानों के कपड़ पर अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले विधेयक में भी इस बात की पुनरावृत्ति हुई है, जिसे हम ने अभी हाल में पारित किया है। इस लिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है; अन्यथा मैं इसे स्वीकार कर लेता। यह भी अन्य अधिनियमों में किये गये उपबन्धों के समान ही है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधयक का अंग बना लिया गया।

सभापति महोदय : मैं ४ से ६ खण्डों को इकट्ठा प्रस्तुत करूंगा। क्या कोई सदस्य इनमें से किसी खण्ड पर बोलना चाहता है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जी, हां। खण्ड ५ पर।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५--करारोपण की विधनुकूलता

श्री यू० एम० त्रिवेदी : सरकार कई शक्तियां अपने पास समझती है, जो वास्तव में उसके पास कानून के अनसार नहीं होतीं। यह उसी का एक उदाहरण है। पिछले वर्ष नमक पर पर्याप्त कर लगाया गया था, परन्तु उस कर को लगाने का कोई अधिनियम नहीं था। इस लिये उस गलती को धोने के लिये यह विधि सदन के सामने लाई गई है, अन्यथा इस का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। संविधान की धारा ३(१) तथा २६५ के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना किसी की सम्पत्ति नहीं छीनी जा सकती तथा कोई कर नहीं लगाया जा सकता। तो बिना प्राधिकार के यह कर क्यों लगाया गया ? यह गलती और धान्धली मचाने के पश्चात अब यह बात सदन के सन्मुख रखी गई है कि इस प्रकार दी गई कोई भी रकम वापिस लेने के लिये न्यायालय में कोई दावा नहीं हो सकेगा। यह कितनी भयंकर बात है। एक की गई गलती

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

को वैधानिक बनाने का प्रयत्न है। एक ओर तो यह संविधान के विपरीत होने के कारण अवैध है। अब जब कभी यह तर्क किया जायगा, तो सरकार का बचाव यह होगा कि उन्हों ने इस की मान्यता का उपबन्ध किया है। इस लिये यह कहा जाएगा कि इस प्रकार दी गई रकम की वापसी के लिये कोई दावा किसी न्यायालय में नहीं किया जाएगा। आप इस प्रकार भारत के संविधान में कोई उपबन्ध कर के इसे बदल नहीं सकते, और विशेष कर संविधान के तृतीय भाग को। आप ऐसा कर के मुकद्दमे बाज़ी के लिये मार्ग खोल रहे हैं। परन्तु आप को यह करना चाहिये था कि आप जनता के सामने अपनी भूल स्वीकार करते और जनता से अवैध रूप में लिया गया धन उसे लौटाते। परन्तु इस के विपरीत आप कहते हैं कि हम ने जनता को धोखा दे कर उस से रुपया लिया और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। इस प्रकार का विधान गलत है। सरकार को पश्चातगामी प्रभाव से ऐसी विधि का उपबन्ध अवैध मामलों में नहीं करना चाहिये। हम गलती समझते हुए भी कर एकत्रित करते रहे। अतः विधि का यह उपबन्ध संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है और जब तक आप संविधान की धारा ३१(१) को न्याय-संगत नहीं घोषित करते, आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। सदन को इस के सब पहलुओं पर विचार करना चाहिये।

श्री क० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य की बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान की धारा ३१ (१) और धारा २६५ को अपनी बात का समर्थन करते हुए निर्देश किया है। मैं नहीं समझ सकता कि कैसे इन धाराओं को उन्होंने अपनी बात के समर्थन के लिये उद्धृत किया है। सरकार का बेईमानी करने का कोई इरादा नहीं, जैसा कि सदस्य महोदय ने वर्णन-कया है। उन्होंने यह समझा है कि हम जो कुछ पिछले वर्षों में करते रहे, वह धोखे बाज़ी थी और अवैध था। वे समझते हैं कि हमने अब उनकी अवैधता को अनुभव किया है। ये सब बातें निरर्थक और व्यर्थ हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह धारणा तो आपके अपने खण्ड से बनी है।

श्री के० सी० रड्डी : बात यह है कि कई मामलों में ऐसा सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि क्या सरकार का अमुक कार्य वर्तमान अधि-नियम के अनुरूप है अथवा नहीं। जब एक विधेयक विधि के रूप में पारित किया जाता है और वैधानिक स्थिति के पुनर्विचार के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्णतया ठीक नहीं है, तो कुछ सन्देह उत्पन्न हो जाता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सब कहीं ऐसा किया जाता है कि उन मामलों की ठीक व्यवस्था करने के लिये, ताकि सन्देह के लिये स्थान न रहे, उन्हें पूर्णतया वैधानिक आधार पर लाया जाता है। मुझे पता है कि इस प्रकार की हजारों बातें संसार के विधान में हुई हैं। और मैं इसी देश में ऐसा होने के कई उदाहरण बतला सकता हूं। मैं मित्र महोदय को बतलाना चाहता हूं कि हमने कोई अवैध काम नहीं किया है, जिसे ढकने के लिये हमने इस खण्ड को न्यायसंगत बनाने के लिये यह उपबन्ध प्रस्तुत किया है। हम पूर्णतया विधि के अनुसार काम करते हैं, और हम इसमें भी वैसा भी करना चाहते हैं। माननीय सदस्य को इसका समर्थन ही करना चाहिये।

श्री राघवाचारी (वेनुकोंडा) : इसके विषय में उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस का वर्णन क्यों नहीं किया गया ?

सभापति महोदय : उद्देश्य तथा कारणों की पहली पंक्ति में—धारा ३७ इत्यादि के अधीन निर्देश किया गया है।

श्री के० सी० मोरे : इन संदेहात्मक मामलों से कुल कितनी रकम प्राप्त की गई है ?

एक माननीय सदस्य : ५ लाख रुपये ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निवारक निरोध अधिनियम के संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"३० सितम्बर १९५२ से ३० सितम्बर १९५३ तक निवारक निरोध अधिनियम १९५० के संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया जाय है ।"

मुझे प्रसन्नता है कि यह वादविवाद प्रसन्न मुद्रा के साथ आरम्भ होता है और मुझे आशा है कि यह ऐसे ही चलेगा । वास्तव में कहने के लिये बहुत कुछ नहीं है । जो विवरण पत्र मैंने परिचालित किया है, उसमें सब तत्सम्बन्धी तथ्य और आंकड़े दिये गये हैं । मैं यह स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकार ने इस मामले में जिस नरमी से काम लिया है मुझे उससे आश्चर्य हुआ है । जब हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप को इस देश के विशाल आकार को ध्यान में रखना चाहिये, और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि इतने विशाल क्षेत्र में ३६ करोड़ लोगों में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित रखने तथा हिंसात्मक कृत्यों को रोकने के लिये संसद् ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये यह निवारक निरोध अधिनियम बनाया है । अपना देश ५ या ६ करोड़ की जनसंख्या वाले देशों अर्थात् डेनमार्क, बेलजियम या इंग्लैण्ड की तरह नहीं है । मैं अमरीका का भी यथा समय वर्णन करूंगा । ३० सितम्बर १९५३ को समस्त भारत में १५७ लोग नजरबन्द थे । सदन को याद होगा कि मैंने जो विवरण पत्र परिचालित किया है, उसमें १ अक्तूबर १९५२ से ३० सितम्बर १९५३ तक अर्थात् १२ महीनों के आंकड़े दिये गये हैं । उस समय तक १५७ लोग नजरबन्द थे । तब मैंने बीच के दो महीनों के सम्बन्ध में जानकारी पूछी और हमारे पास अक्तूबर १९५३ के आंकड़े आ गये । इन १५७ में से भी ४० कम हो गये, और ३१ अक्तूबर १९५३ को ११७ नजरबन्द रह गये । ३६,१/२ करोड़ की जनता में से ३१ अक्तूबर को ११७ नजरबन्द होने की अवस्था में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : अधिक नजरबन्दों के लिये बहुत गुंजाइश है ।

डा० काटजू : यह मसखरेपन की बात कही गई है । मैं इसे ध्यान में रखूंगा । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह कुछ महत्व की हो सकती है, मेरा सारा जीवन न्यायालय में विधि का पालन करने के निमित्त वकालत करते हुए बीता है और मैं चाहता हूं कि विधि

द्वारा अभियोग के बिना किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये। परन्तु मेरे सामने अमरीकी संविधान अथवा ब्राजील के संविधान का निर्देश करने का कोई उपयोग नहीं है। भारत में, जब हमने संविधान बनाया, हमने अनुभव किया कि परिस्थितियां बड़ी कठिन हो सकती हैं और इसलिये संविधान में भी उपबन्ध किये गये, जिन के अनुसार संसद् ने इस निवारक निरोध अधिनियम को पारित किया है। अब मैं सदन को एक विशेष मामले की याद दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल में प्रथम निवारक निरोध के पारित होने के पहले, प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना लोक सुरक्षा अधिनियम था, जो इससे अधिक सख्त था। मेरे पास आंकड़े हैं कि कितने लोग नजर-बन्द किये गये थे, उदाहरणार्थ १९४७, १९४८ और उसके शीघ्र पश्चात्। क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है, इसलिये जब संसद् ने हस्तक्षेप किया, तो राज्य सरकारों ने पूर्णतया अपने प्रान्तीय अधिनियमों को छोड़ दिया और इस निवारक निरोध अधि-नियम को स्वीकार कर लिया।

मेरा तो यह भी कहना है कि निवारक निरोध अधिनियम या यूं कहिये कि निवारक निरोध व्यवस्था की संसद् द्वारा प्रत्येक वर्ष अत्यन्त ध्यान पूर्वक ढंग से छानबीन की गई है तथा प्रत्येक वर्ष संसद् ने यह सुनिश्चित करने के लिये बहुतसी बन्दशें लगाई हैं कि किसी औपचारिक विधि न्यायालय में परीक्षण के न होने पर भी तीन न्यायाधीशों के सामने जो नज़रबन्द से मानवता का व्यवहार कर सकें। अधिक अधिकृत ढंग से परीक्षण हो सके। इस सम्बन्ध में एक मंत्रणा बोर्ड भी है। आपत्ति के कारण भी हैं। साथ ही उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को भी दखल देने के अधिकार हैं। यह व्यवस्था भ्रमात्मक सिद्ध नहीं हुई है। आप पर यह स्पष्ट हो जायगा कि विभिन्न मंत्रणा बोर्ड इस मामले में बहुत सावधान रहे हैं तथा जब कभी उन्हें दखल देने का लेशमात्र अवसर मिला है, उन्होंने अवश्य ही दखल दिया है। सदन को स्मरण होगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्रणा बोर्ड के सामने विधि सम्बन्धी प्रतिनिधित्व के विषय पर सदन में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई थी। उस अवसर पर मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि यदि नज़र-बन्द व्यक्ति वकीलों की बाधा को उपस्थित किये विना स्वयं पेश हो तो अधिक अच्छा रहेगा क्योंकि इस प्रकार से वह अधिक अच्छा तथा मानवीय प्रभाव डाल सकेगा तथा वकील के साथ जाने की अपेक्षा जो अपने साथ सदैव एक विशेष प्रकार का वातावरण भी ले जाता है, उसके सफल होने की सम्भावना बहुत बढ़ जायगी। यही कारण है कि मंत्रणा बोर्ड ने बहुत से मामलों में दखल देने का आश्वासन दिया है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या मंत्रणा बोर्ड को उस समय यह सूझी थी कि नज़रबन्दी का आदेश देने के समय नज़रबन्दी न्यायोचित थी या नहीं अथवा उन्होंने यह सोचा था कि वे जूरी की भांति ऐसा नहीं कहेंगे। वह कह सकते हैं कि हमने अमुक युवक अथवा अधेड़ आयु के व्यक्ति को देखा है तथा हमें वह काफ़ी निर्दोष जान पड़ता है, तथा कि वह पहले ही २० दिन काट चुका है और उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है अतः उसे छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सरकार भी बहुत सावधान रही है तथा उसने बहुत बड़ी संख्या में नज़रबन्दों को छोड़ा है। बहुत से मामलों में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। मैं उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहता क्योंकि वे अत्यन्त सम्मान के पात्र हैं तथा हमें अपनी न्यायपालिका पर उचित ही गर्व

है । परन्तु विभिन्न फैसलों को पढ़ कर क्या दिखाई देता है ? मान लीजिये कि नज़रबन्दी के पांच कारणों में से साढे चार ठोस कारण हैं। न्यायाधीश यह कहते हैं : "साढ़े चार कारण तो ठीक हैं, परन्तु यह आधा कारण ठीक न होने से नज़रबन्दी का सारा आदेश ही खराब है" । हम विश्वास से नहीं कह सकते कि इनमें से किस कारण विशेष से सरकार ने कार्यवाही की है तथा इस अस्पष्टता का लाभ नज़रबन्द को मिलता है । माननीय सदस्यों को कई मामले ऐसे मिलेंगे जिनमें ऐसा हुआ है । मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं । विधि के अनुसार न्यायदान न्यायाधीशों का काम है तथा हमें उनके निर्णय को मानना पड़ता है । इसका अर्थ यह है कि आपत्ति के कारणों को बड़े ध्यान से लिखा जाना चाहिये तथा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा इसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिये। यदि आपत्ति के कारणों के सम्बन्ध में सरसरी कार्यवाही की जाय तथा इन्हें किसी ऐसे क्लर्क या सचिव द्वारा तैयार किया जाय जिसे विधि सम्बन्धी अनुभव कुछ न हो तो अवांछनीय बातें हो सकती हैं । उस समय सवाल उठता है कि यह खराब बात कैसे हुई ? एक मास पहले आपको प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये थे । मैं समझता हूं कि सदन हमें इस बात का श्रेय देगा कि हमने अधिकाधिक उपलब्ध सूचना को उसके सामने रख दिया है । सदन को स्मरण रहना चाहिये कि बहुत से नज़रबन्दों को उनके राजनैतिक कार्यों के लिये नज़रबन्द नहीं किया गया बल्कि इसलिये नज़रबन्द किया गया है कि कुछेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के दण्डनीय अपराध हो रहे थे--उदाहरण से पैप्सू में डाकू थे तथा सौराष्ट्र में वह बदनाम भूपत ।

एक माननीय सदस्य : वह तो जा चुका ।

डा० काटजू : इस से कोई अन्तर नहीं आता ।

बम्बई में इस अधिनियम का प्रयोग गुण्डों को नज़रबन्द करने के लिए किया गया है । यदि आप कहें कि लोगों को केवल राजनैतिक कामों के लिए ही नज़रबन्द किया जा रहा है तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि यह दलील बिल्कुल निराधार है । आप याद रखें कि आलोचना का करना बहुत ही सरल काम है । विरोधी दलों के सदस्य बहुत आसानी से ऐसा करने की स्थिति में हैं । आलोचना का करना उनका कर्त्तव्य है तथा वे ऐसा करने में स्वतंत्र हैं । परन्तु भगवान ही जानता है कि यदि वे अपना स्थान बदल लेते तो क्या भलाई करते ।

एक माननीय सदस्य : बहुत कुछ ।

डा० काटजू : तब तो आप स्वतन्त्रता की देवी बन जाते तथा प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करते । दूसरे व्यक्तियों के बारे में मैं कह सकता हूं जिन्हें विभिन्न तरीके से समाप्त कर दिया जाता ।

तुलना का करना एक अरुचिकर बात है । मेरा विचार है कि यदि कोई और शासन प्रणाली होती तो अपराधी का पक्ष लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति दो मास के अन्दर अन्दर अपना अपराध स्वीकार कर लेता । एक न्यायालय की स्थापना कर दी जाती तथा उसे मृत्युदण्ड अथवा दस वर्ष का कारावास दे दिया जाता । इस समय तो स्वतन्त्रता की देवी के निमित्त सभी प्रार्थनाएं तथा परीक्षण की स्वतन्त्रता के बारे में तथा बिना परीक्षण के किसी को नज़रबन्द न किये जाने के बारे में ज़ोरदार भाषण सुनने में आ रहे हैं। यह सब कुछ करना बहुत आसान बात है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : जब अंग्रेज यहां थे आप ऐसी बातें नहीं कहते थे ।

डा० काटजू : भगवान के लिए उत्तेजना-रहित हो कर सोचिये कि पिछले बारह मास में भारत में क्या कुछ हुआ है । क्या हम कुछ संकटमय काल से नहीं निकले हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

डा० काटजू : क्या हिंसा का प्रचार नहीं किया गया है ? आप कलकत्ते का उदाहरण लें । मैं इस सम्बन्ध में अच्छी बुरी बातों का वर्णन नहीं कर रहा हूं । ट्राम के भाड़ों के सम्बन्ध में आन्दोलन उठा था तथा बसों आदि को आग लगा दी गई । मैं कलकत्ता में स्वयं जा कर ये बातें देख चुका हूं ।

अब निकट ही दिल्ली की बात लीजिये । एक दो मास से यहां पर भारत के सभी भागों से लोग कानून को तोड़ने के घोषित उद्देश्य से आते रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय ?

आचार्य कृपालानी : कुछेक को फांसी दे दीजिये ।

डा० काटजू : यह मैं आप पर छोड़ता हूं ।

आचार्य कृपालानी : समाज को ख़तरे में डालने की बजाय कुछेक को फांसी दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत अच्छी बात है ।

डा० काटजू : देश भर में शान्ति को बनाए रखने के लिये यदि आप इस सीमा तक ही जाना चाहते हैं अर्थात् दूसरे के सामने उदाहरण के रखने के लिए कुछेक को फांसी पर लटकाना चाहते हैं तो यह सुझाव सचमुच विचारणीय है । हम तो उन्हें उस काल तक नज़रबन्द ही करते हैं जो बारह मास से अधिक नहीं हो सकता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप उन्हें एक मास की फांसी दीजिये !

डा० काटजू : मुझे वस्तुतः पता नहीं कि १९५४ के अन्त में जब यह मामला फिर संसद् के सामने आयगा तो संसद् की कार्यवाही क्या होगी । यह एक अच्छी बात है कि लोक हित में आप इस प्रकार के अधिनियम को अपनी संविधि पुस्त में स्थायी रूप से रखने के सुझाव पर उत्तेजना से रहित हो कर विचार करें ।

अब प्रत्येक स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हुई है । त्रावणकोर कोचीन में, हैदराबाद में ।

एक माननीय सदस्य : त्रावणकोर कोचीन में क्या हुआ है ?

श्री एस० एस० मोरे : कांग्रेस हार गई है ।

डा० काटजू : मज़दूरों के सम्बन्ध में गड़बड़ हुई है । कई मेरे मित्र, भाई और बहनें भूख हड़तालें कर रहे हैं । अपने घरों में वे भूख हड़तालें करने में स्वतन्त्र हैं । परन्तु वे सार्वजनिक स्थानों में भूख हड़ताल का करना अधिक अच्छा समझते हैं जिससे कई घटनाएं हो जाती हैं । मेरी इच्छा थी कि समाचार पत्रों में छपी सभी बातों तथा भाषणों की रिपोर्टों को आपके सामने रख सकता । मेरा कहना है कि यह सब बातें बहुत भयानक हैं । आप महानुभाव उठ कर कह सकते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम का दुरुपयोग हुआ है । मैं आप से पूछता हूं कि क्या वास्तव में इसका दुरुपयोग हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यह विधि स्वयं एक दुरुपयोग की बात है।

डा० काटजू : आप जो कह रही हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : प्रत्येक व्यक्ति इस विधि को अवैध कहता है।

डा० काटजू : माननीया महिला सदस्या का विचार है कि स्वयं यह विधि एक दुरुपयोग बात है परन्तु इस तर्क को पिछले कार्य सदन द्वारा रद्द किया जा चुका है।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस सदन में १७ दिन तक इस पर चर्चा हो चुकी है तथा दूसरे सदन में लगभग १३ दिन तक। दूसरी ओर से हुए भाषणों का सामान्य आशय यह था कि यह एक अवैध विधि है। इस वाक्य को मैं अभी तक नहीं समझ सका। संसद् आप की दलील को रद्द कर चुका है तो फिर इसके दोहराने का क्या लाभ ? मैंने पिछले वर्ष वचन दिया था संसद् को इस विधि की कार्यान्विति के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने का अवसर दिया जायगा।

इस विधान पर विचार करने में सदन को दो महत्वपूर्ण बातें सामने रखनी होंगी। एक तो यह कि क्या देश में हालत बदल चुकी है तथा क्या पहले इसका दुरुपयोग हुआ है ? मैं नहीं जानता कि उस दशा में आप क्या दलील देंगे। बार बार ऐसी पुरानी दलीलों के देने से कोई लाभ नहीं है कि बिना परीक्षण के नजर-बन्दी नहीं होनी चाहिये तथा कि संविधान में आपको अभिव्यक्ति का अथवा यह या वह अधिकार दिया गया है। मैं आलोचना को पसन्द करता हूं। परन्तु क्या किसी मामले में विधि का दुरुपयोग हुआ है ?

कुछ माननीय सदस्य : प्रत्येक मामले में।

डा० काटजू : तब तो मैं उदाहरण चाहता हूं।

आचार्य कृपालानी : कृपया उच्च न्यायालयों के फैसलों को पढ़ें।

डा० काटजू : कृपया याद रखें कि देश में शान्ति तथा व्यवस्था के बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

श्री एस० एस० मोरे : अंग्रेजों का भी है।

डा० काटजू : जब स्वतन्त्रता आई, हम राज्य सरकारों के विभिन्न सुरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत काम कर रहे थे। अब राज्य सरकारों का इस सम्बन्ध में मतैक्य है कि यह विधान कम से कम एक वर्ष तक लागू रहना चाहिये तथा इसकी अवधि को पूरा हो लेने दिया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : क्या कोई निदेश जारी किया गया था।

डा० काटजू : कोई नहीं। उन्होंने अपना मत स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट किया है। यदि मैं आज आप को बता सकता कि "हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं तथा कि अब इसे समाप्त समझा जाना चाहिये" तो स्वयं मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती तथा आप मुझे हार पहनाते। मुझे इसकी अवधि के बढ़ाने की मांग से कोई प्रसन्नता नहीं है। वास्तव में यदि मैं कह सकूं तो ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका कह लेना आसान है। स्वतन्त्रता तथा अन्य बड़ी बड़ी बातों का करना एक पुरानी रट है। यह कठिनाई मेरी है। मुझ यह सिद्ध करना है कि इसमें कोई अनुचित सख्ती नहीं हुई है।

अब इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पिछले १२ मास में वस्तुस्थिति क्या थी तथा कि आन्ध्र देश और दूसरे स्थानों में यह काल कितना संकटमय रहा है ? कल को क्या होने वाला है ? मैं इन सब के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता। क्या आपको पूरा विश्वास

[डा० काटजू]

है कि यह समय शान्ति का है ? मुझे ऐसा तनिक विश्वास नहीं है। जब कभी मैं इस या उस नेता का भाषण पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि नाना प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। अपराध बढ़ रहे हैं जिससे लोग भयभीत हैं। दूसरे दिन मैं मध्य भारत के मोरेना स्थान पर था। वहां पर लोगों का अपहरण कर लिया जाता है तथा उसके बदले में रुपया मांगा जाता है। अब उस विषय में क्या किया जाय। गुप्त सूचना के अनुसार, जो विश्वसनीय है, डाकुओं को ग्रामों में आश्रय दिया जाता है तथा ग्राम निवासी उन्हें खिलाते पिलाते हैं। क्या आप का कहना यह है कि किसी प्रमाण के अभाव से पुलिस चुपचाप बैठी रहे तथा इन बातों को होने दे। हमें इन मामलों पर यथार्थवाद की दृष्टि से देखना चाहिये तथा पुस्तकों में लिखे सिद्धान्तों से काम नहीं लेना चाहिये। जहां तक इस अधिनियम की कार्यान्विति का सम्बन्ध है, मैं सदन का ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर दिलाना चाहूंगा। ३० जून १९५१ को १८३९ व्यक्ति निरुद्ध थे और ३१ दिसम्बर, १९५१ को १८६५ थे। राज्य सरकारों ने इन उपबन्धों का प्रयोग केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में किया और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत नर्मी का बर्ताव किया है। ३० जून, १९५२ को नज़रबन्दों की संख्या ११९० थी और ३१ दिसम्बर, १९५२ को यह ३३८ हो गयी थी और ३० जून, १९५३ को यह १३९ थी। अतः इन आंकड़ों को देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि राज्य सरकारों ने सावधानी से काम नहीं लिया।

मैं कहता हूं कि यह अधिनियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। लोगों को अपराध करने देने और फिर उन को कड़ा दंड देने का कोई लाभ नहीं। यदि आपका साक्ष्य विश्वस्त और मान्य हो, तो आप शुरू से ही कार्रवाई करके हानि को रोक सकते हैं। ऐसी कार्रवाई उस व्यक्ति और देश दोनों के लिए हितकर होगी।

हमने इस मामले पर बहुत सावधानी से विचार किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अधिनियम को इसकी अवधि की समाप्ति तक लागू रखना चाहिये। अगले वर्ष इस पर पुनर्विचार होगा। किन्तु इस समय इसे हटा लेना बहुत खतरनाक होगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा, क्योंकि स्थिति इस समय पूर्णतया शान्तिपूर्ण नहीं है।

इन विवरणों से आपको पता चलेगा कि इन व्यक्तियों को किन किन कारणों से निरुद्ध किया गया है। कुछ को इसलिए निरुद्ध किया गया है क्योंकि उन के बाहर रहने से भारत की शान्ति, सुरक्षा या इसके विदेशी सम्बन्धों को खतरा था, कुछ इसलिए क्योंकि वे समाज-विरोधी कार्य करते थे और अन्य इसलिए क्योंकि साधारण अपराध करना उनका काम था। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार सत्तारूढ़ है, यह हिंसा का प्रचार बिल्कुल नहीं करने देगी और इसे अपनी पूरी शक्ति से रोकेगी। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभाला है। मेरे विचार में यदि वे थोड़ा और सख्ती से काम लेते तो भी अनुचित न होता। उदाहरण के तौर पर आप लखनऊ विश्व विद्यालय को लीजिये। आप सब जानते हैं कि वहां क्या हुआ था—पुलिस स्टेशनों और बसों को आग लगा दी गई, कार्यालयों, दुकानों को लूट लिया गया था। क्या यह सब कुछ विद्यार्थियों ने किया था ? क्या लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था ? क्या यह वांछनीय नहीं है कि इस कारण कुछ लोगों को नज़रबन्द किया जाये ? यह अधिनियम हितकर सिद्ध हो रहा है और इसे जारी रहना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रघुवीर सहाय और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री रघुवीर सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें :—

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन की यह राय है कि इस अधिनियम को निर्धारित अवधि तक जारी रखने के पर्याप्त कारण हैं ।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया, जिस में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को निर्धारित अवधि तक जारी रखने के पर्याप्त कारण नहीं हैं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

आचार्य कृपालानी : यह दुर्भाग्य की बात है कि वे लोग जो न्याय और मानवी अधिकारों की बातें करते हैं, सत्तारूढ़ होने पर सब कुछ भूल जाते हैं । वे भूल जाते हैं कि वे अब स्वयं वही चीज़ें कर रहे हैं, जिन पर पहले वे आपत्ति किया करते थे । स्वतन्त्रता के आन्दोलन के दौरान में विदेशी सरकार इस प्रकार के अधिनियमों के जो कारण दिया करती थी, वही आज गृह मंत्री दे रहे हैं । उन्होंने एक कारण यह दिया है कि स्वतन्त्रता से पहले, जो विचार पवित्र समझे जाते थे, वे अब पुराने हो चुके हैं और उनका अब कोई लाभ नहीं । एक और कारण यह दिया जाता है कि अब जो लोग सत्तारूढ़ हैं, वे जनता के प्रतिनिधि ही हैं । किन्तु यह कहना कि जनता के प्रतिनिधि अत्याचारी नहीं हो सकते, ग़लत है । इतिहास इस बात का प्रमाण है । इतिहास से पता चलता है कि लोकतन्त्र भी सर्वाधिकारवादी हो सकता है, यह लोगों को उनके अधिकारों से वैसे ही वंचित कर सकता है, जैसा कि कोई राजा या सम्राट् कर सकता है ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यह अधिनियम वैधानिक है । परन्तु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यह विधान के शब्दों का पालन तो करता है, किन्तु इसकी भावना का उल्लंघन करता है ।

संविधान का अनुच्छेद २२ 'मूलभूत अधिकारों' की रक्षा के बारे में है । यह विधेयक मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए परित किया गया है ।

बहुत वर्ष पहले, डा० काटजू मेरठ षड्यंत्र के मुकद्दमे में साम्यवादियों की ओर से सफ़ाई के वकील के रूप में पेश हुए थे । उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे किसी समय गृहमंत्री बन कर यहां आयेंगे । परन्तु उस मुकद्दमे में उन्होंने बिल्कुल वही तर्क दिये थे, जो कि आज हम सदन के इस दल के लोग दे रहे हैं । वहां साम्यवादी अब उन्हें अपने शत्रु दिखाई देते हैं ।

डा० काटजू : उस समय साम्यवादी केवल बातें ही करते थे, उन्होंने और कुछ नहीं किया था ।

आचार्य कृपालानी : परन्तु गृह मंत्री नहीं जानते कि आज के साम्यवादियों ने उन्हीं बातों से बढ़ कर वर्तमान रूप लिया है । यदि वे इस बात को जानते होते तो वे उस मुकद्दमे को हाथ न लगाते ।

हमारे गृह मंत्री हर बात को परिहास के रूप में लेते हैं । वे समझते हैं कि यह संसार खिलवाड़ है । यह एक अच्छी प्रकृति है । परन्तु उत्तरदायित्व के पद पर हमें कुछ गम्भीरता से कार्य करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री अपने अन्तिम भाषण में बिना अभियोग के निरोध के सम्बन्ध में अपना दर्शण प्रस्तुत करेंगे और रूस, चीन, जापान, होनू-

[आचार्य कृपालानी]

लोलू के उदाहरण देंगे । वे कहेंगे कि आप साधारण सी बात के लिए क्यों चिन्ता कर रहे हैं। परन्तु हमें चिन्ता है क्योंकि अपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में हमारी स्मृतियां शिथिल नहीं हैं।

स्वर्गवासी सरदार पटेल ने जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया था तो उन्होंने कहा था कि देश में साम्प्रदायवादियों का भय है इसलिए यह अधिनियम बनाया जा रहा है। पश्चात् श्री राजगोपालाचार्य और श्री काटजू ने कहा कि यह विधान साम्यवादियों के लिए है। गत वर्ष डा० काटजू ने यह भी कहा कि हैदराबाद, सौराष्ट्र और पैप्सू के लिए इस विधान की आवश्यकता है। परन्तु अब पैप्सू में राज्यपाल का शासन है, हैदराबाद में साम्यवादी विधान सभा में पहुंच गये हैं और सौराष्ट्र में बिक्री कर के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं रहा। तब इस विधान की क्या आवश्यकता है। हमें सर्वाधिकारवादी राज्यों के उदाहरण द्वारा अपने कार्यों को न्यायसंगत नहीं ठहराना चाहिये। अन्यथा आप इस सभा को समाप्त कर दीजिये, निर्वाचनों का अन्त कर दीजिये और तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा सिवाए इस के कि शीघ्र ही बदले का न्याय तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा।

साम्यवादी सज्जन व्यक्ति हैं। उन की आकृतियों से पता चलता है कि वे मज़दूर वर्ग से कांग्रेसियों की अपेक्षा भी कम सम्बन्ध रखते हैं। विधान मडलों में आकर उनकी प्रकृति पूंजीवादियों की-सी हो गई है। वे प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल के साथ क्रिकेट जैसा साम्राज्यवादियों का खेल खेलते हैं। काश्मीर में कांग्रेस के साथ उन का गठ जोड़ हैं। वे सरकार की विदेश नीति से पी० एस० पी० की अपेक्षा अधिक सहमत हैं। वे यह समझने लगे हैं कि यह सर्वथा निरर्थक है कि प्रधान मंत्री इस विधान को उन के विरुद्ध प्रयोग करने का विचार कर रहे हैं।

तब यह कहा जाता है कि जो कोई भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगा उस के विरुद्ध इस विधान का प्रयोग किया जाएगा। इस सरकार को केन्द्र अथवा प्रान्तों में देश भक्त चला रहे हैं। वे हमारे आदरणीय नेता हैं। लोगों ने उन्हें चुना है। लोगों का मत उन के साथ है। हमारे प्रधान मंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि आज तक किसी अन्य देश का कोई प्रधान मंत्री इतना लोकप्रिय नहीं हुआ। समाजवादी उसे चाहते हैं। साम्यवादियों की उस तक पहुंच है। वह साहित्यिक, कलाकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक सभी कुछ हैं। इतनी लोकप्रिय सरकार को किसका भय है जिसके नेता को सारा विश्व चाहता है। पूंजीवादी उसे अपना अन्तिम सहारा समझते हैं। जब सब प्रकार के लोग आप के साथ हैं तो आप रक्षा किस से करना चाहते हैं ? क्या गुंडों और बदमाशों से ? क्या कभी कोई सरकार गुंडों के कारण गिर सकी है ? मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि आधुनिक सरकार या तो बहुमत से गिर सकती है और या सेना के विद्रोह से। तब भारत की सुरक्षा का क्या अभिप्राय है ? जब भारत सरकार सर्वथा सुरक्षित हो तो क्या किसी राज्य के असुरक्षित होने की सम्भावना हो सकती है ?

इस अधिनियम को पारित करने का चौथा कारण सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। अंग्रेजी शासन में सार्वजनिक व्यवस्था शब्द को हम प्रायः सुना करते थे। यह अस्पष्ट सा शब्द है। इसे किसी भी व्यक्ति अथवा बात के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लखनऊ विश्व विद्यालय की हड़ताल को तो गृह मंत्री ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया ही है। वे नहीं जानते कि यह छात्रों का दंगा नहीं था वरन् लखनऊ की गड़बड़ कांग्रेसियों के पारस्परिक विरोध के कारण हुई थी ?

भारत और अन्य देशों के सम्बन्धों पर भी यह अधिनियम लागू होता है। आज यदि कांग्रेस सरकार का शासन न होता तो अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक समझौते के विरुद्ध कांग्रेस आन्दोलन पर भी इस अधिनियम का प्रयोग हो सकता था। कल यदि सरकार के किसी मित्र देश के विरुद्ध ऐसा आन्दोलन हो तो यह सरकार इस विधान के अधीन हमें कारागार भेज सकती है। यह अधिनियम इतना भयानक है।

खण्ड पांच समाज की सेवाओं और प्रदाय में बाधा पर लागू होता है। विश्व में सब जगह इन बातों का विनियमन दण्ड संहिता में किया जाता है। यहां इस प्रकार का विधान केवल इस लिए बनाया जा रहा है कि तुम्हारा प्रशासन अकुशल है, तुम्हारी सी० आई० डी० अकुशल है। यदि आप की सी० आई० डी० और पुलिस ठीक प्रकार से काम करती तो इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं थी। युद्ध समाप्त हुए आज आठ वर्ष हो गये परन्तु यह अधिनियम अभी तक परिनियम पुस्तिकाओं में है। क्या सदन किसी और लोकतन्त्र को जानता है जिसमें ऐसा अधिनियम हो ?

एक मामले में जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम से पीड़ित हुआ था, बम्बई के उच्च न्यायालय ने कहा कि जो कारण उस व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए प्राधिकारी ने बताये ह वे असंतोष जनक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्राय: प्रत्येक ऐसे मामले में प्रस्तुत किये गये कारण शिथिल होते हैं। ये निरोध करने वाले प्राधिकारी कौन हैं ? वे पुलिस आयुक्त और ज़िला दण्डाधीश हैं। उनका प्रशिक्षण एक सर्वाधिकारी शासन में हुआ है। यदि आप इन लोगों को इतना अधिकार देंगे तो वे इसका दुरुपयोग करेंगे। ये छोटे पदाधिकारी स्वतन्त्रता की परम्पराओं में नहीं पले। आप हमें इन लोगों की दया पर छोड़ रहे हैं। आप हमारी स्वतन्त्रता और मूल अधिकारों को इनके हाथ में दे रहे हैं।

राजस्थान सरकार राज्य के विरोधी दल को नष्ट करने के लिए सदा इस निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग करती है। वहां के उच्च न्यायालय के एक प्रतिवेदन में दुर्गसिंह के निरोध के सम्बन्ध में न्यायाधीशों ने बताया कि निरोध के जो कारण बताये गये हैं वे सर्वथा अस्पष्ट हैं। इसी प्रकार जयपुर में अगस्त १९५३ में एक साम्यवादी सभासद सहित लगभग १३ व्यक्तियों को नज़रबन्द किया गया और उच्च न्यायालय ने उन सब को मुक्त कर दिया। जहां कहीं भी उच्च न्यायालयों के पास मामले गये हैं उन्होंने निरुद्ध व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है।

सभापति महोदय : सदन की बैठक कल डेढ़ बजे तक स्थगित रहेगी।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।